रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)--73

REGISTERED NO. D--(DN)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6, 1986 (अग्रहायण 15, 1908)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6, 1986 (AGRAHAYANA 15, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

स्टेट बैंक आफ़ पटियाला

प्रधान कार्यालय

पटियाला-147 001, दिनांक 21 नवम्बर 1986

नोटिस

सं० पी० ई० आर०/14571—निम्नलिखित कर्मचारी दिनांक 1-8-1986 से क्लैरीकल वर्ग से अधिकारी कनिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड स्केल-I वर्ग में पदोन्नत किए गए हैं :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम
(1)	(2)
	सर्वश्री
1.	कुलदीप सिंह कपूर
2.	राधा किशन सिंघल
3.	हेम राज सिंगला
4.	जसवन्त सिंह भाटिया
5.	प्रमोद कुमार उप्पल
6.	चन्दर भूषण अग्रवाल
7.	निर्मल चन्द्र धवन
8.	हेम राज मेहन्दीरत्ता
9.	गुरनाम सिंह कोहली
10.	जगदीश प्रसाद सिंगला
11.	अमरजीत कपिला
12.	बलवन्त सिंह
13.	सुरिन्दर पाल सिंह
14.	इन्द्रजीत नन्दा
15.	दर्शन सिंह
16.	जगजीत सिंह
17.	श्रीमति प्रेम लता
18.	गुरनाम सिंह
19.	लाल चन्द
20.	वीना भण्डारी
21.	सत्य पाल
22.	वी० के० टांगरी
23.	ए० आर० मुदगिल
24.	सुरेश चन्द वर्मा
25.	श्रीमति चन्द्र कान्ता
26.	पी० डी० शर्मा
27.	राजेन्द्र कुमार बंसल
28.	राजेन्द्र सिंह भाटिया
29	छज्जू राम राव
30.	अवतार सिंह

(1)	(2)
	सर्वश्री—
31.	बलदेव सिंह
32.	भीम सिंह जग्गा
33.	जसवन्त राय जिन्दल
34.	नरेन्द्र सिंह कोहली
35.	रवि भूषण
36.	रमेश कुमार वर्मा
37.	एस० सी० पहूजा
38.	हरप्रीत सिंह
39.	विनोद कुमार सिंगला
40.	मांगे राम कौतम
41.	विजय कुमार वधवा
42.	सूरज भान सिंगला
43.	सभाष वधवा
44.	जगबीर सिंह राय
45.	नरेन्द्र कुमार
46.	राज कुमार गोयल
47.	कृष्ण चन्द्र वर्मा
48.	त्रिलोक सिंह आनन्द
49.	अशोक कुमार अरोड़ा
50.	वीना सयाल
51.	मनजीत कौर
52.	कुलदीप सिंह
53.	नरेन्द्र सिंह
54.	ओम प्रकाश भाटिया
55.	प्रीतपाल सिंह
56.	स्वर्ण सिंह जण्डू
57.	जगदीश चन्द्र गुप्ता
58.	के० के० साहनी
59.	इन्द्रजीत शर्मा
60.	रोशन लाल
61.	रमेश चन्द्र मेहता
62	ओम प्रकाश ग्रोवर
63.	गुरदयाल सिंह बहल
64.	जगदीश शर्मा
65.	जनक राज अरोड़ा
66.	एम० सी० कुल
67.	सुरेन्द्र कुमार
68.	हरचरन सिंह बावा
69.	सुरेन्द्र कपूर
70.	अनिल कुमार वाधवान
71.	रूपेन्द्र कुमार जैन
72.	चन्द्रशेखर
73.	हजारा सिंह पस्थी
74.	के० के० बेमबर्ह
75.	अमर सिंह
76.	प्रदीप खण्डेलवाल
77.	बाल किशन गोयल
78.	हरिन्द्र मोहन शर्मा
79.	सुदर्शन मोहन वालिया
80.	राजेन्द्र कुमार शर्मा
81.	मीना जोशी
82.	जगदीश भुटानी
83.	वेद प्रकाश पुरी

(1)	(2)
	सर्वश्री—
84.	अशोक कुमार वर्मा
85.	राकेश कुमार कौशल
86.	राजेन्द्र कुमार गंग
87.	भोला नाथ दत्ता
88.	शलेन्द्र पाल धीमान
89.	बाल किशन काकड़िया
90.	अरुण कुमार भारद्वाज
91.	सतपाल शर्मा
92.	जी० सी० वधवा
93.	मदन गोपाल सोनी
94.	जरनैल सिंह भट्टी
95.	मलकियत राम कोरा
96.	बसन्त कुमार
97.	मथकेश केशला
98.	राजेन्द्र कुमार
99.	नन्द किशोर
100.	यशपाल सांघड़ा
101	दर्शन सिंह
102.	गुरबचन सिंह
103.	करनैल सिंह केले
104.	सिकन्दर सिंह
105.	सुभाष चन्द्र सर्वण
106.	सुभाष चन्द्र गुप्ता
107.	एच० आर० डोगरा
108.	गोपाल दास सेमी
109.	कृष्ण चन्द्र कंवल
110.	विरेन्द्र सिंह
111.	अमरजीत सिंह गिरन
112.	शिव कुमार अग्रवाल
113.	निर्मल कुमार टंडन
114.	प्रशोत्तम दास सरवाना
115.	राधेश्याम जयसवाल
116.	कमल प्रकाश जैन
117.	जोगा सिंह प्रमार
118.	वी० के० मेहता
119.	अशोक जैदका
120.	राजेश कुमार आर्य
121.	हरीश कुमार वर्मा
122.	तरसेम गोयल
123.	अशोक बत्रा
124.	अश्वनी बेरी
125.	अशोक कुमार जैन
126.	दिनेश कश्यप
127.	विनय कुमार शर्मा
128.	महेश कुमार मित्तल
129.	अशोक कुमार बंसल
130.	रीता बंसल
131.	जसविन्द्र बीर सिंह
132.	नरेश कुमार अग्रवाल
133.	जोगेन्द्र पाल
134.	विजय कुमार गर्ग
135.	रमेश कुमार गुप्ता
136.	राकेश कौशल
137.	विरेन्द्र कुमार यादव

(1)	(2)
सर्वश्री—	
138.	पवन कुमार गोयल
139.	सुशील कुमार
140.	भगत सिंह
141.	सन्त लाल इन्दौरा
142.	तेजा सिंह नागरा

के० के० खन्डेलवाल
महाप्रबन्धक (परिचालन)

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)
प्रधान कार्यालय
त्रिवेन्द्रम, दिनांक 28 अक्तूबर 1986

सूचना

सं० एम० डी० 42/1076—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि स्टट बैंक आफ त्रावणकोर के शेयरधारियों का रजिस्टर शेयरों के अन्तरण के लिए शनिवार दिनांक 24 जनवरी से शनिवार दिनांक 7 फरवरी, 1987 तक (दोनों दिनों को शामिल करके) बन्द रहेगा

बी० गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

कलकत्ता–700 071, दिनांक 6 नवम्बर 1986

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

नं० 3–ई० सी० ए० (5)/5/86–87—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3–ई०सी०ए० (4)/11/82–83 और 3–ई० सी० ए०(4) 84–85 दिनांक 31–3–86 और 30–9–85, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गयी तिथि से स्थापित कर दिया है

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	13034	श्री जगादिन्द्रा घोष, ए० सी० ए०, केयर आफ मैसर्स ए० एस० गुप्ता एण्ड कं०, चार्टर्ड एकाउन्ट न्ट्स, 10, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता–700071	8–9–86
2.	17335	श्री ज्योति चन्द बराल, ए० सी० ए०, 98/बी, प्रेम चन्द बोराल स्ट्रीट, कलकत्ता–700 012	18–9–86

आर० एस० चौपड़ा,
सचिव

मद्रास–560034, दिनांक 4 नवम्बर 1986

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

नं० 3–एस० सी० ए० (4)/5/86–87—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गयी तिथि से हटा दिया है ।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	4086	श्री सी० वैद्यानाथन, नं० 3, फस्ट क्रोस स्ट्रीट, रामाकृष्ना नगर, मद्रास–600 028	22–8–86
2.	4226	श्री पी० गोपालाकृष्ना पानीकर ससी निवास, म्युनिसिपल वार्ड, अल्लेप्पी	30–8–86
3.	8923	श्री एन० राधाकृष्ना राजा 261, गुड्स शैड स्ट्रीट, मदुराई–625 001	14–9–86

दिनांक 6 नवम्बर 1986

नं० 3–एस० सी० ए० (5)/5/86–87—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3–डब्ल्यू० सी० ए० (4)/7/85–86 दिनांक 31 मार्च 1986 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री वी० एस० नरासिम्हन, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट , 5, मलोनी. रोड, टी० नगर, मद्रास–600 017, का नाम पुनः 13 अक्तूबर, 1986 से स्थापित कर दिया है ।

उनकी सदस्यता संख्या 6015 है ।

आर० एस० चौपड़ा, सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 1986

सं० एन० 15/13/1/13/86—यो० एवं वि० (2) कर्मचारी बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1–11–86 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे ।

अर्थात्

"जिला वारंगल में वारंगल राजस्व मण्डल के अन्तर्गत गोरेकुण्टा राजस्व ग्राम घीस कौण्डा राजस्व मण्डल के अन्तर्गत स्वयम्भूलाम्पली, ग्राम प्रगति औद्योगिक सम्पदा, गोरेकुण्टा और वारंगल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

हर भजन सिंह
निदेशक (योजना एवं विकास)

क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार

पटना-1, दिनांक 5 नवम्बर 1986

का० आ० पी/42–बी–34/11/1/78 स्था०–1—एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने, कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10–क–1(क) के अनुसरण में बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग के अनुमोदन से उप श्रम आयुक्त बोकारो स्टील सिटी (धनबाद) के स्थान पर सहायक श्रम आयुक्त गिरीडीह को स्थानीय समिति गिरीडीह क्षेत्र का अध्यक्ष नामित किया है ।

अतः अब एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10–क–1(क) के अनुसरण में भारत सरकार के राजपत्र के भाग-III, खण्ड–4 में प्रकाशित अधिसूचना सं० पी०/42–बी०–34/11/1/78 स्था० –1 दिनांक 26–1–85 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:–

उक्त अधिसूचना में विनियम 10—क—1(क) के अध्यक्ष शीर्ष क्रम सं० 1 में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

अध्यक्ष
अधीन विनियम 10—क—1 (क)
सहायक श्रम आयुक्त
गिरीडीह

का० आ० पी०/42—बी०—34/11/1/78 स्था० 1—एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10—क—1 खण्ड (क) के अनुसरण में बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग के अनुमोदन से सहायक श्रम आयुक्त, हजारीबाग के स्थान पर श्रम आयुक्त, हजारीबाग को स्थानीय समिति झुमरीतिलैया क्षेत्र का अध्यक्ष नामित किया है ।

अतः अब एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10—क—1(क) के अनुसरण में भारत सरकार के राजपत्र के भाग—3, खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं० पी/42/बी—34/11/1/78 स्था० 1 दिनांक 26—1—85 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है

उक्त अधिसूचना में विनियम 10—क—1(क) के अध्यक्ष शीर्ष क्रम सं० 1 में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी

अध्यक्ष
विनियम 10क 1(क) के अधीन
उप श्रम आयुक्त
हजारीबाग

का० आ० पी०/42—बी—34/11/1/78 स्था० 1—एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10—क—1 खण्ड (क) के अनुसरण में बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग के अनुमोदन से सहायक श्रम आयुक्त, हजारीबाग के स्थान पर उप श्रम आयुक्त, हजारीबाग को स्थानीय समिति रामगढ़ क्षेत्र का अध्यक्ष नामित किया है ।

अतः अब एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10—क—1—(क) के अनुसरण में भारत सरकार के राजपत्र के भाग— खण्ड III,—4 में प्रकाशित अधिसूचना सं० पी०/42/बी—34/13/8/82 स्था०-1 दिनांक 26—1—85 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

उक्त अधिसूचना में विनियम 10—क—1(क) के अध्यक्ष शीर्ष क्र० सं०1 में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

अध्यक्ष
विनियम 10-क—1 (क) के अधीन
उप श्रम आयुक्त
हजारीबाग

का० आ० पी०/42—बी—34/11/1/78 स्था० —1—एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10—क—1, खण्ड ङ के अनुसरण में बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग के अनुमोदन से श्री निराय मांझी, महासचिव, उषा एलॉय मजदूर संघ, आदित्यपुर के स्थान पर श्री विष्णु कुमार उपाध्याय, आदित्यपुर औद्योगिक मजदूर संघ 5/2—4 आदित्यपुर को स्थानीय समिति, आदित्यपुर क्षेत्र का सदस्य नामित किया है ।

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10—क—1ङ के अनुसरण में भारत सरकार के राजपत्र के भाग—3, खण्ड—4 में प्रकाशित अधिसूचना सं० पी/42—बी—34/11/1/78 स्था० 1 दिनांक 26-1-85 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

उक्त अधिसूचना में विनियम 10—क—1(ङ) के सदस्य शीर्ष के क्रम सं०—8 में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

सदस्य
विनियम 10—क—1(ङ) के अधीन
श्री विष्णु कुमार उपाध्याय
आदित्यपुर औद्योगिक मजदूर संघ
5/2—4, आदित्यापुर (जमशेदपुर)

का० आ० पी०/42—बी०—34/11/1/78 स्था० —1—कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने, कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10—क—1, खण्ड—घ के अनुसार में बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग के अनुमोदन से श्री विनोद कुमार शरीफ के स्थान पर श्री सुरेश कुमार झांझरी, मालिक, मेसर्स प्रिमियर ग्लास इन्डस्ट्रीज, झुमरी तिलैया को स्थानीय समिति, झुमरी तिलैया क्षेत्र का सदस्य नामित किया है ।

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10—क—1(घ) के अनुसरण में भारत सरकार के राजपत्र के भाग—III खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं० पी०/42—बी—34/11/1/78 स्थापना-I दिनांक 26—1—85 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ।

उक्त अधिसूचना के विनियम 10—क—1(घ) के सदस्य शीर्ष के क्रम सं० 5 में नाम निर्दिष्ट के सामने के प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

सदस्य
विनियम 10 क—1, (घ) के अधीन
श्री सुरेश कुमार झांझरी
मालिक मेसर्स प्रिमियर, ग्लास इन्डस्ट्रीज
झुमरी तिलैया (हजारीबाग)

का आ० पी०/42—बी०—3 4/11/1/78—स्था०—एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10—क—1 खण्ड (क) के अनुसरण में बिहार सरकार श्रम एवं नियोजन विभाग में अनुमोदन से उप श्रम आयुक्त रांची के स्थान पर संयुक्त श्रम आयुक्त, रांची को स्थानीय समिति रांची एवं ताती सिलवे क्षेत्र का अध्यक्ष नामित किया गया है ।

अतः अब एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य विनियम 1950 की धारा 10—क—1 (क) के अनुसरण में भारत सरकार के राजपत्र में भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं० पी—42/बी०-34/11/1/78 स्था०—1 दिनांक 26—1—1985 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

उक्त अधिसूचना में विनियम 10—क—1 (क) के अध्यक्ष शीर्ष क्रम सं० 1 में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

अध्यक्ष
विनियम 10—क—1 (क) के अधीन
संयुक्त श्रम आयुक्त
रांची

आर० आर० कुमारे
क्षेत्रीय निदेशक

बबीना छावनी बोर्ड

दिनांक बबीना छावनी, 21 नवम्बर 1986

शुद्धि पत्र

का० नि० आ० 1/ई/15013—भारत सरकार के राजपत्र भाग III खण्ड 4, दिनांक 04/10/1986 में प्रकाशित पृष्ठ 1858 पर छावनी बोर्ड, बबीना पथ कर की दरों का निरीक्षण की अधिसूचना का नि० आ० 1/ई०, 15013 में—

1. तेईसवीं पंक्ति में "प्रकाशित" शब्द के बाद शब्द "अधिसूचना" जोड़े 1

2. इक्तीसवीं पंक्ति में "उसमें शब्द के बाद" से "जोड़े" ।

आर० डी० चतुर्वेदी
छावनी कार्यपालिक अधिकारी,
बबीना छावनी

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
38वीं वार्षिक रिपोर्ट
1985-86

निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 की धारा 35 के अनुसार

अध्याय—1

परिचालन वातावरण और परिप्रेक्ष्य

1.01 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का निदेशक बोर्ड 30 जून, 1986 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखा विवरण सहित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के परिचालनों पर 38वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है ।

1.02 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की प्रगति की पृष्ठ भूमि के रूप में 1985–86 में परिचालनात्मक आर्थिक और औद्योगिक वातावरण, महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनों तथा अन्य गतिविधियों का, जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के परिचालनों और कार्य-परिणामों को प्रभावित करने में प्रेरक रही हैं, संक्षिप्त उल्लेख, जोकि अत्यन्त प्रासंगिक है इस प्रकार है

(क) आर्थिक वातावरण

1.03 भारतीय अर्थ-व्यवस्था छठी योजना की अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और वर्ष 1985-86 ने सातवीं पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक प्रारम्भ करके प्रगति को बनाए रखा । 1985–86 (अप्रैल–मार्च) के प्रमुख आर्थिक सूचकों से 1984–85 में प्राप्त आर्थिक स्तरों की तुलना में स्पष्ट सुधार दिखायी दिया, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, राष्ट्रीय आय की उच्च दरों और निम्न मुद्रा स्फीति दर ऐसे प्रमुख संकेतक है ।

1.04 खाद्यान्न उत्पादन 1985–86 में लगभग 149 मिलियन टन हुआ जबकि 1984–85 में यह 146.2 मिलियन टन था । कुल मिलाकर कृषि उत्पादन (खाद्यान्न तथा अन्य फसलें) में 1984-85 में 0.9% गिरावट की तुलना में 3% की वृद्धि हुई ।

1.05 पावर, कोयला, तेल और रेलवे के अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान काफी प्रगति हुई और इनसे औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर सहयोग प्राप्त हुआ । 1985–86 में सीमेंट, विक्रेय इस्पात और उर्वरकों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ।

1.06 शक्ति जनन में 8.6 वृद्धि हुई वर्ष के–8.5% के निर्धारित लक्ष्य से मामूली अधिक संयंत्र भार भाज्य (पी० एल० एफ०) में सुधार हुआ और यह 52.4% हो गया हालांकि अभी भी यह 1976–77 में प्राप्त 55.4% से कम रहा । समग्र पावर घाटे में 8% की कमी रह गई । लेकिन क्षेत्रवार वितरण शोचनीय रूप से असमान रहा । पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों पावर घाटा राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा ।

1.07 कोयला उत्पादन 1985–86 में 154.5 मिलियन टन के निर्धारित लक्ष्य स्तर के निकट रहा । फिर भी, रेलवे द्वारा अधिक कोयला ढोने के बावजूद, कुलाई कुछ क्षेत्रों में मांग की पूर्ति नहीं कर सकी ।

1.08 तेल उत्पादन, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महत्वपूर्ण 20% वार्षिक वृद्धि के पश्चात लगभग 30.2 मिलियन टन पर स्थिर हो गया और वर्ष के लिए निर्धारित 30.1 मिलियन टन से कुछ अधिक रहा । लेकिन, वर्ष के दौरान पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और कोयले की कीमतों में वृद्धि से औद्योगिक पक्षमों की ईंधन लागत में वृद्धि हुई ।

1.09 सीमेंट का 33.1 मिलियन टन का उत्पादन 1984–85 के 30.2 मिलियन टन के उत्पादन से 9.6% अधिक रहा ।

1.10 विक्रेय इस्पात के उत्पादन में 13.6% की वृद्धि हुई, यह 1984–85 के 8.8 मिलियन टन की तुलना में 1985–86 में 10 मिलियन टन हुआ ।

1.11 1985–86 में नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन 43.27 लाख टन हुआ, यह 1984–85 के 39.17 लाख टन के उत्पादन से 10.5% अधिक रहा । फास्फेटीय उर्वरकों का उत्पादन 14.17 लाख टन हुआ जो कि वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से 7.4% अधिक था और 1984–85 में 12.64 लाख टन के फास्फेटीय उर्वरकों के वास्तविक उत्पादन से 12.1% अधिक रहा ।

1.12 रेलवे के माल यातायात के कारण राजस्व में 9% और उद्गम-स्थल यात्रियों में 3.3% की वृद्धि हुई । बन्दरगाह यातायात में भी 1985–86 में 12.5% की वृद्धि हुई ।

1.13 वर्ष 1985 बेहतर औद्योगिक सम्बन्धों का वर्ष सिद्ध हुआ । 1985 में हड़ताल और तालाबन्दी के मामले घटकर 1522 तक आ गए जबकि 1984 में ये 2061 थे । 1985 में व्यर्थ गए मानव-दिवसों की संख्या में भी 1984 की तुलना में 47.9% की गिरावट आई ।

1.14 1985–86 में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 6.3% की वृद्धि हुई जो छठी योजना अवधि में रिकार्ड किए गए उद्योग के 5.9% औसत वार्षिक विकास सूचकांक की तुलना में काफी बेहतर थी । वर्ष 1985–86 में औद्योगिक गतिविधि के 81.1% के द्योतक उत्पादक क्षेत्र में, विकास दर में 6.2% का महत्वपूर्ण सुधार, पिछले वर्ष की वृद्धि दर 5.5% की तुलना में हुआ ।

1.15 1985–86 में व्यापार घाटा बढ़कर 8300 करोड़ रुपए हो गया जबकि 1984–85 में यह 5337 करोड़ रुपए था । फिर भी, स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार के सिवाय विदेशी विनिमय रिजर्व की स्थिति निरन्तर संतोषजनक रही । 1985–86 की समाप्ति पर विदेशी विनिमय रिजर्व बढ़कर 7384.40 करोड़ रुपए हो गए, जबकि 1984–85 के अन्त में ये 6816.78 करोड़ रुपए थे ।

1.16 मुद्रा और राजकोषीय नीतियों को सावधानी-पूर्वक व्यवस्था से 1985–86 में समग्र नकदी तरलता पर

नियन्त्रण रखने का मूल लक्ष्य प्राप्त किया गया ताकि मुद्रा स्फीति पुनः उभरने न पाए। सांविधिक तरलता अनुपात, चयनात्मक आधार पर साख नियंत्रण पायों के सरलीकरण, आवश्यक वस्तुओं पर न्यूनतम अन्तर ढांचे का औचित्यकरण और प्रवासी विदेशी मुद्रा खातों के अधीन जमा कर ब्याज दरों में कटौती से अनावश्यक मुद्रा स्फीति परिस्थितियां पैदा किए बिना समुचिपत-ऋण नीति से वास्तविक उत्पादक जरूरतों के लिए वित्तीय साधन जुटाने में काफी सहायता मिली ।

1.17 अंकों के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के रूप में आंकी गई मुद्रा स्फीति दर 3·7% रही जबकि 1984–85 में यह 7.6% थी। लेकिन, औसतन आधार पर थोक मूल्य सूचकांक 5.7% रहा जबकि 1984–85 में यह 7.1% था ।

1.18 जनसामान्य के पास मुद्रा पूर्ति (मुद्रा 1) तथा कुल मुद्रा स्रोत (मुद्रा 3) में पूर्ण तथा प्रतिशत रूप में 1984–85 की तुलना में 1985–86 में मामली वृद्धि परिलक्षित हुई। 1985–86 में मुद्रा 1 में 7.4% वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 16.2% की काफी अधिक वृद्धि रिकार्ड की गयी थी। मुद्रा 3 में पिछले वर्ष के 17.5% की तुलना में 14.7% वृद्धि हुई ।

1.19 सरकार के निवल बैंक उधार में 21.8% की वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि 1984–85 में 23.5% की वृद्धि हुई थी । लेकिन, वाणिज्यिक क्षेत्र में बैंक उधार में वृद्धि पिछले वर्ष रिकार्ड किए गए 16.3% की तुलना में, 12.2% रही। 1985–86 में बैंक उधार में 11.7% की वृद्धि हुई जो एक वर्ष पूर्व 16.7% से काफी कम थी । बैंकों द्वारा जुटाए गए अतिरिक्त जमा में 16.6% की वृद्धि दर रिकार्ड की गयी जबकि पिछले वर्ष यह 17.1% थी। बैंकों के कुल जमा में वृद्धि भी उधार देने हेतु मांग की वृद्धि को पूरा करने में असमर्थ रही। अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए गए उधार में 1985 में केवल 13.4% की वृद्धि हुई जबकि 1984–85 में यह वृद्धि 18.5 प्रतिशत थी ।

1.20 1970–71 मूल्यों पर आधारित सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सरकारी सूचनाओं के अनुसार 1985–86 में 4% की वृद्धि होने की सम्भावना है जबकि 1984–85 में यह 3.7% थी।

(ख) औद्योगिक वातावरण

1.21 आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तनों और राजकोषीय तथा औद्योगिक नीतियों में उल्लेखनीय उदारीकरण के कारण वर्ष 1985–86 के दौरान औद्योगिक वातावरण विकास के लिए अनुकूल रहा । 1985–86 के दौरान निवेश वातावरण उत्साहजनक बना रहा जैसा कि पूंजी और जुटाई गई पूंजी में अत्यधिक वृद्धि तथा शेयर कीमतों में तेजी से स्पष्ट होता है। नियंत्रक, पूंजी निर्गम द्वारा किए गए कुल अनुमोदन/सहमतियां 1985–86 में 1,128 आवेदनों के लिए 3695 करोड़ रुपए के रहे जबकि 1984–85 में 712 आवेदनों के लिए ये 2,003 करोड़ रुपए के थे। अन्तरिम आंकड़ों के अनुसार 1985–86 में 2,300 करोड़ रुपए के नई पूंजी न केवल निर्गमित हुई वरन् वर्ष के दौरान वह लगभग 18 गुणा अत्यभिदत्त हुई जबकि 1984–85 में यह छः गुणा ही अत्यभिदत्त हुई थी ।

1.22 साधारण शेयर मूल्य सूचकांक (आधार 1980–81=100) 15 फरवरी, 1986 को सर्वाधिक 265.7 हो गया। तदुपरान्त, हालांकि, मार्च, 1986 के अन्त तक यह कम होकर 241.5 रह गया लेकिन वर्ष के दौरान इसमें 46.6% की निवल वृद्धि हुई जबकि 1984–85 में यह 27.7% थी ।

1.23 1985 में जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या 1,457 थी, यह वृद्धि 36.9% है। 1985 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या 985 थी जिनमें 8.8% की वृद्धि हुई । विदेशी सहयोग अनुमोदनों की संख्या 1985 में 1,024 रही जो पिछले वर्ष से 36.2% वृद्धि का द्योतक है। वर्ष 1985–86 के दौरान पूंजी माल निर्बाधिता 871.02 करोड़ रुपए मूल्य की रही जबकि पिछले वर्ष यह 744.84 करोड़ रुपए थी । इस प्रकार 17% वृद्धि परिलक्षित हुई ।

1.24 उत्पादन के निवेश, विस्तार और विशाखन को बढ़ाने के लिए तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए 1985–86 (जुलाई–जून) में सरकार द्वारा अनेक नीति उपायों की घोषणा की गयी ।

1.25 क्षमता उपयोग को इष्टतम करने और बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दृष्टि से और उत्पादकों को अपने उत्पाद-मिश्र को बाजार-मांग के अनुकूल बनाने के लिए ढील प्रदान करने की दृष्टि से उद्योगों के विस्तृत वर्गीकरण करने की योजना, जो पहले 20 उद्योगों पर लागू थी, वर्ष के दौरान 26 उद्योगों पर लागू कर दी गयी जिसके अन्तर्गत सिन्थेटिक फाइबर उद्योग और सिन्थेटिक फिलामेंट धागा, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड और मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड, माल रख-रखाव उपस्कर, बिजली उपस्कर, इलैक्ट्रानिक उद्योग, कांच (खोखले बर्तन), भी हैं ।

1.26 औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों का दायित्व उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया । परिशिष्ट-1 में 30 उद्योगों की सूची में सम्मिलित 23 उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार ने एम० आर० टी० पी० और एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों को लाइसेंस से छूट प्रदान की। परिशिष्ट—1 उद्योगों की सूची भी 19 और मदें जोड़ कर विस्तृत किया गया। इनमें कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित दो नई मदें भी सम्मिलित हैं अर्थात प्रमाणित उच्च उत्पाद मिश्र बीज और सिन्थेटिक बीज तथा पौधा टिशू कल्चर के माध्यम से प्रमाणित उच्च -उत्पाद पौध का विकास ।

1.27 एम० आर० टी० पी० और एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों को अधिसूचित कम विकसित क्षेत्रों/जिलों में गैर-परिशिष्ट-1 उद्योगों में प्रवेश करने के लिए अनुमति शर्तों में और ढील दी गयी । ऐसी कम्पनियों के लिए श्रेणी 'ख' और 'ग' जिलों में 50% और श्रेणी 'क' जिलों में 30% के निर्यात दायित्व को श्रेणी 'ख' और 'ग' श्रेणी जिलों की परियोजनाओं के लिए कम करके 25% कर दिया गया और श्रेणी 'क' जिलों के सम्बन्ध में पूर्णतया छूट दे दी गयी ।

1.28 सातवीं योजना अवधि के लिए नई उदार क्षमता पुनः पृष्ठांकन योजना मई, 1986 में आरम्भ की गयी । रसायन और पेट्रो-रसायन, इलेक्ट्रानिक्स, परिवहन, औषधियां और फर्मास्यूटिकल्स तथा हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों की 65 मदों के सम्बन्ध में विद्यमान उद्यमों को उत्पादन के आर्थिक स्तर प्राप्त करने के लिए उनकी सहायता करने की दृष्टि से पर्यावरणीय और एम० आर० टी० पी० प्रावधानों/अनुमोदनों के अधीन क्षमता विस्तार की अनुमति प्रदान की गयी ।

1.29 उद्योग में आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापना की गति को बढ़ाने की दृष्टि से, प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण/नवीकरण के परिणामस्वरूप लाइसेंस क्षमता के 49% तक अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति के लिए सरलीकृत प्रक्रिया की अनुमति प्रदान की गयी । ऐसे मामलों में स्थान-निर्धारण नीति प्रतिबन्ध भी लागू नहीं होने थे ।

1.30 विदेशी सहयोगों को रिकार्ड करने के लिए एक नई प्रक्रिया आरम्भ की गयी जिससे प्रक्रियात्मक विलम्ब कम-से-कम हो । नई प्रक्रिया के अनुसार, परियोजना अनुमोदन बोर्ड और विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा विदेशी सहयोग करार अनुमोदित किए जाने के बाद औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय अनुमोदन-पत्र जारी कर सकता है जो विदेशी सहयोग करार का एक हिस्सा होंगे । टेक्नोलाजी समावेशन को सुनिश्चित करने और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कम्पनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्टों में टैक्नोलाजी के समावेशन पर एक अध्याय रखें ।

1.31 नए दीर्घावधि निवेश के लिए सुस्थिर वातावरण कायम करने में सहायता प्रदान करने तथा उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने दिसम्बर, 1985 में दीर्घावधि राजकोषीय नीति की घोषणा की जिसकी अवधि सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) की अवधि से समकालीन है । इसने वार्षिक बजटों, मामले-दर-मामले भौतिक नियंत्रणों के विवेकाधीन प्रबन्ध पर निर्भरता तथा सातवीं योजना और वार्षिक बजटों के राजस्व और वित्तीय लक्ष्यों के बीच परिचालनात्मक संयोजनों को मजबूत बनाने के अनुक्रम को सुनिश्चित दिशा और सामंजस्य प्रदान किया है ।

1.32 दीर्घावधि राजकोषीय नीति के अनुसार 1986–87 के बजट में सीमा शुल्क का ढांचा पुनः बनाने का प्रयास किया गया, संशोधित मूल्य वर्धित कर (मोडवेट) आरम्भ किया गया, व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों की बजाय ब्लाक परिसम्पत्तियों पर युक्तिसंगत दर ढांचे के आधार पर मूल्य ह्रास की अनुमति प्रदान की गयी और निवेश छूट योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए निधीकरण योजना की घोषणा की गयी । इसने देशी टेक्नोलाजी को बढ़ावा देने के लिए जोखिम निधि के सम्बन्ध में भी बीजारोपड़ किया । विस्तृत रूप से धारित कम्पनियों के लिए निगमित कर की दर को कम करके 50% और समीप रूप से धारित कम्पनियों के लिए 55% कर दिया गया । कर अवकाश रियायत को भी पांच वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया । विज्ञापन व्यय पर प्रतिबन्ध भी हटा दिया गया । कम्पनियों द्वारा प्रदत्त या देय ब्याज के पूंजीकरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । वस्त्र उद्योग के लिए पहली जुलाई, 1986 से नकद क्षतिपूरक योजना नामक एक नई योजना की घोषणा की गयी । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा चलाए जाने के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि से मई, 1986 में लघु उद्योग विकास निधि स्थापित की गयी जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सामान्य निधि से 100 करोड़ रुपए का नकद योगदान भी शामिल है ।

1.33 पहली बार तीन वर्ष (1985–88) की अवधि के लिए आयात-निर्यात नीति की घोषणा की गयी ताकि नीति में निरन्तरता और स्थिरता बनी रही । नीति में आयात किए जाने के लिए आवश्यक उत्पादेयों को सरलता और शीघ्रता से प्राप्त करके उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया । नीति इस प्रकार निर्धारित की गयी कि लाइसेंसिंग कम हो, प्रक्रियाएं सरल बनाई जाएं और निर्णय लेने की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत हो । 53 मदों के आयात को मार्ग मुक्त कर दिया गया । औद्योगिक मशीनरी की 201 मदें खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कर दी गयी । आयातित कच्चा माल शुल्क रहित प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात आयात पास बुक योजना नामक नई योजना आरम्भ की गयी । प्रवासी भारतीयों को आयात के लिए विशेष सुविधाएं जारी रखी गई ।

1.34 वर्ष के दौरान सरकार ने निम्नलिखित के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए (क) संचयी अधिमान शेयरों का निर्गम, (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बांडों का निर्गम, (ग) कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना, (घ) प्रवर्तकों द्वारा जनता के पास निजी रूप से धारित शेयरों की अहस्तांतरणीयता, ताकि सार्वजनिक रूप से दिए गए शेयरों की कीमतों को कृत्रिम ढंग से बढ़ाया न जा सके । लेकिन, इसमें जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान और सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास प्रवर्तकों द्वारा बन्धक रखे गए शेयर छूट प्राप्त हैं, (ङ) उच्च टेक्नोलाजी देने वाली विदेशी फर्मों को विद्यमान औद्योगिक इकाइयों की पूंजी में 25% तक निवेश करने की अनुमति देना, (च) 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक प्रदत्त पूंजी वाली तथा स्टाक एक्सचेंज में सूचीकरण की इच्छुक कम्पनियों द्वारा क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंज के अतिरिक्त कम-से-कम एक और स्टाक एक्सचेंज में अपने शेयर सूचीबद्ध करवाना, और (छ) कुछ विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और कम्पनी विधि बोर्ड को उचित हवाला दिए गए मामलों के सिवाय शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण को अस्वीकार न करना ।

1.35 रुग्ण औद्योगिक इकाइयों से सम्बन्धित नीति को एक नया रूप दिया गया । रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 नामक एक अधिनियम पारित किया गया जिसे 8 जनवरी, 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई । यह कानून जन हित में विशेष प्रावधान बनाने के लिए तैयार किया गया, ताकि रुग्ण और सम्भवत: रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों का समय पर पता लगया जा सके तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के रूप में ज्ञात विशेषज्ञों के बोर्ड द्वारा ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में अपनाए जाने के लिए आवश्यक निवारक, सुधारक, उपचारात्मक और अन्य उपायों का तत्काल निर्धारण किया जा सके । औद्योगिक इकाइयों में रुग्णता को नियंत्रित करने के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम के निवल मूल्य के 50% या उससे अधिक कटौती की अवस्था में रुग्णता और आसन्न रुग्णता का दायित्व सम्बन्धित कम्पनी के निदेशक बोर्ड पर डाला गया है । अधिनियम में, सम्भवत: व्यवहार्य रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद समामेलन, विलयन, पुनर्निर्माण, आदि पद्धतियों के माध्यम से पुनरुद्धार करने की व्यवस्था की गयी है । औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अलावा अधिनियम में, बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक 'अपीलीय प्राधिकरण' के गठन का भी प्रावधान किया गया है । औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा अपीलीय प्राधिकरण दोनों को अधिनियम के अन्तर्गत सिविल अदालत के रूप में माना जाएगा और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अथवा अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही के रूप में माना जाएगा । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के सिवाय अन्य सभी अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव है । अधिनियम में विशेष रूप से यह भी व्यवस्था की गई है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा मंजूर की गयी योजना के परिणामस्वरूप किसी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के आधुनिकीकरण या विस्तार या किसी अन्य कम्पनी के साथ विलयन या समामेलन के सम्बन्ध में एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 में निहित कोई बात लागू नहीं होगी । अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को निदेश देने का प्राधिकार है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो निधियों में हेर-फेर अथवा कम्पनी के हितों के लिए अत्यधिक हानिकारक ढंग से कम्पनी के कार्यों के प्रबन्ध के लिए जिम्मेवार हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म को, जिसमें ऐसा व्यक्ति भागीदार हो अथवा ऐसी कम्पनी को, जिसमें ऐसा व्यक्ति निदेशक हो, दस वर्ष की अवधि के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान न करें ।

1.36 रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निजी धारण आधार पर प्रवासी भारतीयों द्वारा अधिक निवेश के लिए सक्षम रूप में व्यवहार्य रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में साधारण पूंजी के 100% तक देश-प्रत्यावर्तन की सुविधा सहित निदेशक सिद्धांत जारी किए ।

1.37 वर्ष के दौरान, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 को संशोधित किया गया जिससे राज्य वित्तीय निगमों को विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमाओं के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना समर्थ हो गया ।

1.38 चीनी उद्योग के विकास और वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने (क) चीनी विकास निधि और (ख) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की घोषणा की । अन्य बातों के साथ-साथ, चीनी विकास निधि का उपयोग चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा उनके संयंत्र और मशीनरी के पुनर्स्थापन के लिए किया जाएगा । आवश्यकता आधारित आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन प्रस्तावों के लिए सहायता को वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवर्तक अंशदान के रूप में माना जाएगा । रियायती ऋणों, जिन पर 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लगेगा, के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई करने सहति, भाऔविनि सरकार के एजेंट के रूप में परिचालन दायित्व निभाएगा । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्थापित और संचालित वस्त्र आधुनिकीकरण निधि, वस्त्र इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए आवेदनों पर विचार करने के अतिरिक्त, कमजोर इकाइयों के मामले में प्रवर्तक अंशदान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिए गए 'विशेष ऋण' की व्यवस्था पर भी विचार करता है । कमजोर इकाइयां ऐसी इकाइयां हैं जिनका निवलमूल्य नकारात्मक है अथवा संचित हानि से जिन्होंने एकदम पिछले पांच लेखांकन वर्षों के दौरान अपनी उच्चतम निवल सम्पत्ति का 50 या उससे अधिक भाग खो दिया हो । 'विशेष ऋण' पर छ: वर्ष की स्थगन-अवधि सहित 6% वार्षिक ब्याज लगेगा और आधुनिकीकरण ऋण, जिसमें संपरिवर्तन विकल्प नहीं होता, के मामले के विपरीत सम-मूल्य पर संपरिवर्तनीय है । निधि में से कमजोर इकाइयों को सहायता, वित्तपोषित संस्थाओं में प्रबन्धक-वर्ग के व्यवसायीकरण पर आधारित होगी ।

(ग) संस्थानात्मक

गतिविधियां

1.39 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्था, परियोजनाओं के मूल्यांकन में गुणात्मक सुधार लाने, अनावश्यक कार्य को कम करने और औद्योगिक इकाइयों को वचनबद्ध सहायता यथासम्भव कम से कम समय में उपलब्ध करवाई जाए और जिस प्रयोजन के लिए दी गयी है उसी के लिए उसका उपयोग किया जाए, को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाते रहे ।

परियोजना मूल्यांकन तकनीकों में सुधार

1.40 परियोजनाओं में समय और लागत में अधि-व्यय की समस्या का सामना करने और (क) प्रवर्तकों पर अधिक अनुशासन और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान गहन अनुवर्तन, (ख) उद्यमियों को सामान्य रूप में यह अहसास कराना कि

वित्तीय संस्थान अधि–व्यय को सहज रूप में स्वीकार और इसका वित्तपोषण नहीं करेंगे और (ग) अधि–व्यय के मामले में निरुत्साहन (परियोजना के लिए नहीं अपितु प्रवर्तकों के लिए) की व्यवस्था करने की दृष्टि से संस्थानों द्वारा कुछ शर्तें लगाने की आवश्यकता पर विचार किया गया जिनका लक्ष्य मूल्यांकन मापदण्ड में सुधार लाना और कार्यान्वयन अवधि के दौरान परियोजनाओं का अनुवर्तन करना है ।

साभूहिक वित्तपोषण व्यवस्था

1.41 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के परिचालनों की उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण विशेषता है परियोजनाओं का संयुक्त वित्तपोषण जिसमें अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ निकट समन्वय से सामूहिक दृष्टिकोण शामिल है और साथ ऋण के 'एक ही स्थान पर अनुमोदन' तथा 'एक ही स्थान पर वितरण' भी सुनिश्चित करना है । वर्ष के दौरान, संस्थानों के बीच बेहतर कार्य-विभाजन के लिए और आवेदनों के शीघ्र निपटान को सरल बनाने के लिए यह निश्चित किया गया कि पहली नवम्बर, 1985 से 5 करोड़ रुपए तक की पूंजी लागत वाली सभी परियोजनाओं (नई, विस्तार, विशाखन, आधुनिकीकरण, पुनर्स्थापन, आदि) का वित्तपोषण, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किसी अन्तर–संस्थानात्मक मंच पर हवाला दिए बिना या तो स्वयं उसकी ओर से अथवा अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों और बैंकों की भागीदारी में किया जा सकता है । विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं के विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त सहायता के मामले में भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा उनके अपने-अपने अग्रणी दायित्व के आधार पर या तो स्वयं उनकी ओर से अथवा किसी अन्य वित्त संस्थानों के सहयोग से प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण किया जा सकता है । केवल उन्हीं मामलों में, जिनमें सहायता अधि–व्यय के लिए हो अथवा जिन परियोजनाओं/योजनाओं की परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक हो, नई व्यवस्था के अधीन वरिष्ठ अधिकारी बैठक/अन्तर-संस्थानात्मक बैठक के अन्तर-संस्थानात्मक मंच पर विचारों के प्रारम्भिक आदान-प्रदान और अग्रणी संस्थान के नाम के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाना है ।

ऊर्जा, सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण

जांच

1.42 ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण और मानव सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित उच्च प्राथमिकता और उल्लेखनीय महत्व प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान निर्णय किया गया कि वित्तपोषित संस्थाओं पर 'ऊर्जा जांच', 'सुरक्षा जांच' और 'प्रदूषण नियंत्रण जांच' के उचित प्रणाली नियमित आधार पर चरणबद्ध ढंग से लागू की जाए ।

प्रवर्तक अंशदान के मानक

1.43 औद्योगिक इकाइयों के इक्विटी आधार को विस्तृत करने और प्रवर्तकों के जोखिम को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों के प्रवर्तकों के लिए न्यूनतम प्रवर्तक अंशदान, जो पहले परियोजना लागत के 20% से 10% तक था, को 2.5 प्रतिशतता बिन्दुओं तक बढ़ा दिया गया ।

सहकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बन्धक से छूट देना

1.44 सरकारी और राज्य क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के मामले में संस्थानों द्वारा अपनायी गयी पद्धति के अनुरूप निर्णय किया गया कि पहली दिसम्बर, 1985 से, सहकारी क्षेत्र की वित्तपोषित इकाइयों के मामले में, मामले-वार आधार पर, यदि संस्थानों को उनके द्वारा प्रदान की गयी सहायता के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार की 100% शर्त रहित गारण्टी उपलब्ध हो, स्थिर परिसम्पत्तियों के बन्धक/प्रभार के लिए आग्रह न किया जाए ।

ऋण करारों में संशोधन

1.45 (क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन से सम्बन्धित शर्तों, (ख) 'लीजिंग' आधार पर परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण या हस्तांतरण केवल वित्तीय संस्थानों के पूर्वानुमोदन से ही किए जाने और (ग) प्रत्यक्ष ऋणों के अधीन वित्तपोषित संस्थाओं से आवर्तियों का विनियोजन तर्कसंगत एवं विनिर्दिष्ट पद्धति से किए जाने की व्यवस्था करने के लिए वर्ष के दौरान मानक ऋण करार दस्तावेज में संशोधन किए गए । वर्ष की समाप्ति के समय मानक ऋण करार को और सरल करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी ।

सार्वजनिक शेयर निर्गम के लिए पूरक ऋण प्रदान करने की योजना

1.46 सार्वजनिक शेयर निर्गम के लिए पूरक ऋण प्रदान करने की योजना जो अप्रैल, 1983 में आरम्भ की गयी थी, की समीक्षा की गयी, और पहली जून, 1986 से एक संशोधित योजना लागू की गयी जिसके अधीन हामीदारी बचनबद्धता की 50% तक की राशि तक पहले छः मास के लिए 11% वार्षिक की ब्याज दर (तत्पश्चात 14% सामान्य दर) पर पूरक ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी बशर्ते कि वित्तपोषित संस्था ने मंजूर नियमित ऋण का 90% आहरण कर लिया हो और प्रवर्तकों ने अपना पूर्ण अंशदान जुटाकर लगा दिया हो ।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय

1.47 औद्योगिक परियोजनाओं को दीर्घावधि ऋण सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच की गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था । वर्ष के दौरान उक्त व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया गया तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने सम्भवतः व्यवहार्य रुग्ण इकाइयों के पुनरुत्थान के लिए पुनर्स्थापन उपाय विकसित/तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले मापदण्डों के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए । इन्होंने पुनर्स्थापन पैकेजों के निर्माण की प्रक्रिया को काफी सुगम

कर दिया और इस महत्वपूर्ण विषय में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय को और सुदृढ़ किया ।

संपरिवर्तन विकल्प

1.48 वर्ष के दौरान संपरिवर्तनीयता निदेशक सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ष के दौरान की गयी मंजूरियों के सम्बन्ध में केवल 48 मामलों में विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संपरिवर्तनीयता खण्ड निर्धारित किया गया। वर्ष के दौरान केवल 3 मामलों में संपरिवर्तनीयता अधिकार का प्रयोग किया गया और 57 मामलों में छूट प्रदान की गयी ।

1.49 संचयी रूप से, संपरिवर्तनीयता निदेशक सिद्धांतों के निर्धारण के आरम्भ से लेकर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 1,045 मामलों में संपरिवर्तित खण्ड की शर्त लगाई और 106 मामलों में संपरिवर्तनीयता विकल्प का प्रयोग किया तथा सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 403 मामलों में छूट प्रदान की ।

नामित निदेशकों की भूमिका

1.50 सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार नामित निदेशकों को, औद्योगिक इकाइयों के निवल मूल्य में क्षयण का ध्यानपूर्वक अनुवर्तन करने के लिए और यदि इकाई के निवल मूल्य का 25% भाग क्षय हो गया हो तो मामले को ध्यानपूर्वक निगरानी के लिए नामित करने वाले वित्तीय संस्थान के विशेष रूप से ध्यान में लाने के लिए कहा गया। उन्हें, इन मामलों में, जिनमें सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा बांडों/डिबेंचरों के अन्ततः विमोचन को सुविधाजनक बनाने के लिए उपाय नहीं किए गए हैं, शोधन-निधि/विमोचन आरक्षित निधि स्थापित करने के मुद्दे को उठाने के लिए भी कहा गया। संस्थानों द्वारा 'नामित निदेशकों के उपयोग के लिए निदेशक सिद्धांत' नामक लघु पुस्तिका भी तैयार की गयी जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्वाधीन में जारी की गयी ।

1.51 वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 73 वित्तपोषित संस्थाओं के निदेशक बोर्डों में नामित-निदेशक (शासकीय तथा गैर-शासकीय) नियुक्त किए। संचयी रूप से, 30 जून, 1986 तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 548 वित्तपोषित संस्थाओं के बोर्डों में 288 नामित थे। जिनमें से 125 शासकीय थे और 163 गैर-शासकीय ।

1.52 सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशक सिद्धांतों के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा गठित नामित निदेशक कक्ष उन संस्थाओं के कार्यों का अनुवर्तन करता रहा जिनमें नामित निदेशक नियुक्त किए गए हैं और इसने शासकीय तथा गैर-शासकीय दोनों प्रकार के नामित निदेशकों के साथ सम्पर्क बनाए रखा। जिन वित्तपोषित संस्थाओं की प्रदत्त शेयर पूंजी 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, उन्हें निदेशक बोर्ड की लेखा-परीक्षा उप समितियों का गठन करने के लिए कहा गया, जिनका प्रयोजन उनके द्वारा किए गए व्यय का मूल्यांकन करना है तथा अपव्यय, फिजूलखर्ची और निधियों के अपवर्तन, आदि प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगाना है।

ब्याज, आदि की दरें

1.53 वर्ष के दौरान, ब्याज की मूल उधार दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन, पहली जनवरी, 1986 से के० एफ० डब्ल्यू०, ऋणों में से जर्मन मार्क उप-ऋण तथा जर्मन मार्क आवर्ती निधि के सम्बन्ध में ब्याज की दर इस शर्त के अधीन 14% वार्षिक से कम करके 10% वार्षिक कर दी गयी कि चूक होने की स्थिति में चूक की गयी किस्तों पर सामान्य निर्धारित क्षतिपूर्ति सहित रुपया ऋणों पर लागू वर्तमान सामान्य उधार दर लगेगी ।

(ब) उद्योगों की सामान्य समीक्षा

औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति

1.54 छठी योजना अवधि में उद्योग की औसत वार्षिक विकास दर 5.9% रही। इसकी तुलना में, सातवीं योजना (1985-90) के प्रथम वर्ष 1985-86 में औद्योगिक उत्पादन की समग्र विकास दर 6.3% थी ।

1.55 1984-85 और 1985-86 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की क्षेत्रवार प्रवृत्तियां सारणी 1 में दी गयी हैं ।

सारणी 1 : औद्योगिक उत्पादन में क्षेत्रवार प्रवृत्ति
(आधार 1970=100)

अधिभार	क्षेत्र	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
		1984-85 (अप्रैल-मार्च)	1985-86 अप्रैल-मार्च)
1	2	3	4
9.7	खनन और खदान	8.0%	4.6%
81.1	निर्माण	5.5%	6.2%
9.2	बिजली	11.9%	8.5%
100.0	समस्त उद्योग	6.3%	6.3%

1.56 1985-86 में समग्र औद्योगिक विकास दर बेहतर हो सकती थी यदि खनन और खदान के क्षेत्र में विकास दर 1984-85 के 8% से कम होकर 1985-86 में 4.6% तथा बिजली के क्षेत्र में 11.9% से 8.5% न हो जाती। खनन और खदान क्षेत्र के मामले में गिरावट का मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में कोयला तथा तेल क्षेत्रों में विकास दर में कमी होना, जिसका कारण पड़ाव में कोयला भण्डारों का जमा होना और विद्यमान तेल स्रोतों से तेल का उत्पादन लगभग स्थिर हो जाना है। फिर भी छः अवस्थापना उद्योगों, जिनमें बिजली, कोयला, विक्रेय इस्पात, तेल, रिफाइनरी उत्पाद एवं सीमेंट शामिल हैं और जिनका उद्योग के सामान्य सूचकांक में 23.3% वजन है, उसकी वृद्धि 1984-85 वर्ष की तुलना में 8.2 अधिक हुई ।

1.57 प्रवृत्ति अनुसार, 1985–86 की प्रथम दो तिमाहियों के सिवाय औद्योगिक उत्पादन के सूचक का औसत स्तर 1984–85 की समकक्ष तिमाही से अधिक रहा, औद्योगिक उत्पादन के सूचक में प्रतिशत अक्तूबर-दिसम्बर, 1985 तिमाही में सर्वाधिक 8.3% रहा ।

1.58 उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 160 उद्योगों में से (औद्योगिक उत्पादन के सरकारी सूचक के अनुसार जिनका कुल भार में से लगभग 85% हिस्सा है) 1985–86 के दौरान 112 उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई और केवल 43 उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई ।

1.59 जिन उद्योगों के उत्पादन में 1984–85 के उत्पादन से 8% और उससे अधिक वृद्धि हुई, वे हैं : चीनी (9.8%), चमड़ा वस्त्र (14.0%), लिनोलियम (35.2%), कागज (10.2%), अखबारी कागज (19.9%), बाइसिकल टायर (16.0%), रबड़ फुटवियर (8.7%), नाइट्रोजिनियस उर्वरक (10.5%), फास्फेटिक उर्वरक (12.1%), आक्सीजन गैस (13.4%), पी० बी० सी० रेसिन्स (30.5%), केप्रोलेक्टम (17.2%), डिमेथिल टेरेफथेलेट (डी० एम० टी०) (42.5%), विस्कोस फिलामेंट धागा (27.5%), नायलान फिलामेंट धागा (19.3%), नायलोन टायर कार्ड (26.8%), पोलिएस्टर रेशा (8.3%), पोलिएस्टर फिलामेंट धागा (21.8%), मैलाथियन (11.7%), क्लोरेम फिनिकोल (11.9%), विटामिन 'ए' (14.9%), सिन्थेटिक डिटर्जेण्ट (15.3%), सीमेंट (9.6%), ग्राइंडिंग ह्वील्स (10.4%), विक्रेय इस्पात (13.6%), इस्पात की सिल्लियां (9.3%), अल्यूमीनियम चादरें और वृत्त (14.9%), सीसा (20.4%), जिंक (26.7%), बोल्ट, नट और रिवेट (18.0%), ट्विस्ट ड्रिल्स (27.0%), बायलर (25.2%), डीजल इंजिन–स्थावर (8.0%), धातु मशीनरी (31.6%), सीमेंट मशीनरी (65.3%), बाल एण्ड रोलर बेयरिंग (27.3%), रोड रोलर (69.3%), रेफ्रिजरेटर (1.5%), एयरकंडीशनर्स (16.2%), बिजली की मोटरें (8.2%), बिजली के पंखे (8.3%), ए० सी० एस० आर०/ए० ए० सी० बायर और केबल्स (14.8%), पी० आई० एल० सी० तारें (46.5%), स्टोरेज बैटरियां (11.6%), ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स (13.1%), यात्री कारें (18.1%), जीपें (13.9%), मोटर साइकल (39.4%), स्कूटर (48.6%), मोपेड (20.9%), तिपहिए (17.9%), क्लाक (19.4%) और जिप फास्टनर (8.5) ।

1.60 जो उद्योग 1985–86 में अपने उत्पादन में पीछे रहे और जिनकी उत्पादन विकास दर 8% और उससे अधिक नकारात्मक रही, वे हैं : सिगरेट (—11.1%), कैल्शियम कार्बाइड (—21.5%), उच्च घनत्व पोलिथिलीन (—12.6%), सिन्थेटिक रबड़ (—8.9%), विस्कोस स्टेपल रेशा (—10.0%), सेलुलोज फिल्म (—8.3%), बी० एच० सी०—तकनीकी (—11.0%), डी० डी० टी० (—32.9%), स्ट्रेप्टोमाइसिन (—21.4)%, अल्युमीनियम (—9.0%), अल्यूमीनियम ई० सी० ग्रेड (—11.8%), अल्युमीनियम निःस्रावित उत्पाद (—8.2%), तांबा कैथोड (—11.3%), हाथ के ढले हुए औजार (—29.7%), खनन मशीनरी (—10.2%), रबड़ मशीनरी (—14.6%), हवा और गैस कम्प्रेसर (—16.2%), ट्रैक्टर (—10.0%), सिलाई की मशीनें (—12.1%), बी० आई० आर०/पी० बी० सी० तारें (—11.2%) तथा रबड़ और प्लास्टिक उपांग (—17.7%) ।

क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियां

1.61 160 उद्योगों में से 148 चुनिंदा उद्योगों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, उनके उत्पादन लक्ष्यों/वार्षिक परिचालन योजनाओं के अनुसार, 1985–86 के दौरान 105 उद्योगों में क्षमता उपयोग अधिक रहा। 36 उद्योगों के सम्बन्ध में क्षमता उपयोग 1985–86 में 1984–85 से कम था और 7 उद्योगों में 1984–85 तथा 1985–86 में क्षमता उपयोग एक जैसा ही रहा । 148 उद्योगों में से 40 उद्योग अपनी संस्थापित क्षमता का 80% और अधिक सीमा तक उपयोग करने में सफल रहे। इन 40 उद्योगों में से 30 उद्योग संस्थापित क्षमता के 90% तक या उससे अधिक उपयोग करने में सफल रहे ।

1.62 1985–86 में 80% और उससे अधिक क्षमता उपयोग करने वाले पूंजी माल उद्योगों में से उल्लेखनीय हैं—सीमेंट मशीनरी, पैकेजिंग मशीनरी, डेयरी मशीनरी, वायु प्रदूषण मशीनरी, औद्योगिक बायलर, धातु–कर्मीय मशीनरी, माल रख-रखाव–उपकरण, खाद्य संसाधक मशीनरी, पावर और डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ।

1.63 मध्यवर्ती माल क्षेत्र में जीप, तिपहिए, वी और फैन बेल्ट, कार डिस्क, प्रयोगशाला कांच, पेंट एनेमल और वार्निश, सीसा आक्साइड, सिन्थेटिक रेसिन्स, नाइट्रस आक्साइड, विस्फोटक, प्रस्फोटक, आदि 80% और उससे अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त कर सके ।

1.64 उपभोक्ता माल उद्योग क्षेत्र में जो उद्योग 80% और उससे अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त कर सके, वे हैं : मोपेड, कैनवस फुटवियर, फ्लोरेसेंट ट्यूबें, घरेलू रेफ्रिजरेटर, बिजली के पंखे, खाद्य उत्पाद, बाइसिकल टायर, माचिसें, आदि ।

1.65 इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–1 में वर्ष 1985–86 के लिए 53 चुनिंदा उद्योगों की संस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग प्रतिशत तथा उनके सन्दर्भ में, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 637 वित्तपोषित संस्थाओं से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के आधार पर समकक्षी आंकड़े दिए गए हैं ।

उद्योगों की वित्तीय प्रगति

1.66 उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1985-86 में अधिकांश उद्योगों की वित्तीय स्थिति में 1984–85 में प्राप्त स्तरों से सुधार परिलक्षित हुआ जो कि पिछले दो वर्षों की अवरुद्ध और मन्द गतिविधियों की स्थिति से पूर्णतः विपरीत स्थिति है । उत्पादन तथा तदनुरूप बिक्री में काफी वृद्धि होने

से व्यापार गतिविधि में विकास परिलक्षित हुआ। फिर भी, लाभप्रदता मात्रा में अधिक सुधार नहीं हुआ और यह 1984-85 में प्राप्त स्तर पर लगभग पूर्ववत् रहा विशेषतः उन उद्योगों में जिनका, कच्चे माल, कोयले, तेल, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों तथा पावर टैरिफ में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होने से, या मूल्य ढांचा व्यवस्थित और/अथवा नियंत्रित होने से लाभप्रदता प्रभावित रही। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की वित्तपोषित संस्थाओं की कुछ बेहतर प्रगति से एक प्रकार से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की प्रगति में भी, विशेष रूप से चूकों में कमी और वसूली अनुपात में वृद्धि के रूप में सुधार परिलक्षित हुआ जैसा कि अध्याय 2 में दिए गए 1985-86 के भाऔविनि परिचालनों और कार्य-परिणामों से स्पष्ट है।

(ङ) परिप्रेक्ष्य

1.67 विश्व बैंक रिपोर्ट—1986 में दक्षिण एशियाई देशों की आर्थिक संभावनाओं का उल्लेख करते हुए भारत के संदर्भ में, विशेषकर खाद्यान्नों में इसकी आत्म-निर्भता के लिए प्रशंसात्मक उल्लेख किया गया है। देश में सन्तोषजनक खाद्यान्न भण्डारों को देखते हुए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को तीव्र करने की काफी संभावनाएं हैं और इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति दबावों पर नियंत्रण रखने में भी काफी सहायता मिलेगी।

1.68 1985-86 के दौरान निर्माणात्मक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आशा की जाती है कि राजकोषीय, मुद्रा तथा औद्योगिक नीतियों से सम्बन्धित अपनाए गए विस्तृत उपायों से 1986-87 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक उत्पादन तथा रोजगार बढ़ेगा। लेकिन तार-संचार सहित अवस्थापना क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार करना अत्यावश्यक है। समग्र रूप से औद्योगिक क्षेत्र में मांग व्यवहार, पूंजी बाजार तथा संस्थानात्मक वित्त के रुखों से 1985-86 की तुलना में 1986-87 के दौरान उद्योग का कार्य-निष्पादन बेहतर होने की सम्भावना है।

1.69 अधिक आत्म-निर्भरता, नियमित विकास और अदायगियों में नियमित सन्तुलन की सफलता बेहतर निर्यात निष्पादन पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न नीति उपायों से निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाने में मदद मिली है। इनसे उपायों का प्रभाव संभवतः 1986-87 में निर्यात वृद्धि के द्वारा परिलक्षित होगा लेकिन आयात के क्षेत्र में बहुत सूझ-बूझ से चयनात्मक नीति अपनाने की आवश्यकता है।

अध्याय 2

परिचालन एवं कार्य परिणाम

(क) भाऔविनि के कार्य

2.01 वर्ष 1985-86 में भाऔविनि के कार्यों में सर्वतोमुखी सुधार हुआ। मंजूरियां एवं संवितरण पहली बार क्रमशः 500 करोड़ रुपए एवं 400 करोड़ रुपए की सीमा पार कर गए और इनमें क्रमशः 22.6% एवं 30.2% की वृद्धि परिलक्षित हुई, वर्ष के दौरान औसत ऋण वसूली अनुपात में भी 7 प्रतिशतता बिन्दुओं की वृद्धि हुई।

आवेदनों की आवती

2.02 वर्ष 1985-86 के दौरान भाऔविनि ने संयुक्त वित्तपोषण आधार पर कुल 2,630.85 करोड़ रुपए की सहायता के लिए 373 पात्र औद्योगिक संस्थाओं के वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों पर विचार किया। 22.76 करोड़ रुपए की सहायता के लिए 9 संस्थाओं के आवेदनों को वापस लिया अथवा बन्द किया हुआ मान लिया गया और वर्ष की समाप्ति के समय, संयुक्त वित्तपोषण आधार पर, कुल 133.69 करोड़ रुपए की सहायता के लिए भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में केवल 26 संस्थाओं के आवेदन विचाराधीन थे। वर्ष के दौरान 338 संस्थाओं के अन्य सभी आवेदनों पर सहायता मंजूर की गई—94.7% मामलों में निपटान पूरी सूचना एवं आंकड़ों की प्राप्ति की तारीख से 4 माह से भी कम अवधि में किया गया।

2.03 भाऔविनि के अग्रणी दायित्व में 26 संस्थाओं के आवेदनों के अतिरिक्त, संयुक्त वित्तपोषण आधार पर 1,030.07 करोड़ रुपए की समग्र सहायता के लिए 60 संस्थाओं के आवेदन भाऔवि बैंक और भाऔसानिनि के अग्रणी दायित्व में विचाराधीन थे जिनमें भाऔविनि के भी सम्मिलित किए जाने की सम्भावना थी।

2.04 जहां तक आवेदनों की आवती का सम्बन्ध है, सिवाय मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, गोआ, दमण और दीव और लक्षदीप के भाऔविनि ने सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त किए। वित्तीय सहायता के लिए सब से अधिक आवेदन उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए और क्रमवार उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान का स्थान रहा। उद्योगवार, वर्ष के दौरान सबसे अधिक आवेदन वस्त्र उद्योग से प्राप्त हुए, और उसके पश्चात रसायन एवं रसायन उत्पाद समूह के अन्तर्गत बिजली उपकरण एवं इलेक्ट्रानिक्स, सीमेन्ट, लोहा एवं इस्पात, चीनी, धातु उत्पाद, कृत्रिम रेसिन्स एवं प्लास्टिक, आदि का स्थान रहा।

मंजूरियां एवं संवितरण

2.5 भाऔविनि के प्रत्यक्ष वित्तपोषण की सभी योजनाओं के अन्तर्गत कुल निवल मंजूरियां (दो मामलों में रद्द की गयी मंजूरियों के पश्चात) 336 औद्योगिक संस्थाओं की 365 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 579.45 करोड़ रुपए रही जिसमें कि 369.90 करोड़ रुपए के रुपया ऋण, 153.23 करोड़ रुपए के समकक्ष विदेशी मुद्रा उप-ऋण, 40.53 करोड़ रुपए की हामीदारी/प्रत्यक्ष अभिदान और 15.79 करोड़ रुपए की गारंटियां सम्मिलित थीं। ये निवल मंजूरियां पिछले वर्ष की 472.62 करोड़ रुपए की मंजूरियों से 22.6% अधिक हैं।

2.06 वर्ष 1985-86 में भाऔविनि द्वारा संवितरित कुल सहायता की राशि 413.92 करोड़ रुपए रही जिसमें कि 315.01 करोड़ रुपए के रुपया ऋण, 87.08 करोड़ रुपए के समकक्ष

विदेशी मुद्रा ऋण, 3.87 करोड़ रुपए की हामीदारियां/प्रत्यक्ष अभिदान और 7.96 करोड़ रुपए की निर्गमित गारंटियां सम्मिलित थीं। ये संवितरण वर्ष 1984–85 के 317.95 करोड़ रुपए के संवितरणों से 30.2% (22.2% की वृद्धि दर सहित) अधिक थे।

2.07 संचयी रूप से जून, 1986 की समाप्ति तक भाऔविनि द्वारा दी गयी मंजूरियां 3,231.67 करोड़ रुपए की थीं। जिनमें 2,300.11 करोड़ रुपए ऋण, 578.53 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा ऋण, 242.04 करोड़ रुपए की हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान और 110.99 करोड़ रुपए की आस्थगित अदायगियों एवं विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां सम्मिलित थीं। जून, 1986 की समाप्ति तक कुल 2379.69 करोड़ रुपए के संवितरण किए गए जिसमें 1,887.21 करोड़ रुपए के रुपया ऋण, 357.06 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा ऋण, 69.90 करोड़ रुपए की हामीदारियां एवं प्रत्यक्ष अभिदान और 65.52 करोड़ रुपए की आस्थगित अदायगियों एवं विदेशी ऋणों के लिए गारंटियां सम्मिलित थीं। 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार बकाया सहायता, ऋणी संस्थाओं द्वारा निवल पुनर्अदायगी 1,725.67 करोड़ रुपए की थी।

2.08 सारणी 2 में 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार मंजूरियों, संवितरणों एवं बकायों का उल्लेख करते हुए उस तिथि के अनुसार वर्ष 1985–86 के दौरान भाऔविनि की मंजूरियों एवं संवितरणों और संचयी कार्यों का सुविधावार वर्गीकरण दिया गया है।

सारणी 2 : मंजूरियों और संवितरणों और बकाया का सुविधा-वार वर्गीकरण (करोड़ रुपये)

सुविधा	1985–86 (जुलाई-जून)		30 जून, 1986 तक संचयी		30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार बकाया
	मंजूरियां रु०	संवितरण रु०	मंजूरियां रु०	संवितरण रु०	रु०
1	2	3	4	5	6
रुपया ऋण					
—सामान्य	293.73 (50.7)	267.88 (64.7%)	1960.65 (60.7%)	1647.41 (69.%2)	1249.73 (72.4%)
—उदार ऋण योजना	76.17% (13.1%)	47.13 (11.4%)	339.46 (10.5%)	239.80 (10.1%)	199.20 (11.5%)
विदेशी मुद्रा ऋण	153.23 (26.4%)	87.08 (21.1%)	578.53 (17.9%)	357.06 (15.0%)	200.18 (11.6%)
हामीदारियां	40.12 (6.9%)	2.89 (0.7%)	229.35 (7.1%)	58.00 (2.4%)	36.02 (2.1%)
प्रत्यक्ष अभिदान	0.41 (0.1%)	0.98 (0.2%)	12.69 (0.4%)	11.90 (0.5%)	22.66 (1.3%)
गारंटियां					
—आस्थगित अदायगियों के लिए	13.64 (2.4%)	4.97 (1.2%)	74.02 (2.3%)	37.61 (1.6%)	13.35 (0.8%)
—विदेशी ऋणों के लिए	2.15 (0.4%)	2.99 (0.7%)	36.97 (1.1%)	27.91 (1.2%)	4.53 (0.3%)
जोड़	579.45 (100.0%)	413.92 (100.0%)	3231.67 (100.0%)	2379.69 (100.0%)	1725.67 (100.0%)

टिप्पणियां : (i) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।
(ii) ऋणों/डिबेन्चरों के शेयरों में संपरिवर्तन के द्वारा अर्जित शेयरों/डिबेन्चरों के 14.66 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं।

2.09 भा० औ० वि० नि० के कार्यों की एक उभरती हुई प्रवृत्ति इसकी सहायता में विदेशी मुद्रा ऋणों में बढ़ता हुआ भाग है। पाँच वर्ष पूर्व जबकि मंजूर की गयी सहायता की प्रमाला में विदेशी मुद्रा ऋणों का भाग 10% भी नही था, वर्ष 1986 में यह 25% से अधिक हो गया। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1985–86 में मंजूर किए गए विदेशी मुद्रा

ऋणों में वृद्धि पिछले वर्ष की मंजूरियों से 25.8% अधिक थी जोकि रुपया ऋण सहायता की मंजूरियों में 25.7% की वृद्धि को भी पार कर गई। वर्ष 1985–86 के दौरान 87.08 करोड़ रुपए के समकक्ष विदेशी मुद्रा ऋण संवितरण पिछले वर्ष के 35.83 करोड़ रुपए के समकक्ष विदेशी मुद्रा ऋणों से 143.0% अधिक हुए, जो कि अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है।

गारण्टियां

2.10 3 परियोजनाओं अर्थात महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में एक 100% निर्यात-उन्मुख कताई इकाई, ट्राम्बे में एक 500 मेगावाट थर्मल पावर जनरेटिंग इकाई और उत्तर प्रदेश के जिला नैनीताल में काशीपुर में मोनो–इथलीन ग्लाइकोल के उत्पादन के लिए एक इकाई के लिए 1985–86 में आस्थगित अदायगियों और विदेशी ऋणों के लिए गारंटियों की मंजूरियां कुल 15.79 करोड़ रुपए की हुई।

भाआवित्रि की सहायता के महत्वपूर्ण पहलू

(क) नई परियोजनाओं को सहायता

2.11 वर्ष 1985-86 के दौरान भाआवित्रि द्वारा मंजूर की गई कुल सहायता का 62.4% भाग 127 नई परियोजनाओं को प्राप्त हुआ। इनमें से 15 परियोजनाओं की प्रत्येक की पूंजी लागत 3 करोड़ रुपए थी, 22 परियोजनाओं की अलग-अलग पूंजी लागत 3 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए के बीच थी, 40 परियोजनाओं की पूंजी लागत 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच थी और 50 परियोजनाएं वे थीं जिनकी पूंजी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक थीं।

(ख) आधुनिकीकरण परियोजनाओं को सहायता

2.12 आधुनिकीकरण/नवीकरण आदि के लिए सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की संख्या 101 रही जिनको उदार ऋण योजना के अन्तर्गत कुल 76.17 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई। यह आधुनिकीकरण प्रयोजनों के लिए पिछले वर्ष के दौरान उदार ऋण योजना के अन्तर्गत मंजूर किए गए 63.12 करोड़ रुपए की सहायता से 20.7% अधिक थी।

(ग) विस्तार, विशाखन और अन्य प्रयोजनों के लिए सहायता

2.13 वर्ष 1985–86 में 40 परियोजनाओं को उनके विस्तार एवं विशाखन कार्यक्रमों के लिए 61.20 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई। वर्ष 1985–86 के दौरान अन्य प्रयोजनों अर्थात परियोजनाओं की लागत, पुनर्स्थापन, योजनाओं, संतुलन उपकरणों का अभिग्रहण आदि के लिए 97 परियोजनाओं को 80.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गयी।

(घ) उपस्कर वित्त योजना के अधीन सहायता

2.14 भाआवित्रि द्वारा उपस्कर वित्त योजना के प्रारम्भ करने के बारे में पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 23 परियोजनाओं को कुल 12.57 करोड़ रुपए की हायता मंजूर की गयी थी।

(ङ) पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सहायता

2.15 वर्ष 1985-86 के दौरान अधिसूचित पिछड़े जिलों-क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए भाआवित्रि की मंजूरियां 323.57 करोड़ रुरुपए की रही जो कि कुल मंजूर सहायता का 55.8% है।

2.16 श्रेणी "क", "ख" और "ग", के अन्तर्गत पिछड़े जिलों के वर्गीकरण की संशोधित योजना के अन्तर्गत, श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र) में स्थित 40 परियोजनाओं को 91.92 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई, श्रेणी "ख" में स्थित 68 परियोजनाओं को 132.32 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई और श्रेणी "ग" में 77 परियोजनाओं को कुल 99.33 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई। अधिसूचित पिछड़े जिलों में परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई कुल सहायता में अधिसूचित पिछड़े जिलों अर्थात श्रेणी "क", "ख" और "ग" की प्रत्येक श्रेणी का प्रतिशत भाग क्रमशः 28.4%, 40.9% और 30.7% रहा।

(च) नए उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं के लिए सहायता

2.17 वर्ष के दौरान वित्तपोषित 127 नई परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं नए एवं तकनीकज्ञ उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित की गयी जिनको 20.36 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई। उपरोक्त में से दस परियोजनाएं अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित थीं जिनमें से दो श्रेणी "क" (उद्योग रहित/विशेष क्षेत्र) जिलों में है।

(छ) प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

2.18 प्रवासी भारतीयों द्वारा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने की भारत सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए भाआवित्रि ने वर्ष के दौरान प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवर्तित सात परियोजनाओं को कुल 37.05 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की।

(ज) विदेशी तकनीकी/वित्तीय सहयोग से परियोजनाओं के लिए सहायता

2.19 वर्ष के दौरान वित्तपोषित 365 परियोजनाओं में से 34 परियोजनाएं, जिनको 129.97 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गयी थी, विदेशी सहयोग और/या विदेशों से प्रौद्योगिकी अन्तरण पर आधारित थीं। उपरोक्त में से 12 परियोजनाएं वित्तीय तथा तकनीकी दोनों सहयोग पर आधारित थीं जब कि शेष 23 परियोजनाएं केवल तकनीकी सहयोग पर आधारित थी जिन देशों से और जितनी परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त की गयी वे निम्नानुसार हैं :—

जर्मन संघीय गणराज्य (12), जापान (5), इंग्लैण्ड (5), बेल्जियम (3), इटली, (3), संयुक्त राज्य अमेरिका (2) फ्रांस (2), स्वीडन (1) और बरमूडा (1)।

(झ) निर्यात उन्मुख परियोजनाओं को सहायता

2.20 वर्ष के दौरान चार 100% निर्यात-उन्मुख परियोजनाओं को 17.15 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गयी। इन परियोजनाओं के उत्पादों में सूती धागा, रेशमी वस्त्र, रूसी का तेल, डिब्बा बन्द फलों के रस आदि सम्मिलित है ।

कुछ वित्तपोषित परियोजनाओं के विशेष पहलू (1985-86)

2.21 पहली बार भाओविनि ने महिला उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित फरीदाबाद, हरियाणा में स्वचालित वाहनों के पुर्जे बनाने वाली एक परियोजना का वित्तपोषण किया। इस परियोजना का एक विशिष्ट पहलू यह है कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक सहित समग्र निदेशक बोर्ड केवल महिलाओं का है। एक अन्य परियोजना जिसको भाओविनि की पहली बार सहायता प्राप्त हुई वह बेरहाम पुर, जिला गंजम, उड़ीसा में एक चिकित्सा निदान केन्द्र की स्थापना से सम्बन्धित है जहां प्रतिदिन 60 मरीजों का निदान करने की क्षमता है। वर्ष के दौरान भाओविनि द्वारा वित्तपोषित एक अन्य परियोजना, जो कि विश्व में अपने प्रकार की सबसे बड़ी परियोजना कहलाती है, जिला संगरूर, पंजाब में स्थित एक एग्रो-फ्यूरेन परियोजना है जिसमें प्रति वर्ष 5.76 लाख टन धान से भूसी अलग करने, प्रति वर्ष 3,000 टन फरफ्यूरल और प्रति वर्ष 6,500 टन खाद्य चावल भूसी तेल का उत्पादन करने और बेकार चावल की भूसी से 10.5 मेगावाट शक्ति के जनन करने की सुविधा है। वर्ष के दौरान भाओविनि द्वारा वित्तपोषित अन्य बहुत सी परियोजनाओं में कुछ विशेष विशिष्टताएं अर्थात् उप-उत्पाद या व्यर्थ सामग्री का पूरा उपयोग करना, ईंधन दक्ष या शक्ति दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना या पहली बार देश में एक बेहतर और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रारम्भ करना आदि है ।

सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण

2.22 सारणी 3 में वर्ष के दौरान और 30 जून, 1986 तक संचयी रूप से, परियोजनाएं और उनको मंजूर की गयी सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण दिया गया है ।

सारणी 3 : मंजूर और संवितरित की गई सहायता का क्षेत्रवार वर्गीकरण (करोड़ रु०)

क्षेत्र	1985-86 (जुलाई जून)			30 जून 1986 तक संचयी		
	मंजूरियां		संवितरण	मंजूरियां		संवितरण
	परियोजनाओं की संख्या	राशि रु०		परियोजनाओं की संख्या	राशि रु०	
1	2	3	4	5	6	7
निजी	284	399.23 (68.9%)	254.19 (61.4%)	1554	2086.86 (64.6%)	1497.89 (62.9%)
संयुक्त	40	97.68 (16.9%)	69.94 (16.9%)	195	457.38 (14.1%)	296.60 (12.5%)
सरकारी	21	38.86 (6.7%)	44.83 (10.8%)	235	351.04 (10.9%)	287.09 (12.1%)
सहकारी	20	43.68 (7.5%)	44.96 (10.9%)	288	336.39 (10.4)	298.11 (12.5%)
जोड़	365	579.45 (100.0%)	413.92 (100.0%)	2272	3231.67 (100.0%)	2379.59 (100.0%)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं ।

(क) सहकारी क्षेत्र को सहायता

2.23 वर्ष के दौरान भाओविनि ने सहकारी क्षेत्र में 20 परियोजनाओं को 43.68 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की । यह सहायता सहकारी क्षेत्र में परियोजनाओं को पिछले वर्ष मंजूर की गयी 26.45 करोड़ रुपए की सहायता से 65.1% अधिक थी । वर्ष के दौरान वित्तपोषित सहकारी क्षेत्र परियोजनाओं में 13 चीनी सहकारिताएं हैं जिनको 14.79 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई, 3 वस्त्र सहकारिताएं हैं जिनको 2.87 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई और अन्य उद्योगों में 4 परियोजनाओं, अर्थात कागज, उर्वरक, कृत्रिम रेशे, रसायन

उत्पाद उद्योगों, प्रत्येक में एक-एक, को कुल 26.02 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई ।

2.24 30 जून, 1986 तक संचयी रूप से भाऔविनि ने सहकारी क्षेत्र की 288 परियोजनाओं (कुल का 10.4%) को 336.39 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की जिसमें से 298.11 करोड़ रुपए (88.6%) पहले ही संवितरित किए जा चुके थे। सारणी 4 में 30 जून 1986 तक सहकारिताओं को मंजूर और संवितरित सहायता का उद्योगवार वर्गीकरण दिया गया है ।

सारणी 4 : औद्योगिक सहकारिताओं को सहायता (1948–86)

(करोड़ रु०)

उद्योग की प्रकृति	सहकारी क्षेत्र में परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की राशि रु०	संवितरित राशि रु०
1	2	3	4
चीनी	193	206.71	191.64
सूत कताई	81	75.93	65.09
पटसन	1	0.79	0.79
कागज	4	4.45	4.25
उर्वरक	4	33.00	31.75
कृत्रिम रेशे	2	13.22	2.50
वनस्पति तेल	1	0.22	0.22
कोकोआ प्रोसेसिंग	1	1.87	1.87
रसायन	1	0.20	—
जोड़	288	336.39	298.11

2.25 औद्योगिक सहकारिताओं को भाऔविनि की सहायता का एक द्रष्टव्य पहलू यह है कि यह सहायता उन इकाइयों को प्राप्त हुई जो देश के सुदूर कोनों में स्थित है और इसने न केवल उन स्थानों, जहां पर कोई उद्योग नहीं थे, उद्योग स्थापित करने में अपितु पूरे ग्रामीण परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा प्रायः हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक सहकारिता आ जाने से सहकारी आन्दोलन में लोगों का विश्वास दृढ़ होने और देश में उद्यमियों के एक नए वर्ग से परिचय करवाने के अतिरिक्त बहुत से परिवर्तन घटित हुए हैं जैसे कि सुधरी हुई सड़कें, बेहतर सिंचाई सुविधाएं, पेय जल का प्रावधान, विद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना । विगत वर्षों में चीनी, वस्त्र, उर्वरक, पटसन, कृत्रिम रेशे, वनस्पति तेल, रसायन उत्पाद, कागज, कोको प्रोसेसिंग आदि जैसे विविध उद्योगों में सहकारिता आन्दोलन का फैलाव उपरोक्त विकास पर्याप्त साक्षी है ।

(ख) निगमित क्षेत्र को सहायता

2.26 वर्ष के दौरान 345 परियोजनाओं के लिए कुल 535.77 करोड़ रुपए की सहायता निगमित क्षेत्र को दी गई। निजी निगमित क्षेत्र, जो हमेशा भाऔविनि से सबसे अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करता रहा है, को 284 परियोजनाओं के लिए 399.23 करोड़ रुपए (कुल का 68.9%) की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई जो कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूर की गयी 331.01 करोड़ रुपए की सहायता से 20.6% अधिक है ।

2.27 वर्ष 1985-86 में संयुक्त क्षेत्र (40) और सरकारी क्षेत्र (21) परियोजनाओं को क्रमशः 97.68 करोड़ रुपए और 38.86 करोड़ रुपए की सहायता दी गयी जिसमें 73.6% और -5.2% की वृद्धि परिलक्षित हुई ।

2.28 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से भाऔविनि की कुल सहायता में निगमित क्षेत्र परियोजनाओं की सहायता का भाग 89.6% था जो निजी, संयुक्त तथा सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं में क्रमशः 64.6%, 14.1% और 10.9% बंटा था । निगमित क्षेत्र को कुल सहायता पर संचयी संवितरण 71.9% रहा ।

सहायता का उद्योग-वार प्रसार

2.29 वर्ष के दौरान और 30 जून, 1986 तक संचयी रूप से सहायता का उद्योग-वार प्रसार नीचे सारणी 5 में दिया गया है ।

सारणी 5 : सहायता का उद्योगवार प्रसार

(करोड़ रु०)

उद्योग	1985-86 (जुलाई-जून)			30 जून, 1986 तक		
	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
मूल उद्योग (अर्थात मूल धातु उद्योग, मूल अधिरासीय रसायन, उर्वरक, सीमेंट, खनन, शक्ति जनन आदि)	115	276.41	47.7	509	1,167.34	36.1

1	2	3	4	5	6	7
पूंजी माल उद्योग (अर्थात मशीनरी व उपांग, बिजली मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपस्कर आदि)	64	62.60	10.8	345	400.31	12.4
मध्यवर्ती माल उद्योग (अर्थात रसायन उत्पाद, धातु उत्पाद, अधातु खनिज उत्पाद, पटसन, टायर एवं ट्यूब आदि)	69	136.44	23.5	430	610.63	18.9
उपभोक्ता माल उद्योग (अर्थात चीनी, अन्य खाद्य उत्पाद, सूती/ऊनी वस्त्र, कागज और अन्य विविध उद्योग)	104	94.68	16.4	929	990.82	30.6
सेवा उद्योग (अर्थात होटल, जहाजरानी आदि)	13	9.32	16	59	62.57	2.0
जोड़	365	579.45	100.0	2,272	3,231.67	100.0

2.30 उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों और अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों (परिशिष्ट—1 उद्योग के रूप में विख्यात) को वर्ष के दौरान मंजूर कुल सहायता का 77.5% प्राप्त हुआ । कुल मिलाकर दशक (1976–86) के दौरान भाश्रौविनि द्वारा प्रदान की गयी सहायता का 80% से अधिक भाग उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों और अन्य चुने हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राप्त हुआ ।

2.31 जिन उद्योगों को 1985–86 के दौरान भाश्रौविनि की सहायता में विशिष्ट भाग प्राप्त हुआ वे है, रसायन और रसायन उत्पाद (13.1%), सीमेंट (10.6%), लोहा एवं इस्पात (10.4%), वस्त्र (8.4%), कृत्रिम रेशे (7.5%), उर्वरक (7.5%), बिजली जनन (7.3%), कांच (6.5%), धातु उत्पाद (4.5%), बिजली मशीनरी, उपकरण और पुर्जे (4.4%), परिवहन उपस्कर (4.0%), चीनी (3.4%), आदि ।

2.32 समग्र रूप से वस्त्र, सीमेंट और रसायन एवं रसायन उत्पाद भाश्रौविनि की सबसे अधिक सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों के रूप में उभर कर आए जिनको भाश्रौविनि की कुल सहायता का 34.4% प्राप्त हुआ और उसके बाद चीनी (8.2%), लोहा एवं इस्पात (6.4%), उर्वरक एवं कीट-नाशक (6.1%), कृत्रिम रेशे (5.9%), कागज (5.6%), परिवहन उपस्कर (4.7%), बिजली मशीनरी एवं उपकरण (4.2%), आदि का स्थान रहा ।

सहायता का राज्यवार प्रसार

2.33 वर्ष 1985–86 में और 30 जून, 1986 तक संचयी रूप से भाश्रौविनि की सहायता का राज्यवार प्रसार सारणी 6 में दिया गया है ।

सारणी 6 : सहायता का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार प्रसार (करोड़ रुपये)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1985-86 (जुलाई-जून) परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत	30 जून, 1986 तक संचयी परियोजनाओं की संख्या	मंजूर राशि रु०	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	30	33.49	5.8	200	295.80	9.1
असम	2	2.17	0.4	21	28.19	0.9
बिहार	6	7.42	1.3	63	67.36	2.1
गुजरात	44	89.61	15.5	214	363.19	11.2
हरियाणा	20	23.85	4.1	101	105.85	3.3
हिमाचल प्रदेश	8	4.95	0.9	25	32.78	1.0
जम्मू व कश्मीर	2	1.55	0.3	16	15.93	0.5
कर्नाटक	19	13.76	2.4	166	205.73	6.4

1	2	3	4	5	6	7
केरल	4	5.82	1.0	68	91.57	2.8
मध्य प्रदेश	18	25.78	4.4	86	138.00	4.3
महाराष्ट्र	46	83.99	14.5	400	487.87	15.1
मेघालय	1	0.80	0.1	3	3.54	0.1
नागालैंड	—	—	—	3	2.09	0.1
उड़ीसा	8	6.87	1.2	52	100.11	3.1
पंजाब	26	39.20	6.8	89	148.03	4.6
राजस्थान	26	46.83	8.1	103	201.86	6.2
सिक्किम	1	0.90	0.1	2	1.90	0.1
तमिलनाडु	37	49.00	8.4	194	275.41	8.5
त्रिपुरा	—	—	—	1	1.16	—
उत्तरप्रदेश	48	115.12	19.9	254	440.00	13.6
पश्चिम बंगाल . . .	11	21.93	3.8	160	163.64	5.1
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह .	—	—	—	1	0.91	—
अरूणाचल प्रदेश . . .	—	—	—	1	0.16	—
चण्डीगढ़	—	—	—	2	0.55	—
दादरा व नगर हवेली . . .	1	0.76	0.1	2	1.49	—
दिल्ली	4	4.18	0.7	23	35.46	1.1
गोवा, दमन और दीव . . .	—	—	—	11	11.76	0.4
पांडिचेरी	3	1.47	0.2	11	11.33	0.4
जोड़	365	579.45	100.00	2272	3231.67	100.0

2.34 वर्ष 1985–86 के दौरान भाग्रौविनि की सहायता प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र प्रथम तीन स्थानों पर रहे जिनको कुल सहायता में क्रमशः 19.9%, 15.5% और 14.5% भाग प्राप्त हुआ ।

2.35 पिछले वर्ष की तुलना में बिहार, हरियाणा, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और तमिलनाडु राज्य वर्ष के दौरान भाग्रौविनि की सहायता में अपने भाग में सुधार कर सके। पंजाब के मामले में सरकार से प्राप्त मार्ग-निर्देशों का पालन करते हुए भाग्रौविनि सहित केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों ने पहली जुलाई, 1985 से प्रभावी पंजाब में नए उद्योगों को उदार शर्तों पर सहायता देने के लिए प्राथमिकता व्यवहार प्रदान किया। परिणामस्वरूप भाग्रौविनि की सहायता में पंजाब का भाग पिछले वर्ष के 3.9% से बढ़कर वर्ष 1985–86 में 6.8% हो गया।

2.36 संचयी रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात भाग्रौविनि की कुल सहायता प्राप्त करने में प्रथम तीन स्थानों पर रहे। उसके बाद क्रम से आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान का स्थान रहा ।

योजनावार मंजूरियां और संवितरण

2.37 वर्ष 1985–86 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) का प्रथम वर्ष था । छठी योजना अवधि (1980–85) में भाग्रौविनि की कुल मंजूरियां और संवितरण 1533.93 करोड़ रुपए और 1119.84 करोड़ रुपए था जो कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि और उसके बाद के दो वर्षों, अर्थात 1978–79 और 1979–80 की मंजूरियों और संवितरणों से क्रमशः 159.8% और 189.2% अधिक था। सातवीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष में भाग्रौविनि की कुल मंजूरियां और संवितरण छठी योजना अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान मंजूरियों और संवितरणों से 191.6% और 209.6% अधिक थे । वस्तुतः भाग्रौविनि ने वर्ष 1985–86 में छठी योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में की गयी मंजूरियों एवं संवितरणों से भी अधिक मंजूरियां और संवितरण किए। सातवीं योजना अवधि के दौरान भाग्रौविनि का प्रयास उद्योग को वित्तीय सहायता की समुचितगति को बनाए रखना है ।

औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश के लिए स्रोत जुटाने में भाग्रौविनि की उत्प्रेरक भूमिका

2.38 वर्ष 1985–86 में भाग्रौविनि द्वारा वित्तपोषित 304 परियोजनाओं (वर्ष के दौरान, परियोजनाओं, आदि की लागत में पूर्णतः अधिव्यय के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त सहायता की मंजूरियों के 61 मामलों को छोड़कर) स्रोत प्रवृत्ति के विश्लेषण से पता चलता है कि भाग्रौविनि औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश के लिए 4,798.77 करोड़ रुपए के साधन जुटाने में सहायक रहा, जिसका विवरण सारणी 7 में दिया गया है ।

सारणी 7 भा ओ वि नि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रवृत्ति (करोड़ रुपये)

वित्तपोषित प्रवृत्ति	नई परियोजनाएं	विस्तार/विशाखन परियोजनाएं	आधुनिकीकरण परियोजनाएं	पुनर्स्थापन सन्तुलन उपस्कर आदि के लिए सहायता	जोड़
1	2	3	4	5	6
परियोजनाओं की संख्या	127	40	101	36	304
1. प्रवर्तक योगदान					
—शेयर पूंजी	914.68	8.80	16.92	0.43	940.83
	(25.6%)	(1.5%)	(3.1%)	(0.5%)	(19.6%)
—अप्रतिभूत गौण ऋण	213.88	3.79	11.70	9.25	238.62
	(6.0%)	(0.6%)	(2.1%)	(9.4%)	(5.0%)
—आन्तरिक प्रोद्भूत, आदि	187.20	97.45	120.86	20.61	426.12
	(5.2%)	(16.7%)	(22.2%)	(21.0%)	(8.9%)
2. दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात् भौऔविनि भाऔविबैंक, भाऔसानिनि, एवं भाऔपुबैंक द्वारा सहायता					
ऋण तथा डिबेंचर	1310.64	246.50	337.06	41.65	1935.85
	(36.7%)	(42.2%)	(62.0%)	(42.3%)	(40.3%)
इक्विटी सहायता	159.20	0.50	0.08	0.15	159.93
	(4.5%)	−0.1%)	(—)	(0.2%)	(3.3%)
3. निवेश संस्थानों अर्थात् जीवीनि, साबीनि और भायूट्र द्वारा सहायता					
ऋण तथा डिबेंचर	79.35	40.66	25.99	0.75	146.75
	(2.2%)	(6.9%)	(4.8%)	(0.8%)	(3.0%)
इक्विटी सहायता	11.55	(—)	(—)	(—)	11.55
	(0.3%)	(-)	(—)	(-)	(0.%3)
4. बैंकों द्वारा सहायता (दीर्घकालीन वित्त)	178.43	23.17	3.61	9.93	215.14
	(5.0%)	(4.0%)	(0.7%)	(10.1%)	(4.5%)
5. राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा सहायता	37.93	32.85	0.88	(—)	71.66
	(1.1%)	(5.6%)	(0.2%)	(—)	(1.5%)
6. अधिकारिक निर्गम	3.78	55.36	1.05	2.70	62.89
	(0.1%)	(9.5%)	(0.2%)	(2.7%)	(1.3%)
7. आस्थगित अदायगियां	0.25	0.26	0.38	(—)	0.89
	(—)	(—)	(0.1%)	(—)	(—)
8. विदेशी संस्थानों से ऋण	33.67	—	—	—	33.67
	(0.9%)	(—)	(—)	(—)	(0.7%)
9. अन्य	441.88	75.27	24.92	12.80	554.87
	−12.4%)	(12.9%)	(4.6%)	(13.0%)	(11.6%)
जोड़	3572.44	584.61	543.45	98.72	4798.77
	(100%)	(100)%)	(100%)	(100%)	(1−0%)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत के द्योतक हैं।

2. उपरोक्त में परियोजना लागत आदि में अधिव्यय को पूरा करने के लिए सहायता की मंजूरियों के मामले शामिल नहीं हैं।

2.39 संचयी रूप से भाआवित्रनि भारतीय उद्योग की अपनी सेवा के 38 वर्षों के दौरान 27,282.62 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत वाली 2,272 परियोजनाओं की सहायता कर चुका था, तथा इन्हें पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों से 24,050.95 करोड़ रुपए जुटाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाआवित्रनि का अपना योगदान 3,231.67 करोड़ रुपए था ।

"जन-हित" में की गयी मंजूरियां

2.40 वर्ष के दौरान, ऐसा कोई मामला नहीं था जहां पर भाआवित्रनि के निदेशक औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 26(2) की शर्तों के अनुसार हितबद्ध हों, और जिसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, (विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं के साथ कारोबार का व्यवहार) विनियम, 1982 की शर्तों के अनुसार "जनहित" में सहायता मंजूर करनी पड़ी हो ।

1985–86 में भाआवित्रनि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

2.41 वर्ष 1985–86 में भाआवित्रनि द्वारा वित्तपोषित 167 नई और विस्तार/विशाखन परियोजनाओं के अध्ययन से यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान मंजूर की गयी भाआवित्रनि की सहायता से व्यापक उद्योगों में अतिरिक्त क्षमताओं के सृजन होने की आशा है। उपर्युक्त परियोजनाओं से लगभग 51,662 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इन परियोजनाओं से वार्षिक उत्पादन का मूल्य अनुमानतः 3,587.67 करोड़ रुपए होगा। सकल मूल्य वृद्धि के 1,471.92 करोड़ रुपए होने की संभावना है जिससे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इन परियोजनाओं के योगदान का पता चलता है। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत विवरण परिशिष्ट–II के रूप में अनुबद्ध है ।

निवेश कार्य

2.42 वर्ष के दौरान, भाआवित्रनि ने इक्विटी तथा अधिमान शेयरों एवं डिबेंचरों के लिए 73 संस्थाओं को 40.12 करोड़ रुपए की हमीदारी मंजूर की। 6 संस्थाओं के लिए 0.41 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष अभिदान मंजूर किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुल 28.13 करोड़ रुपए की राशि के भाआवित्रनि द्वारा हमीदारीकृत शेयरों और डिबेंचरों के 70 निर्गम बिक्री के लिए बाजार में प्रस्तावित किए गए जबकि वर्ष 1984–85 में 14.76 करोड़ रुपए की राशि के शेयरों और डिबेंचरों के 49 निर्गमों का बिक्री हेतु प्रस्ताव किया गया था। हामीदारी दायित्व के अनुसार भाआवित्रनि को 3.23 करोड़ रुपए की राशि के शेयर लेने पड़े। इसके अतिरिक्त वर्ष 1985–86 में भाआवित्रनि ने 19 कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में 0.98 करोड़ रुपए का अभिदान किया जबकि 1984–85 में यह अभिदान 1.03 करोड़ रुपए था ।

निवेशों की बिक्री

2.43 पिछले वर्ष में 1.42 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री/विमोचन से 2.29 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई ।

ऋणी संस्थाओं द्वारा पुनर्भुगतान

2.44 वर्ष के दौरान ऋणी संस्थाओं द्वारा की गयी मूलधन की पुनर्भुगतान से निवल नकद प्राप्तियां 101.11 करोड़ रुपए हुई, जो कि पिछले वर्ष 67.95 करोड़ रुपए थीं इस प्रकार 48.8% की वृद्धि परिलक्षित हुई ।

वसूली और अतिदेय राशियां

2.45 वर्ष के दौरान ब्याज तथा मूलधन दोनों की वसूली दर में लगभग 7 प्रतिशत प्वाइंटों की वृद्धि हुई। जहां तक अतिदेयों का सम्बन्ध है, संकटग्रस्त संस्थाओं को दी गयी राहतों का गणन करने के बाद, वर्ष की समाप्ति पर 197 संस्थाओं की कुल अतिदेय राशियां (मूलधन के 43.81 करोड़ रुपए और ब्याज के 17.83 करोड़ रुपए को सम्मिलित करके) 61.64 करोड़ रुपए की थीं। ये अतिदेय राशियां 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार भाआवित्रनि के कुल बकाया ऋणों का लगभग 3.7% थीं जब कि 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार यह 3.9% थीं ।

2.46 वर्ष 1985–86 के अतिदेयों के उद्योग–वार विश्लेषण से पता चलता है कि 197 संस्थाओं में वस्त्र की 42, कागज की 14, चीनी की 23, धातु उत्पाद की 15 और लोहा इस्पात उद्योग की 11 संस्थाएं थीं जिन पर क्रमशः 11.11 करोड़ रुपए, 10.71 करोड़ रुपए, 9.24 करोड़ रुपए, 6.19 करोड़ रुपए और 4.47 करोड़ रुपए के अतिदेय थे। 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार कुल अतिदेयों का 67.7% भाग उपरोक्त पांच उद्योगों से सम्बन्धित था ।

पुनर्स्थापन कार्यक्रम

2.47 वर्ष के दौरान, भाआवित्रनि के पुनर्स्थापन वित्तविभाग (भूतपूर्व समस्या मामले विभाग) ने रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन और पुनर्स्थापन की सरकार की नीति के अनुरूप 12 मामलों में पुनर्स्थापन योजना बनाई, 7 मामलों में नियंत्रण हित/प्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन अनुमोदित किया/लाया गया। तीन मामलों में विलयन की योजनाएं अनुमोदित की और दो मामलों में कुछ राहतों और रियायतों पर आधारित देयों के निपटान की व्यवस्था की। दो मामलों में आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और रास्तों और रियायतों के पैकेज सहित अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी पर आधारित पुनर्स्थापन योजनाएं तैयार की गयी और 19 मामलों में भाआवित्रनि ने ऋणदाता के रूप में अपने हितों की रक्षा और बचाव करने के दृष्टिकोण से ऋणों को वापस मांग लिया। एक मामला उचित पुनर्स्थापना उपाय विकसित करने के लिए देश की प्रमुख पुनर्स्थापन एजेंसी, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के पास भेजा गया। अन्य मामलों में सम्बन्धित अग्रणी संस्थान द्वारा अन्य संस्थानों, बैंकों और सम्बन्धित एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से पुनर्स्थापन कार्यक्रमों अथवा अन्य उचित कार्रवाई करने पर विचार किया।

जा रहा है । कार्रवाई निर्धारित की जा रही है । अन्तर्निहित अव्यवहार्य इकाइयों के बारे में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट की गयी और ऐसे मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों, राज्य स्तरीय एजेंसियों और बैंकों के साथ सम्पर्क बनाए रखा गया ।

संसाधन

2.48 वर्ष 1985–86 में सहायता के संवितरण, बांडों के विमोचन उधारों की पुनर्अदायगी, ब्याज की अदायगी, लाभांश, कर और इति नकद शेष सहित कुल 758.41 करोड़ रुपए की निधियों की आवश्यकता पड़ी जो कि पिछले वर्ष की 536.16 करोड़ रुपए की निधि आवश्यकता से 41.5% अधिक है ।

2.49 निधियों की उपर्युक्त आवश्यकता निम्नलिखित द्वारा पूरी की गई (i) प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपए बढ़ाकर (ii) कराधान से पूर्व 48.81 करोड़ रुपए का लाभ अर्जन अर्जन (iii) ऋणी संस्थाओं से ऋणों की मूलधन राशि वसूलियों और निवेशों की बिक्री से 103.40 करोड़ रुपए (iv) बांडों के निर्गम द्वारा बाजार से 300.68 करोड़ रुपए का उधार (v) विदेशी मुद्रा में 150.84 करोड़ रुपए के समकक्ष उधार (vi) ब्याज अन्तर अन्य निधियों के रूप में सरकार से 2.55 करोड़ रुपए की प्राप्ति (vii) 142.13 करोड़ रुपए के इति नकद शेष ।

(क) रुपया साधन

2.50 अपने रुपया साधनों में वृद्धि करने के लिए भाआवित्रनि ने बांडों के तीन सार्वजनिक निर्गम अर्थात 9 दिसम्बर 1985 को 100.75 करोड़ रुपए के 9% बांड 9189 (बयालीसवीं सीरीज), 3 मार्च, 1986 को 36.50 करोड़ रुपए के 9% बांड 1999 (तेंतालीसवीं सीरीज) और 4 जून, 1986 को 136.50 करोड़ रुपए के 11% बांड 2001 (चौवालीसवीं सीरीज) किए । सभी तीनों निर्गमों में पूर्ण अभिदान हुआ और निर्गमों की उक्त राशियों से अधिक अनुमत्य अतिरिक्त अभिदान, सहित जिसको कि भाआवित्रनि द्वारा रोके रखा जा सकता था, वर्ष के दौरान बांडों के निर्गम द्वारा जुटाई गई कुल निधियां 300.68 करोड़ रुपए रही जब कि पिछले वर्ष के दौरान बांडों के द्वारा 248.02 करोड़ रुपए की निधियां जुटाई गई ।

(ख) विदेशी मुद्रा स्रोत

2.51 वर्ष के दौरान कृतिदांस्तल्त–फर– वाडडराफबउ (के० एफ० डब्ल्यू०), जर्मन संघीय गणराज्य ने 25 मिलियन जर्मन मार्क के 24वें ऋण का आबंटन किया जिससे कि जर्मन मार्क ऋणों की कुल राशि 327.500 मिलियन हो गयी जिस में से भाआवित्रनि ने 30 जून, 1986 तक पात्र औद्योगिक संस्थाओं को कुल 325.926 मिलियन जर्मन मार्क के उप-ऋण मंजूर किए। इसके अतिरिक्त जर्मन मार्क आवर्ती निधि मे, जो कि जर्मन मार्क उप ऋणियों से प्राप्त और के० एफ० डब्ल्यू० को उनकी पुनर्अदायगी होने तक, भारत सरकार के अनुमोदन से जर्मन मार्क में संपरिवर्तित राशियों का द्योतक है, 90.939 मिलियन जर्मन मार्क मंजूर किए गए थे। 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार के० एफ० डब्ल्यू० से भाआवित्रनि द्वारा लिए गए जर्मन मार्क ऋणों का बकाया शेष 179.588 मिलियन जर्मन मार्क था । वर्ष के दौरान 23.671 मिलियन जर्मन मार्क के समकक्ष राशि का ऋण लिया गया और 5.588 मिलियन जर्मन मार्क की राशि के ऋण की पुनर्अदायगी की गयी। 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार के० एफ० डब्ल्यू० से जर्मन मार्क में उधारों की बकाया राशि 30 जून, 1986 को तार-अन्तरण विक्रय दर पर 111.93 करोड़ रुपए के समकक्ष, 197.671 मिलियन जर्मन मार्क थी ।

2.52 वर्ष के दौरान, भाआवित्रनि ने 12 जुलाई, 1985 और 21 मार्च, 1986 को 25–25 मिलियन अमरीकी डालरों के दो ऋण जुटाए जिनकी अग्रणी व्यवस्था क्रमशः लाय्ड्स बैंक पी० एल० सी०, हांगकांग और मिडलैण्ड बैंक पी० एल० सी० लन्दन ने की थी। 12 जुलाई, 1985 को जुटाए गए 25 मिलियन अमरीकी डालर का यूरो डालर ऋण लन्दन अन्तर बैंक प्रस्तावित दर से अधिक 1/8% की दर पर और 21 मार्च, 1986 को जुटाए गए 25 मिलियन अमरीकी डालर का यूरो डालर ऋण लन्दन अन्तर बैंक प्रस्तावित दर से अधिक 1/40% की दर पर लिया गया। 30 जून, 1986 तक दोनों ऋण उपऋणियों के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हो चुके थे ।

2.53 उपर्युक्त के अतिरिक्त 5 बिलियन जापानी येन की "ख" सीरीज 1985 और 5 बिलियन जापानी येन की "ग" सीरीज 1986 के नाम से ज्ञात दो बांड निर्गम जापानी पूंजी बाजार में निजी धारण द्वारा किए गए थे, पहला इण्डस्ट्रियल बैंक आफ जापान, टोकियो द्वारा व्यवस्थित किया गया और उसकी ब्याज दर 6.9— प्रति वर्ष थी और दूसरा मित्सई बैंक लि०, टोकियो द्वारा व्यवस्थित किया गया और उसकी ब्याज दर 6.3 — प्रति वर्ष थी। ये दोनों ऋण जून, 1986 की समाप्ति तक उपऋणियों के प्रति पूरी तरफ से वचनबद्ध हो चुके थे ।

2.54 भाआवित्रनि ने 6 मई, 1986 को 7% प्रति वर्ष की कूपन दर (वास्तविक ब्याज दर 7.02% प्रति वर्ष थी क्योंकि बांड 0.25% के बट्टे पर जुटाए गए थे) पर 15 मिलियन जर्मन मार्क भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ बांड से प्राप्त राशियों में भागीदारी की। इस बांड निर्गम की पुनर्अदायगी पहली फरवरी, 1993 को एक मुश्त रूप में होनी है। यह बांड निर्गम भी 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार उपऋणियों के प्रति 8.333 मिलियन जर्मन मार्क तक वचनबद्ध हो चुका था ।

2.55 अन्तरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रचलित ब्याज की निम्नतर दर का लाभ लेने के लिए, जुलाई, 1984 में भाआवित्रनि द्वारा जुटाया गया 20 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण, जिसकी अग्रणी व्यवस्था कान्टिनेन्टल बैंक एस० ए०/एन० वी०, ब्रुसेल्स (बेल्जियम) द्वारा की गयी थी और जिस पर लन्दन अन्तर बैंक प्रस्तावित दर से अधिक 3/8% की दर पर ब्याज लगेगा, उपरोक्त पैरा 2.52 के अन्दर्गत संदर्भित

लन्दन अन्तर बैंक प्रस्तावित दर से अधिक 1/40% की ब्याज दर पर मिडलैण्ड बैंक से लिए गए 25 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण में से 4 जून, 1986 को समय पूर्व अदा कर दिया गया ।

2.56 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्राओं में संचयी वाणिज्यिक उधार 50 मिलियन अमरीकी डालर (उपरोक्त पैरा 2.55 में उल्लिखितानुसार 20 मिलियन अमरीकी डालर की समयपूर्व अदायगी गणन करने के बाद), 15 बिलियन जापानी येन और 15 मिलियन जर्मन मार्क थे ।

(ख) कार्य परिणाम

2.57 वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा और 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र वाले लेखापरीक्षित लेखों, जो कि इस रिपोर्ट के साथ अनुबद्ध है, से पता चलता है कि वर्ष 1984–85 के 42.09 करोड़ रुपए के मुकाबले इस वर्ष सकल लाभ 48.81 करोड़ रुपए हुआ जिससे कि 16.0% की वृद्धि परिलक्षित होती है। 14.63 करोड़ रुपए की कराधान व्यवस्था करने के बाद वर्ष 1985–86 में निवल लाभ 34.18 करोड़ रुपए हुआ जबकि 1984–85 में 29.31 करोड़ रुपए था । इसमें 16.6% की वृद्धि हुई ।

2.58 भाऔविनि के निदेशक बोर्ड द्वारा लाभ में से किए गए विनियोजन नीचे सारणी 8 में दिए गए हैं ।

सारणी 8 : निवल लाभ का विनियोजन (करोड़ रुपए)

	इस वर्ष (1985–86) (जुलाई–जून)		पिछला वर्ष (1984–85) (जुलाई–जून)	
1	2		3	
वर्ष के लिए निवल लाभ		34.18		29.31
विनियोजन				
निम्नलिखित को अन्तरित—				
(क) सामान्य आरक्षित निधि	9.04		8.23	
(ख) हितकारी आरक्षित निधि	1.50		0.50	
(ग) विशेष रिजर्व (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i) (viii) के अधीन;	19.50	30.04	17.76	26.49
कर्मचारी कल्याण निधि को आबंटन		0.15		0.15
लाभांश की अदायगी		3.99		2.67
जोड़		34.18		29.31

2.59 सन्तोषजनक कार्य परिणामों को देखते हुए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड ने शेयरों पर 10% प्रति वर्ष की दर से लाभांश अदा करने का अनुमोदन किया जबकि पिछले वर्ष यह 9% वार्षिक घोषित किया गया था ।

कार्य परिणामों की प्रवृत्ति

2.60 30 जून, 1986 को समाप्त वर्ष को सम्मिलित करते हुए 5 वर्षों के भाऔविनि के कार्य परिणाम सारणी 9 में संक्षेप में दिए गए हैं ।

सारणी 9: पांच वर्षों के दौरान भाग्रौविनि के कार्य-परिणाम (करोड़ रुपये)

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष				
	1982 रु०	1983 रु०	1984 रु०	1985 रु०	1986 रु०
1	2	3	4	5	6
दिए गए उधारों पर ब्याज	59.89	78.56	99.83	129.78	167.74
घटाइए : लिए गए उधारों पर लागत	40.16	51.56	65.40	85.62	119.92
निवल ब्याज राजस्व	19.73	27.00	34.43	44.16	47.82
अन्य आय	4.04	4.86	5.14	5.22	9.40
निवल आय	23.77	31.86	39.57	49.38	57.22
व्यय :					
—कार्मिक व्यय	2.60	3.09	3.57	4.44	4.85
—निवेशों से हानि	0.64	0.44	0.14	0.19	0.37
—निदेशकों तथा समिति सदस्यों के शुल्क तथा व्यय	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
—अन्य व्यय व अनुदान	1.03	1.16	1.51	2.29	2.67
—मूल्य ह्रास	0.11	0.12	0.29	0.34	0.50
सकल लाभ	19.36	27.02	34.03	42.09	48.81
कराधान	6.85	9.71	10.14	12.78	14.63
निवल लाभ	12.51	17.31	23.89	29.31	34.18
लाभांश (दर)	7.5%	8.0%	8.5%	9.0%	10.0%

2.61 उपर्युक्त से स्पष्ट है कि—

*उधार कार्यों से प्राप्त ब्याज आय में 29.3% की वृद्धि हुई ।

*"उधार लागत' में 40.1% की वृद्धि हुई ।

*"निवल आय" "सकल लाभ" और "निवल लाभ" में क्रमश: 15.9%, 16.0% और 16.6%की वृद्धि हुई ।

*"उधार लागत" जो कि 1984–85 में "उधारों पर ब्याज आय" का 66.0% थी, 1985–86 में 71.5% हो गयी ।

*निवल आय की प्रतिशतता के रूप में सकल लाभ 1985–86 में 85.3% रहा जो कि पिछले वर्ष 85.2% था ।

*निवल आय की प्रतिशतता के रूप में निवल लाभ 1985–86 में 59.7% रहा जो कि पिछले वर्ष 59.4% था ।

वित्तीय स्थिति

2.62 30 जून, 1986 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्तियों और देयताओं की स्थिति सहित पांच वर्षों के भाग्रौविनि के तुलन-पत्र के अनुसार वित्तीय स्थिति सारिणी–10 में दर्शायी गयी है ।

सारणी 10 : पांच वर्षों के दौरान भा ग्रौ वि नि की परिसंपत्तियों तथा देयताओं की स्थिति

—करोड़ रुपये

विवरण	30 जून को समाप्त वर्ष				
	1982 रु०	1983 रु०	1984 रु०	1985 रु०	1986 रु०
1	2	3	4	5	6
परिसम्पत्तियां					
नकद व बैंक शेष	47.81	39.83	53.68	142.13	208.88

1	2	3	4	5	6
निवेश					
—सहायता प्राप्त संस्थाओं में	38.31	44.60	52.25	57.16	58.68
—अन्य संस्थानों में	1.21	1.21	1.21	0.21	0.21
सहायता प्राप्त संस्थाओं को ऋण	690.82	864.73	1054.93	1307.31	1649.11
परिसर, उपकरण तथा अन्य परिसम्पतियां	26.86	34.96	44.46	65.68	93.25
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयताएं	1.21	2.40	4.11	7.87	17.88
	806.22	987.73	1210.64	1580.36	2028.01
देयताएं					
उधार					
(क) बांड	554.55	689.30	881.54	1107.00	1452.88
(ख) सरकार तथा भा औ वि बैंक से	85.25	96.60	93.24	124.70	80.51
(ग) विदेशी मुद्राओं में	51.01	59.67	62.76	94.25	169.87
चालू देयताएं और प्रावधान	40.16	46.90	49.39	92.36	110.74
निर्धारित निधियां	2.84	3.43	4 .01	4.86	6.25
स्वीकृतियों पर देयता	1.21	2.40	4.11	7.87	17.88
	735.02	898.30	1095.05	1431.04	1838.13
निम्नलिखित के रूप में निवल मूल्य					
शेयर पूंजी	20.00	22.50	27.55	35.00	45.00
रिजर्व तथा आरक्षित निधि	51.20	66.93	88.09	114.32	144.88
ऋण इक्विटी अनुपात	9.7:1	9.5:1	9.0:1	8.9:1	8.91
निवल मूल्य : निवल आय	5.7:1	5.2:1	4.8:1	5.1:1	5.6:1

लेखा परीक्षा

2.63 भाआवित्रनि के लेखों की प्रत्येक वर्ष दो लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की जाती है जिनमें से एक का नामांकन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया जाता है तथा दूसरा भाआवि बैंक से भिन्न शेयरधारियों द्वारा चुना जाता है। वर्ष 1985-86 के लिए मै० एन० एम० रायजी एण्ड कं०, सनदी लेखापाल, बम्बई, सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में भाआवि बैंक द्वारा नियुक्त किए गए । भाआवित्रनि के शेयरधारियों (भाआवि बैंक से भिन्न) ने मे० टी० आर० चड्ढा एण्ड कं०, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली को उसी अवधि के लिए लेखा-परीक्षक चुना। वर्ष 1985-86 के लिए लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट इस वर्ष के लेखे के साथ संलग्न है ।

अध्याय 3

उत्प्रेरक भूमिका—नये आयाम

भाआवित्रनि का उत्प्रेरक दायित्व

3.01 एक प्रकार से भाआवित्रनि की सभी गतिविधियां उत्प्रेरक और प्रवर्तनात्मक प्रकृति की हैं। यहां तक कि इसके परियोजना वित्तपोषण परिचालन, औद्योगिक संस्थाओं के शेयरों और प्रतिभूतियों, आदि में अभिदान करना और निवेश भी मूलतः भाआवित्रनि के उत्प्रेरक दायित्व का ही प्रतीक हैं । भाआवित्रनि द्वारा विभिन्न "सहायक उपायों" जैसे उद्यमीयता आधार को विस्तृत करना उद्योग के प्रौद्योगिकीय, आधार में सुधार, प्रबन्ध दक्षताओं के विकास तथा उन्नयन में सहायता करना, आर्थिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों में उद्योगों के प्रसार को प्रोत्साहित करना, अति लघु, लघु, सहायक तथा मध्यम स्तर के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को समुचित बल देते हुए समग्र औद्योगिक प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना, अवसर मार्गदर्शन, बाजार पहलुओं आदि से सम्बन्धित परामर्श प्रदान करने सहित औद्योगिक परियोजनाओं के उचित निरूपण, प्रवर्तन, मूल्यांकन कार्यान्वयन और परिचालन के सम्बन्ध में विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित अवस्थापना सुविधाएं बनाना, आदि के माध्यम से इसकी उत्प्रेरक भूमिका उभरकर आई है ।

3.02 औद्योगिक इकाइयों की अवधारणा अवस्था से स्थापना अवस्था तक कम लागत पर परन्तु गुणवत्तापूर्ण परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी सलाहकारी

संगठनों, प्रथम—पीढ़ी उद्यमियों को जोखिम पूंजी सहायता प्रदान कराने के लिए जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान, मानव संसाधन विकास, विशेषकर प्रबन्धकीय संवर्ग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रबन्ध विकास संस्थान, उद्यमीयता विकास आन्दोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य के लिए भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान की स्थापना द्वारा और देश के आर्थिक विकास में लगे हुए विभिन्न अन्य संगठनों को धन उपलब्ध कराने जैसी सभी ऐसी गतिविधियां हैं जो भाग्रौविनि के उत्प्रेरक दायित्व को अपने आप मुखरित करती हैं, जिनको निगम या तो अपने आप स्वयं, अथवा अन्य राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों के समीप सहयोग से चला रहा है।

3.03 भाग्रौविनि, के उत्प्रेरक दायित्व में मर्चेन्ट बैंकिंग सुविधाओं का प्रदान किया जाना, अवसर मार्गदर्शन और नए उद्यमियों को परामर्श प्रदान करना तथा इसकी उपस्कर वित्त तथा लीजिंग योजनाओं के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराना अन्य कुछ नए आयाम हैं जिन्हें इसकी गतिविधियों में अब जोड़ा जा रहा है। औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1985 के पारित हो जाने से भाग्रौविनि सेवा क्षेत्र, विशेषकर इंजीनियरिंग, तकनीकी, वित्तीय, विपणन और प्रबन्ध सेवाएं चिकित्सा स्वास्थ्य और संवर्गीय सेवाएं एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तथा इलैक्ट्रानिक्स से सम्बन्धित सेवाओं के क्षेत्र में भी वित्त प्रदान करने में समर्थ हो सकेगा।

प्रवर्तन गतिविधियां – समीक्षा

3.04 वर्ष 1985–86 में भाग्रौविनि की प्रवर्तन गतिविधियों का मुख्य जोर, तकनीकी सलाहकारी संगठनों, उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करना और लघु क्षेत्र की इकाइयों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई प्रवर्तन योजनाओं का प्रारम्भ करना, अति लघु, लघु क्षेत्र तथा सहायक औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, प्रदूषण नियन्त्रण आदि, महिला उद्यमियों को ब्याज उप-सहायता प्रदान करना, आन्तरिक अनुसन्धान और विकास प्रयासों आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास के लिए उदार ऋण सहायता प्रदान कराने पर रहा है।

3.05. आगामी पृष्ठों पर सारणी 11 और 12 में भाग्रौविनी द्वारा इसकी प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उपयोग की गई राशि तथा जिन स्रोतों से इसे जुटाया गया, उनका ब्यौरा दिया गया है।

प्रवर्तन योजनाएं

3.06. वर्ष के दौरान चार नई प्रवर्तन योजनाएं जोड़ी गई जबकि विद्यमान योजनाओं को काफी उदार बनाया गया और इन्हें सुधारा गया जिसके परिणामस्वरूप भाग्रौविनी वर्ष के समापन पर निम्नलिखित ग्यारह प्रवर्तन योजनाएं चला रहा था :

सलाहकारी शुल्क उप-सहायता योजनाएं

—व्यवहार्यता अध्ययन, आदि की लागत की पूरा करने के लिए ग्रामीण, कुटीर, अति लघु और लघु क्षेत्र के लघु उद्यमियों को उप-सहायता योजना

—सहायक और लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवर्तन करने के लिए उप-सहायता योजना

—बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण आदि लागत को पूरा करने के लिए नए उद्यमियों को उप-सहायता योजना

सारणी 11 : प्रवर्तन गतिविधियों पर भाग्रौविनि द्वारा उपयोग की गई राशि

(रुपये लाखों में)

भाग्रौविनि द्वारा सहायता प्रदान की गई गतिविधियों का स्वरूप	1985–86 (जुलाई–जून)		30 जून, 1986 तक संचयी	
	राशि रुपये		राशि रुपये	
1	2		3	
(i) प्रवर्तन योजनाएं				
—उप–सहायता	37.28		199.00	
–ऋण सहायता	23.50	60.78	23.50	222.50
(ii) औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण उद्योग रहित जिलों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए		1.51		8.16
(iii) तकनीकी सलाहकारी संगठनों के लिए सहायता				
—तकनीकी सलाहकारी संगठन	3.42		55.78	
—औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका	0.21	3.63	0.43	56.21

1		2		3
(iv) जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के माध्यम से जोखिम पूंजी सहायता के लिए इमदाद		169.06		769.92
(v) प्रबन्ध विकास संस्थान आदि की प्रबन्ध विकास गतिविधियों के लिए मदद		18.73		481.09
(vi) उद्यमीयता विकास के लिए सहायता				
—उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों की लागत में हिस्सेदारी .	11.29		17.98	
—भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान की सहायता . .	5.00	16.29	42.75	60.73
(vii) अनुसंधान आदि का प्रवर्तन				
—भाऔविनि पीठें	0.60		23.28	
—विशेष अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट आदि .	0.64		10.63	
—इण्डियन इकानामिक्स जर्नल की सहायता . .	0.05	1.29	0.10	34.01
(viii) अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों के लिए सहायता				
—ग्रामीण विकास पर अन्तरराष्ट्रीय प्रतिपादन	—		1.00	
—गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुसन्धान और सूचना व्यवस्था	1.00		2.00	
—विश्व आर्थिक कांग्रेस	4.00	5.00	4.00	7.00
(ix) पुनश्चर्या कार्यक्रम और राज्य स्तरीय संस्थानों को सहायता .		—		4.30
(x) अन्य		—		59.36
जोड़		276.29		1,703.28

*परियोजना के प्रत्यक्ष वित्त के लिए प्रयुक्त

सारणी 12 : भाऔविनि की प्रवर्तन गतिविधियों के लिये वित्तीय स्रोत (रुपये लाखों में)

निधि	1985-86 (जुलाई-जून) राशि रुपये	30 जून, 1986 तक संचयी राशि रुपये
1	2	3
1 हितकारी आरक्षित निधि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन भाऔविनि के लाभों में से बनाया गया)	24.50	315.96
2 ब्याज अन्तर-अन्य निधियां (भाऔविनि, क्रेदितांस्तल्त फर वाइरफबउ, भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के बीच हुए करारों की शर्तों के अधीन के०एफ०डब्ल्यू० ऋणों के लिए भाऔविनि द्वारा अदा किए गए ब्याज में से भारत सरकार से प्राप्त धन के द्योतक है)	251.79	1,387.32
जोड़	276.29	1,703.28

—लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बाजार सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उप-सहायता योजना

—अति लघु तथा लघु क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए उप-सहायता योजना

—अति लघु, लघु और सहायक इकाइयों के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उप-सहायता योजना

—लघु और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकइयों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उप-सहायता योजना

ब्याज उप-सहायता योजनाएं

—बेरोजगार युवा व्यक्तियों के स्व-विकास और स्व-नियोजन के लिए ब्याज उप-सहायता योजना

—महिला उद्यमियों के लिए ब्याज उप-सहायता योजना

—देशी तकनीक के ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उप-सहायता योजना

सहायक योजना

—आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से टेक्नोलाजी विकास के लिए सहायता योजना

3.07 सामूहिक शुल्क उप-सहायता योजनाओं का उद्देश्य तकनीकी सलाहकारी संगठनों के माध्यम से अति लघु, लघु क्षेत्र तथा सहायक क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को कम दर पर सामूहिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। ब्याज उप-सहायता योजनाओं का लक्ष्य बेरोजगार युवाओं तथा महिलाओं को राज्य वित्तीय निगमों से वित्तीय सहायता के माध्यम से औद्योगिक उद्यम प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। भाओविनी ऐसे उद्यमियों के लिये राज्य वित्तीय निगम ऋण सहायता के ब्याज को, निर्धारित सीमाओं के अन्दर पहले वर्ष के लिए वहन करता है।

3.08 इसी भांति यदि परियोजना देश में ही विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक आधार पर पहली बार उपयोग किए जाने पर आधारित है तो भाओविनी ऐसी परियोजनाओं को परिचालन के प्रारम्भिक वर्ष में काफी राहत प्रदान करता है। इस सहायता योजना के अधीन विद्यमान औद्योगिक परियोजनाओं को आन्तरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से तकनीक का विकास करने के लिए 11 प्रतिशत वार्षिक की दर पर उदार ऋण सहायता प्रदान की जाती है ताकि मध्यम और लघु क्षेत्र के उद्योगों में न केवल समग्र प्रतिस्पर्धा विकसित हो अपितु इससे इनकी बाजारों में भी प्रति स्पर्धा में सुधार हो सके।

प्रवर्तन योजना के अधीन उप-सहायता और ऋण देने के माध्यम से सहायता प्रदान करना

3.09 वर्ष के दौरान भाओविनी ने अपनी प्रवर्तन योजनाओं के अधीन 37.28 लाख रुपये की उप-सहायता का संवितरण किया, जिससे 911 परियोजनाओं को लाभ प्राप्त हुआ जिनमें अधिकतर लघु और सहायक उद्योग क्षेत्र की हैं। एक फर्मास्यूटिकल कम्पनी को मध्यवर्ती अनुसन्धान स्ट्रोयड्स अनुसन्धान और फर्मास्यूटिकल फार्मूलेशन अनुसंधान के क्षेत्र में आन्तरिक अनुसन्धान और विकास योजनाओं के आंशिक वित्तपोषण के लिए 23.50 लाख रुपयें की ऋण सहायगा दी है। संचयी रूप में, 30 जून, 1986 तक भाओविनी द्वारा इसकी प्रवर्तन योजनाओं के अधीन उप-सहायता ऋणों के रूप में 222.50 लाख रुपयें की सहायता का संवितरण किया गया, जिससे 4,048 औद्योगिक इकाइयां लाभान्वित हुई जिनमें से अधिकतर लघु और सहायक औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित थी।

औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षणों के लिए सहायता

3.10 उद्योग रहित/विशेष खण्ड जिलों के लिए संस्थागत गहन विकास प्रयास कार्यक्रम के अधीन पिछले वर्ष तक 30 उद्योग रहित जिलों के लिए औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके थे। वर्ष के दौरान भाओविनी सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा छः तकनीकी सलाहकारी संगठनों को 17 और उद्योग रहित जिलों/विशेष खण्ड जिलों में औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1985–86 की समाप्ति तक तकनीकी सलाहकारी संगठनों से 44 उद्योग रहित जिलों/विशेष खण्ड जिलों के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी थीं, जिनके आधार पर 34 उद्योग रहित जिलों/विशेषखण्ड जिलों के सम्बन्ध में 97 परियोजना विचारों को भाओविनि बैंक, भाओविनी एवं भाओसानिनि के वरिष्ठ अधिकारियों की एक छानबीन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, जनमें से 294.38 करोड़ रुपयें का निवेश होने तथा 15,600 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इन परियोजना विचारों को आवश्यक कार्यान्वयन के लिए सम्बंधित राज्य सरकारों/राज्य स्तर की प्रवर्तन एजेंन्सियों को भेज दिया गया है।

तकनीकी सलाहकारी सेवाओं के लिए सहायता

(क) तकनीकी सलाहकारी संगठन

3.11 जून, 1986 की समाप्ति तक, 17 तकनीकी सलाहकारी संगठन—भाओविबैंक के अग्रणी दायित्व में 8, भाओविनी के अग्रणी दायित्व में 5, भाओसानिनि के अग्रणी दायित्व में 3 और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित एक–विशेषकर ग्रामीण, अति लघु, लघु और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों, उद्यमियों, राज्य सरकारों, राज्य स्तर की वित्तीय और प्रवर्तन एजेंन्सियों आदि को परामर्श के क्षेत्र में विस्तृत सेवाएं प्रदान कर रहे थें। इन तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने कुल मिलाकर 1985–86 के दौरान 2,786 दत्तकार्य पूरे किए और संचयी रूप से 30 जून, 1986 तक 19,868 दत्तकार्य पूरे किए गए जिनका विवरण नीचे सारणी 13 में दिया गया है। यह तकनीकी सलाहकारी संगठनों द्वारा ग्रामीण, अति लघु तथा लघु–मध्यम स्तर की औद्योगिक परियोजनाओं को सामूहिक सेवाओं के क्षेत्र में स्थापित किए गए प्रभाव का प्रमाण है।

सारणी 13 : सभी तकनीकी संगठनों की प्रगति का सार

दत्तकार्यों की प्रकृति	पूरे किए गए दत्तकार्यों की संख्या	
	1985–86 (जुलाई–जून)	प्रत्येक तकनीकी सलाहकारी संगठन के आरम्भ से 30 जून, 1986 तक तथा
1	2	3
I. निवेश–पूर्व सलाहकारी दत्तकार्य		
—व्यवहार्यता, व्यवहार्यता–पूर्व अध्ययन/परियोजना रिपोर्ट	1401	8226
—औद्योगिक सम्भावना/क्षेत्र विकास सर्वेक्षण	44	382
—बाजार सर्वेक्षण	95	325
—परियोजना रूपरेखा	740	6658
—प्रारम्भिक तथ्य निरूपण अध्ययन	7	86
—मूल्यांकन	105	959
—अन्य	184	1442
उप जोड़ (I)	2576	18078
निवेश–पश्चात् सलाहकारी दत्तकार्य		
—निदानात्मक अध्ययन	53	619
—रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन	72	331
—अन्य	61	798
उप जोड़ (II)	186	1748
III टर्नकी दत्तकार्य/कार्यात्मक औद्योगिक काम्पलैक्स, आदि	24	42
उप जोड़ (III)	24	42
कुल जोड़ (I+II+III)	2786	19868

3.12 उद्यमीयता विकास के क्षेत्र में राज्यों के अधिकतर तकनीकी सलाहकारी संगठन उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के रूप में कार्य करते रहे हैं । सभी तकनीकी सलाहकारी संगठनों ने 30 जून, 1986 तक कुल मिलाकर 449 उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जिनसे 13,032 नए उद्यमी लाभान्वित हुए और इन्होंने उनको निरूपित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परामर्श तथा प्रसार सेवाएं उपलब्ध कराई हैं ।

3.13 वर्ष के दौरान भाओविनि का तकनीकी सलाहकारी संगठनों की सेवाओं के गुणात्मक पहलुओं में सुधार करने, उचित बोध का विकास करने और सातवीं योजना अवधि के साथ सह-सामंजस्य के अनुरूप उनकी निगमित परियोजनाओं की संरचना करने में सहायता करने और विशेषकर ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्रों में उद्योगों की वृद्धि और विकास में इसके लक्ष्यों को पूरा करने पर लगातार जोर रहा ।

(ख) औद्योगिक परामर्शदाताओं की निर्देशिका

3.14 भाओविबैंक, भाओविनि तथा भाओसानिनि के सामूहिक प्रयास के माध्यम से औद्योगिक तथा प्रबन्ध परामर्शदाताओं की एक निर्देशिका निकाली गयी थी जिससे उद्यमियों और औद्योगिक इकाइयों को परामर्श तथा अन्य दत्त कार्यों के लिए उचित प्रकार के परामर्शदाताओं के चयन करने में सहायता मिल सके । भाओविबैंक द्वारा प्रकाशित इस निर्देशिका में विशेषज्ञता क्षेत्र सहित 502 औद्योगिक, तकनीकी तथा प्रबन्ध परामर्शदाताओं के पूरे विवरण दिए गए है । वर्ष के दौरान यह निर्देशिका न केवल अद्यतन की गयी अपितु इसको और बेहतर बनाया गया और इसमें 75 परामर्शदाताओं की और सूची जोड़ी गई जिससे निर्देशिका में सूचीबद्ध परामर्शदाताओं की कुल संख्या 577 हो गयी ।

जोखिम पूंजी वित्त के लिए सहायता

3.15 भाग्रौविनि द्वारा 1975 में परिवर्तित जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक (उद्यमियों की संख्या के आधार पर) की सीमा के भीतर प्रथम पीढ़ी के नए उद्यमियों को ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने में अपनी सेवा का एक दशक पूरा कर लिया । इसके द्वारा उद्यमकर्ता मध्यम स्तर की औद्योगिक परियोजनाओं को लगाने के सम्बन्ध में प्रवर्तक योगदान के हिस्से को पूरा करने में समर्थ रहे हैं । सारणी 14 में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष, इसके बाद 30 जून, 1986 को समाप्त हुए अर्ध वर्ष की अवधि तथा इसके प्रारम्भ से लेकर 30 जून, 1986 तक के लिए संचयी आंकड़ों का विहंगम दृश्य दिखाया गया है ।

सारणी 14 : जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की मंजूरियां और संवितरण

जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की जोखिम पूंजी सहायता से सम्बन्धित विवरण	1985 (जनवरी–दिसम्बर)	1986 (जनवरी–जून)	30 जून, 1986 तक संचयी
1	2	3	4
(i) मंजूर की गई परियोजनाएं (संख्या)	19	7	101
(ii) उपर्युक्त (i) से सम्बंन्धित उद्यमी (संख्या)	33	12	170
(iii) निवल मंजूरियां (लाख रुपये) . .	238.87	97.00	1026.34
(iv) संवितरण (लाख रुपये) . . .	173.50	152.87	778.34

3.16 यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि जोखिम पूंजी प्रदिष्ठान न होता तो व्यावसायिक कौशल और तकनीकी दक्षता के बावजूद भी संभवत: 170 उद्यमी देश के औद्योगिक क्षितिज पर न उतर पाते। यह उद्यमी जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान द्वारा उनके अपने साधनों को पूरा करने के लिए सहायता दिए जाने के फलस्वरूप ही औद्योगिक परियोजनाएं लगाने में समर्थ हुए हैं। जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान ने इन उद्यमियों की "सफल गाथाएं" निकालने का निर्णय लिया है ताकि प्रथम पीढ़ी के अन्य उद्यमियों को भी उत्प्रेरित किया जा सके जो कि अभी तक उद्यमी बनने का स्वप्न ही देख रहे हैं।

3.17 वर्ष के दौरान जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के कार्यों की मुख्य बातों में इसके द्वारा 3 करोड़ रुपए, परन्तु 2 करोड़ रुपए से कम नहीं, से कम की लागत परिधि में आने वाली परियोजनाओं को लगाने के लिए उद्यमियों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लेना है और आवेदन शुल्क आभारित करने की पहले से चली आ रही प्रथा तथा लाभ भोगियों द्वारा उनकी दी गयी सहायता के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उनके जीवन पर ली गयी बन्धक विमोच्य बीमा पालिसियां लेने को समाप्त करने के निर्णय हैं। जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के कार्यों का अन्य उल्लेखनीय पहलू वर्ष 1985 के दौरान इसके संवितरणों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि है और यह भाग्रौविनि द्वारा इसे प्रदान की गयी उन्मुक्त निधियों के कारण संभव हुआ है। 30 जून, 1986 तक भाग्रौविनि ने जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को 900 लाख रुपए की राशि की स्रोत सहायता प्रदान की जिसमें से 760 लाख रुपए संवितरित किए जा चुके थे ।

प्रौद्योगिकी वित्त योजना

3.18 भाग्रौविनि की पिछले वर्ष की रिपोर्ट में जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के माध्यम से प्रौद्योगिकी वित्तपोषण के लिए एक गहन योजना बनाने के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था। वर्ष के दौरान इस योजना का खाका तैयार किया गया और जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान को 10 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी से एक कम्पनी में संपरिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, जिसका लक्ष्य न केवल जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान के विद्यमान कार्यों को चालू रखना है अपितु पहली जनवरी, 1987 से प्रौद्योगिकी विकास और वित्त योजना के कार्य को भी प्रारम्भ करना है ।

3.19 प्रौद्योगिकी विकास और वित्त की संरचित की गयी योजना का लक्ष्य निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करना है—

— आन्तरिक अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से प्रयोगशाला से वाणिज्यिक स्तर पर देशी प्रौद्योगिकी का विकास/उपयोग;

— नए उत्पादों अथवा नई प्रतियाओं अथवा विद्यमान उत्पादों की गुणवत्ता अथवा विद्यमान प्रक्रियाओं की कार्य-कुशलता में सुधार के लिए भारत में विकसित देशी तकनीकी का वाणिज्यिक आधार पर शोषण;

— विद्यमान औद्योगिक इकाइयों में आन्तरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं का संस्थापन तथा इन्हें प्राप्त करना ताकि उत्पादन प्रक्रियाओं अथवा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो सके अथवा उत्पादन लागत में कमी हो अथवा इससे ऊर्जा संरक्षण अथवा प्रदूषण नियंत्रण में सहायता मिले;

— नई प्रक्रियाओं अथवा उत्पादों की मार्केटिंग/नए उत्पादों के लिए आवश्यकता आधारित परीक्षण अथवा विज्ञापन व्यय;

— जिन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है अथवा अद्यतन नहीं है उन क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयों द्वारा

बाहर से उचित प्रौद्योगिकी का आयात अथवा नई प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण;

— उत्पादन लागतों को कम करने एवं उद्योग की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए अयातित प्रौद्योगिकी को गहन करना और उसमें सुधार;

— संभावित प्रौद्योगिकी सुधार के लिए जो किसी विशेष उत्पाद के लिए आधारभूत हैं और केवल मात्र अनुषंगी नहीं हैं उनके सम्बन्ध में आवश्यकता आधारित आधार पर अनुसंधान और विकास कार्मिकों को भारत में अथवा बाहर प्रशिक्षण के लिए विदेशी विशेषज्ञों और तकनीकी सलाहकारों का व्यय उठाना।

3.20 प्रारम्भ में यह योजना कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित सभी लिमिटेड कम्पनियों (एम० आर० टी० पी०/फेरा अथवा शत प्रतिशत सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों अथवा सांविधिक निगमों को छोड़कर) अथवा सहकारी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों पर लागू किए जाने का प्रस्ताव है

3.21 योजना के अधीन यह सहायता (क) पारम्परिक ऋणों (नियमित ऋण जिन्हें निधारित पुनर्भदायगी अनुसूची अथवा कुछ पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप पुनर्भदा किया जाना है) और (ख) सशर्त ऋणों (जिनमें परियोजना प्रवर्तकों के साथ लाभ और जोखिम भागीदारी की व्यवस्था का प्रावधान है और यदि परियोजना सफल होती है तो इनकी पुनर्भदायगी सामान्यत: बिक्री राजस्व से रायल्टी अदायगियों के माध्यम से होगी और इसमें ऋणों पर एक उचित प्रतिफल भी लिया जायेगा और यदि परियोजना सफल नहीं होती है तो मूलधन के एक अंश की ही वसूली की जाएगी) अथवा (ग) शेयरों आदि के उचित पुन: क्रय अथवा बाजार बिक्री व्यवस्था सहित कम्पनी के शेयरों में प्रत्यक्ष निवेश के रूप में इक्विटी निवेश।

3.22 योजना के सम्बन्ध में की जाने वाली औपचारिकताओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसके बाद यह औद्योगिक प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक सिद्ध होगी जिससे न केवल देश में विद्यमान प्रौद्योगिकी आधार को सुधारने में अपितु विद्यमान उद्योगों की अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धासुदृढ़ करने में भी सहायता मिल सकेगी।

प्रबन्ध विकास संस्थान के लिए सहायता

3.23 देश के प्रबन्धकीय स्रोतों का विकास करने तथा कल की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आज के प्रबन्धकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अपने विकास बैंकिंग केन्द्र सहित प्रबन्ध विकास संस्थान लगातार आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा जिनमें विभिन्न उद्योगों की विशेष आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विशिष्ट क्षेत्रों में भी अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करने में प्रबन्ध विकास संस्थान का योगदान भी कम नहीं है।

3.24 वर्ष केन्द्र दौरान प्रबन्ध विकास संस्थान के निष्पादन की उल्लेखनीय बातों में—भारत सरकार के वाणिज्य और प्रशिक्षण विभाग के अनुग्रह पर अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए "आवश्यकता अनुसार पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" तथा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमियों के लिए "इन-कम्पनी प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित करना महत्वपूर्ण है। वर्ष के दौरान यूगोस्लाविया के पब्लिक उद्यमियों के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र तथा सरकारी उद्यम ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से सरकारी उद्यमों के लिए वरिष्ठ प्रबन्धक–वर्ग कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रबन्ध विकास संस्थान ने निदेशकों के एक गोल मेज सम्मेलन का भी आयोजन किया जिसका लक्ष्य निगमित क्षेत्र के उद्यमों के बोर्डों में निदेशकों की प्रभावशीलता को सुधारना था।

3.25 वर्ष 1985 तथा 30 जून, 1986 को समाप्त हुई 6 मास की अवधि के दौरान प्रबन्ध विकास संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की संख्या क्रमश: 94 और 37 रही जिनमें 2,845 भागीदारों ने हिस्सा लिया। संचयी रूप से प्रबन्ध विकास संस्थान ने 30 जून, 1986 तक 713 प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनसे 17,512 भागीदार लाभान्वित हुए और जिनमें से 536 भागीदार अन्य विकासशील राष्ट्रों से थे। 30 जून, 1986 तक प्रबन्ध विकास संस्थान को भाआवित्तनि की वित्तीय सहायता 481.09 लाख रुपए रही। भाआवित्तनि ने सिद्धांत रूप में प्रबन्ध विकास संस्थान के लिए (क) कम्प्यूटर केन्द्र लगाने (ख) पावर जनरेटिंग सेट खरीदने और (ग) प्रबन्ध विकास संस्थान, गुड़गांव (हरियाणा) के विशाल प्रांगण भवन निर्माण कार्य के दूसरे चरण को आरम्भ करने के लिए भी वित्तीय सहायता देने के लिए सहमति प्रदान की है।

उद्यमीयता विकास के लिए ससायदा

3.26 नए उद्यमियों के उद्दीपन के लिए उद्यमीयता विकास की गति में तेजी लाने की दृष्टि से भाआवित्तनि लगातार (क) तकनीकी सलाहकारी संगठनों तथा समग्र राष्ट्र में विभिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों, (ख) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमीयता विकास बोर्ड के तत्वाधान के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के आयोजन, (ग) भारत के उद्यमीयता विकास संस्थान—अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित एक शिखर स्तर का संस्थान और (घ) उद्यमीयता विकास के लिए राज्य/क्षेत्र स्तर के केन्द्रों /संस्थानों, को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान कर रहा है।

3.27 1985–86 में लगभग 4,100 उद्यमियों के विकास के लिए 147 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों हेतु मंजूर की गयी कुल वित्तीय सहायता में से भाआवित्तनि का योगदान 11.29 लाख रुपए रहा, जो अब तक सर्वाधिक है। वर्ष के दौरान भाआवित्तनि द्वारा वित्तपोषित बहुत से उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों में से, मध्य प्रदेश तकनीकी सलाहकारी संगठन द्वारा भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए आयोजित तथा पंजाब को गए हुए दंगा पीड़ित परिवारों के लिए उत्तर-भारत तकनीकी सलाहकारी संगठन लिमिटेड द्वारा आयोजित उद्यमी विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा सकता है। विशिष्ट लक्ष्य समूह जैसे

महिला उद्यमियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पृष्ठ-भूमि वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों आदि सहित ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े वर्गों के उद्यमियों के लिए उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को धन उपलब्ध कराने में महत्व प्रदान किया गया ।

3.28 भाग्रौविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रवर्तित भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अति आवश्यक व्यावसायिक रूप से दक्ष तथा कुशलता की दृष्टि से सक्षम प्रशिक्षक प्रेरकों को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसके फलस्वरूप तीन प्रतिष्ठित शिक्षक कार्यक्रम आयोजित किए और इसने देश के विभिन्न केन्द्रों पर कुल मिलाकर 19 उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें से आठ प्रदर्शन कार्यक्रमों के रूप में आयोजित किए गए। विकासशील राष्ट्रों के लिए उद्यमीयता विकास पर दो अन्तर-क्षेत्रीय कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। वर्ष के दौरान भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान ने अपनी "स्वनिर्मित उभरते हुए उद्यमी अध्ययन" राष्ट्रव्यापी अनुसंधान परियोजना पर उल्लेखनीय कार्य किया और उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप जनित सफल उद्यमियों पर विभिन्न वीडियो फिल्में तैयार की जो कि उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों के अधीन उपलब्धता प्रेरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में सहायक सिद्ध होंगी।

3.29 उद्यमीयता विकास आन्दोलन के गति प्राप्त कर लेने से बहुत से राज्य अब उद्यमीय विकास के लिए राज्य स्तरीय केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना द्वारा उद्यमीयता विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं । भाग्रौविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्वी खण्ड में राज्य स्तर के उद्यमीय विकास केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सहमति दे दी है। गुजरात में पहले से ही उद्यमीयता विकास केन्द्र विद्यमान है और उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में एक उद्यमीयता विकास संस्थान की स्थापना से शुभारम्भ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उद्यमीयता विकास संस्थान के लिए भाग्रौविनि ने भाग्रौवि बैंक और भाग्रौसानिनि एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ मिलकर गैर आवर्ती तथा आवर्ती व्यय वहन करने का निर्णय लिया है, जिसमें से आवर्ती व्यय पांच वर्ष तक उठाया जाएगा ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क

3.30 वर्ष के दौरान अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य प्रवर्तक निकायों के साथ आपसी बांट के आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों की दो परियोजनाओं को (बिरला टेक्नालाजी इंस्टीच्यूट द्वारा प्रवर्तित रांची, बिहार, में एक, और सी० सी० शराफ रिसर्च इंस्टीच्यूट द्वारा प्रवर्तित महाराष्ट्र तारापुर में एक) निधियां उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करने की सम्मति दी है। रांची पार्क का उद्देश्य बिरला टेक्नालाजी इंस्टीच्यूट से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले तकनीकज्ञों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने परियोजना विचारों को बिरला टेक्नालाजी इंस्टच्यूट के समीपवर्ती प्राथमिक औद्योगिक सम्पदाओं में प्राथमिकर आधार पर व्यवहार्य औद्योगिक परियोजनाओं में बदल सकें, विशेषकर इलेक्ट्रो-मकैनिकल उद्योगों, इलेक्ट्रानिक्स, फर्मास्यूटिकल, फैब्रिकेशन और प्रिण्टिड सर्किट बोर्डों के क्षेत्र में। सी० सी० शराफ अनुसंधान संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क वास्तव में राष्ट्रीय उद्यमी रसायन पार्क हैं जो कि उभरते हुए ऐसे रसायन उद्यमियों को सहायता प्रदान करेंगें जिनके पास लाभप्रद औद्योगिक उद्यम में परिवर्तित करने के विचार तथा क्षमता हैं। बिरला टेक्नालाजी इंस्टीच्यूट -विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है। सी० सी० शराफ अनुसंधान संस्थान-विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क अभी संरचनात्मक अवस्था में है ।

अनुसंधान अध्ययनों, आदि का प्रवर्तन

(क) भाग्रौविनि पीठें

3.31 भाग्रौविनि ने वर्षों के दौरान विकास बैंकिंग, वित्तीय तथा औद्योगिक प्रबन्ध, औद्योगिक अर्थशास्त्र आदि से सम्बन्धित विषयों में अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा प्रबन्ध संस्थानों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं। भाग्रौविनि ने विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान का प्रवर्तन करने के उद्देश्य से बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गुवाहाटी तथा मद्रास विश्वविद्यालयों में प्रत्येक में एक तथा अहमदाबाद के भारतीय प्रबन्ध संस्थान में एक पीठ की स्थापना करके, 6 पीठों की स्थापना की है। इन पीठों के अधीन, पीठों के उद्देश्य के अनुरूप नियुक्त किए गए प्राध्यापक अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करते, अनुसंधान छात्रों तथा वृत्ति-छात्रों को उनके अनुसंधान कार्य-क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने के अतिरिक्त पीठ के तत्वावधान के अधीन उनके द्वारा किए गए अनुसंधान के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक सार्वजनिक व्याख्यान भी देते हैं ।

3.32 1985-86 के दौरान निम्नलिखित अनुसार बम्बई तथा गुवाहाटी विश्वविद्यालयों तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थान की भाग्रौविनि पीठों के तत्वावधान के अधीन सम्बन्धित भाग्रौविनि प्राध्यापकों द्वारा वार्षिक सार्वजनिक व्याख्यान दिए गए--

—सातवीं पंचवर्षीय योजना और भारत में प्राइवेट निगमित उद्योग

—डा० आर० एस० सबनीस, बम्बई विश्वविद्यालय

—उत्तर-पूर्वी भारत के आर्थिक विकास में लघु क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका

—डा० पी० सी० गोस्वामी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय

—दीर्घकालीन उधारों पर ब्याज का निधिकरण

—प्रो० एस० सी० कुच्छल, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद

दिल्ली तथा मद्रास के विश्वविद्यालयों में भाग्रौविनि की पीठों को डा० ए० एन० सक्सेना (भूतपूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद) तथा डा० एन० पी० श्रीनिवासन (भूतपूर्व प्रधान, वाणिज्य विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय) को क्रमशः मार्च और अप्रैल, 1986 में नियुक्ति द्वारा भरा गया। आशा की जाती है कि उक्त प्राध्यापकों के कार्यभार संभाल लेने से दिल्ली तथा मद्रास विश्वविद्यालयों में स्थापित की गयी भाग्रौविनि पीठों के कार्य में वर्ष 1986-87 के दौरान गति आ जाएगी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भाग्रौविनि द्वारा अनुसंधान परियोजना पर प्रवर्तित पीठ के अधीन कम प्रगति हुई, अशान्त परिस्थितियों के कारण, सहमति के संशोधित ज्ञापन की शर्तों के अधीन अनुसंधान परियोजना का विषय "पूंजी उत्पाद अनुपातों का आचरण तथा पश्चिमी बंगाल के हल्के इंजीनियरिंग उद्योग में रुग्णता का इस पर प्रेरणार्थक प्रभाव" पर विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के अनुसार परियोजना के अब जून, 1987 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) विशेष अनुसंधान अध्ययन

3.33 वर्ष के दौरान भाग्रौविनि सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रारम्भ किए गए "रुग्ण इकाइयों की प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन" (भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा आयोजित) तथा "उद्योगों के लिए मानव शक्ति योजना और स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए नीति" (गुजरात औद्योगिक और तकनीकी सलाहकारी संगठन लि० द्वारा आयोजित) सम्बन्धित दो अध्ययन पूरे किए गए, इनके निष्कर्षों के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान अन्तर-संस्थानात्मक स्तर पर विचार किए जाने का प्रस्ताव है।

मर्चेण्ट बैंकिंग सुविधाएं

3.34 भाग्रौविनि ने औद्योगिक विकास के लिए अपने उत्प्रेरक दायित्व के रूप में औद्योगिक समुदाय को पहली जुलाई, 1986 से मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करनी प्रारम्भ की हैं। भाग्रौविनि के मर्चेंट बैंकिंग कार्यों में निर्गम व्यवस्था सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त विशेषकर निगमित क्षेत्र के मध्यम, मध्यम-बड़े तथा बड़े पैमाने के उद्यमों, जिन्हें नई परियोजनाओं अथवा उनकी विद्यमान गतिविधियों के आधुनिकीकरण/विशाखन के संरचना एवं कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विशिष्ट सेवा अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता है, को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

3.35 मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग, जिसने नई दिल्ली में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है निगमित/सहकारी क्षेत्र की मध्यम अथवा मध्यम-बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से सम्बन्धित सभी मामलों में भावी उद्यमियों को उद्यमीयता और अवसर मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। शीघ्र ही यह प्रभाग बम्बई में भी मर्चेंट बैंकिंग ब्यूरो खोलेगा।

उत्प्रेरक कार्यों का प्रभाव और भाग्रौविनि की प्रवर्तन गतिविधियां

3.36 औद्योगिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में भाग्रौविनि का प्रयास संस्थानात्मक अवस्थापना अन्तरालों को भरना रहा है, जहां कहीं इन्हें निरूपित किया गया है। अनुभव साक्षी है कि किसी भी मात्रा में राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन, और यहां तक कि वित्त की सहज सुलभता भी औद्योगिक प्रयासों को सफल नहीं बना सकती जब तक कि परियोजना-चक्र की प्रत्येक अवस्था में परियोजना परामर्श सुविधाओं और प्रसार सेवाओं सहित अन्य उत्पादेय जैसे साधन सम्पन्न उद्यमीयता, नवीनतम और दक्ष प्रौद्योगिकी/जानकारी, व्यवसायीकृत प्रबन्धक वर्ग, सुप्रेरित एवं कुशल मानव शक्ति उपलब्ध न हो। औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित/पुनर्भिमुख मानव स्रोत भी अपेक्षित हैं। उद्यमीयता विकास कार्यक्रमों को भाग्रौविनि जैसे संस्थानों की सहायता से यह भ्रान्ति टूट गई है कि उद्यमी जन्म जात होते हैं बनाए नहीं जा सकते। आज उद्यमीयता और उद्यम निर्माण के सम्बन्ध में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से सैकड़ों सक्षम युवा व्यक्तियों को "नौकरी मांगने वालों" में "नौकरी देने वालों" की हैसियत में बदला जा रहा है। उद्योग में प्रबन्ध के व्यवसायीकरण ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। उद्यमीयता आधार में विस्तार हो रहा है और प्रौद्योगिकीय आधार पर भी सुधार होना शुरू हो चुका है। लघुतम औद्योगिक इकाई स्तर पर परामर्श संस्कार पहुंच चुके हैं। सहायकीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण आदि की आवश्यकता को भली प्रकार स्वीकार कराया कर लिया गया है। विद्यमान औद्योगिक इकाइयों में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन भी हो रहा है। वित्तीय संस्थानों, जिनमें से भाग्रौविनि एक है और इनमें सबसे पुराना है, के उत्प्रेरक परिचालनों तथा प्रवर्तनात्मक कार्यों के फलस्वरूप काफी सीमा तक औद्योगिक क्षेत्र में यह सब और बहुत-सी अन्य गुणात्मक उपलब्धियां प्राप्त होनी संभव हुई हैं।

अध्याय 4

आन्तरिक मामले

निदेशक बोर्ड की बैठकें

4.01 वर्ष के दौरान, निदेशक बोर्ड की बारह बैठकें हुईं, जिनमें से ग्यारह नई दिल्ली में तथा एक मद्रास में हुई।

निदेशक बोर्ड में परिवर्तन

4.02 केन्द्रीय सरकार ने श्री अशोक चन्द्र के स्थान पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली के संयुक्त सचिव, श्री एम० सी० सत्यवादी को 24 मार्च, 1986 से निगम के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया।

4.03 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के श्री एन० वघुल तथा श्री फिलिप थामस के स्थान पर क्रमशः श्री वी० दीक्षित, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक तथा श्री एस० एम० पालिया, कार्यपालक निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बम्बई को क्रमशः 16 दिसम्बर, 1985 और 1 फरवरी, 1986 से नामित किया।

4.04 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारियों की 30 सितम्बर, 1985 को हुई 37वीं वार्षिक महासभा में

श्री ए० एस० पुरी, श्री बी० दीक्षित और श्री जे० यू० पटेल के स्थान पर अनुसूचित बैंकों, बीमा संस्थाओं, सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्रमशः श्री डी० एन० घोष, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, श्री सी० आर० ठाकोर, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम और श्री डी० एम० पटेल, अध्यक्ष, गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया ।

4.05 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम श्री अशोक चन्द्र, श्री एन० वधुल, श्री फिलिप थामस, श्री ए० एस० पुरी और श्री जे० यू० पटेल द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से निदेशक के रूप में सम्बद्ध रहने के दौरान किए गए अमूल्य मार्गदर्शन और उनके योगदान की अति प्रशंसा करता है ।

सलाहकारों के तदर्थ समूह की बैठकें और तकनीकी सलाहकार समितियां

4.06 वर्ष के दौरान, भाअौविनि के सलाहकारों के तदर्थ समूह की तीन बैठकें और स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति (होटल) की दो बैठकें आयोजित की गईं। यह निर्णय लिया गया कि पहली जुलाई, 1986 से चीनी, वस्त्र, पटसन, इंजीनियरिंग, होटल और रसायन प्रक्रिया तथा समवर्गीय उद्योगों के क्षेत्र में भाअौविनि की छह स्थायी तकनीकी सलाहकार समितियां समाप्त कर दी जाएं, और किसी विशेष प्रस्ताव पर विशिष्ट सलाह प्राप्त करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में केवल सलाहकारों के तदर्थ समूह की बैठकें ही आयोजित की जाएं ।

राज्य/क्षेत्रीय सलाहकार समितियां

4.07 वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पांडिचेरी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए गठित राज्य/क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की आठ बैठकें आयोजित की गईं । यह बैठकें भाअौविनि के लिए अपने योगदान और गतिविधियों के सम्बन्ध में बेहतर जानकारी देने और उसका मूल्यांकन करने में तथा सम्बन्धित राज्य/क्षेत्र में औद्योगीकरण की समस्याओं और सम्भावनाओं की मौके पर जानकारी देने में सहायक हुई। भाअौविनि के क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय के प्रमुखों ने पदेन सचिवों की हैसियत से समितियों के सदस्यों के साथ पूरे वर्ष सम्पर्क बनाए रखे ।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के संस्थानों के साथ समन्वय

4.08 अन्तर-संस्थानात्मक बैठकों, अन्तर-संस्थानात्मक पुनर्स्थापन तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय संस्थानों के बीच अन्तर-संस्थानात्मक समन्वय बनाए रखा गया। 1985-86 के दौरान अन्तर-संस्थानात्मक मंच की 11, अन्तर-संस्थानात्मक पुनर्स्थापन मंच की 9 और वरिष्ठ कार्यपालकों की 21 बैठकें हुईं ।

4.09 पहली अप्रैल, 1986, से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों, अर्थात नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास में दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई में पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय और गुवाहाटी में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में, क्षेत्रीय कार्यपालकों की बैठकें आयोजित करने के लिए एक मंच की भी स्थापना की गयी । क्षेत्रीय कार्यपालकों की बैठकों में (क) कठिनाइयों से ग्रस्त वित्तपोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने, (ख) चूकें निपटाने अथवा विशिष्ट कार्य-योजना निर्धारित करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु चूक करने वाली इकाइयों के मामलों पर विचार करने, (ग) राज्य स्तर की औद्योगिक परियोजनाओं तथा 5 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय टांचा तैयार करने, और (घ) आपसी हित के मामलों, विशेषकर परियोजना अनुवर्तन, बकाया राशियों की वसूली, बन्धक परिसम्पत्तियों के बीमे, बीमा धन का समायोजन, संवितरण की तिमाही योजनाएं, रुग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में पुनर्स्थापन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, इत्यादि पर विचार-विमर्श किए जाने की अपेक्षा की जाती है। 30 जून, 1986 तक क्षेत्रीय कार्यपालकों की 12 बैठकें आयोजित हो चुकी थीं जिनमें से 3 नई दिल्ली में, 2 मद्रास में, 2 बम्बई में, 2 गुवाहाटी में और एक-एक कलकत्ता, भुवनेश्वर और पाण्डिचेरी में हुई थी ।

4.10 प्रवर्तन कार्यों और उद्यमीयता विकास कार्यक्रम के अनुमोदन के सम्बन्ध में भी समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ कार्यपालक स्तर पर समय-समय पर अन्तर-संस्थानात्मक बैठकें हुईं ।

4.11 भाअौविनि ने अन्तर-संस्थानात्मक समूहों, राज्य-स्तरीय समन्वय समितियों, राज्य स्तरीय मार्गदर्शन तथा अनुवर्तन समितियों, और अन्य राज्य-स्तरीय मंचों, आदि की बैठकों में अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों के माध्यम से भाग लेकर राज्य स्तर पर समन्वय बनाए रखा ।

विदेशी यात्राएं तथा अन्तरराष्ट्रीय मंच पर भागीदारी

4.12 भाअौविनि ने विदेशों के अन्य विकास वित्तीय संस्थानों और विश्व पूंजी बाजार में कार्यशील अन्तरराष्ट्रीय बैंकों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क तथा सम्बन्ध बनाए रखा ।

4.13 भाअौविनि के अध्यक्ष, श्री डी०एन०डावर ने, लायड्स बैंक इण्टरनेशनल लिमिटेड और मिडलैंड बैंक ग्रुप के साथ पच्चीस-पच्चीस मिलियन अमरीकी डालर का कर-मुक्त सामूहिक यूरो डालर ऋण जुटाने के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर करने हेतु इंग्लैण्ड का दौरा किया। वह भाअौविनि द्वारा ऋदितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ, से और विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य और औद्योगिक बैंक आफ जापान, टोकियो के माध्यम से भाअौविनि बांडों के प्राइवेट धारण हेतु करार तथा बांड प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए जापान भी गए ।

4.14 भाअौविनि ने अपने महाप्रबन्धक श्री एफ० एम० पटनायक द्वारा "वित्तीय संस्थानों के लिए प्रबन्ध विकास" विषय पर 4 से 29 नवम्बर, 1985 के दौरान एशिया विकास बैंक बागियो, फिलीपिन द्वारा आयोजित विचार-गोष्ठी में भाग

लिया। भाग्रौविनि ने, अपने महाप्रबन्धक श्री वी० एस० आर० के० शास्त्री के माध्यम से, 19 से 21 फरवरी, 1986 तक आबिदजां, आयवरी कोस्ट में हुई विकास वित्तीय संस्थानों के विश्व महासंघ की तीसरी महासभा में भी भाग लिया। श्री एच० सी० शर्मा, महाप्रबन्धक, भाग्रौविनि बांडों के प्राइवेट धारण के सम्बन्ध में 5 बिलियन जापानी येन के ऋण की शर्तें निर्धारित करने और करार पर हस्ताक्षर करने के लिए 17 मे 22 जून 1986 तक टोकियो, जापान का दौरा किया। उन्होंने सिंगापुर में अन्तरराष्ट्रीय बैंकरों से भी विचार-विमर्श किया। इसके अतिरिक्त, भाग्रौविनि ने अपने महाप्रबन्धक, श्री एस० पी० बैनर्जी के माध्यम से 23 से 26 जून, 1986 तक रबात, मोरक्को में हुई लघु और मध्यम उपक्रमों की विश्व महासभा के ब्यूरो तथा लघु और मध्यम उपक्रमों पर प्रथम अफ्रीकी विचार-गोष्ठी में भी भाग लिया।

एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन का नौवां वार्षिक सम्मेलन

4.15 एशिया और प्रशान्त में विकास वित्तीय संस्थानों की एसोसिएशन का नौवां वार्षिक सम्मेलन 21 अप्रैल से 28 अप्रैल, 1986 तक न्यूजीलैण्ड स्थित आकलैण्ड में आयोजित किया गया। भाग्रौविनि ने संस्थापक सदस्य होने के नाते इस सम्मेलन में अध्यक्ष, श्री डी० एन० डावर के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन को, जिसका उद्देश्य "एशिया और प्रशान्त में विकास के वित्तपोषण के लिए उभरती हुई आवश्यकताओं के प्रति विकास वित्तीय संस्थानों का उत्तरदायित्व" था, भागीदार विकास वित्तीय संस्थानों से काफी प्रोत्साहन मिला और इससे उन्हें एक-दूसरे के साथ अनुभव बांटने एवं विचार विनिमय का अवसर प्राप्त हुआ।

संगठनात्मक गतिविधियां

4.16 तीन वरिष्ठ अधिकारियों को महाप्रबन्धक के रूप में पदोन्नत किया गया और निवर्तमान महाप्रबन्धक सहित प्रधान कार्यालय में चार अंचलों (वर्तमान में श्री एस० के० ऋषि—पश्चिमी अंचल, श्री एस० पी० बैनर्जी—पूर्वांचल, श्री एफ० एम० पटनायक—दक्षिणी अंचल और श्री एच० सी० शर्मा—उत्तरांचल का प्रभारी बनाया गया। महाप्रबन्धक के एक और पद पर स्रोत योजना, परियोजना, आंकड़े आधार, सांख्यिकी, बाजार अनुसंधान, आर्थिक सूचना, प्रवर्तन कार्य, इत्यादि से सम्बन्धित सभी मामलों को निपटाने और समन्वय करने, इत्यादि के लिए भरा गया। श्री वी० एस० आर० के० शास्त्री, सलाहकार आर्थिक योजना एवं सांख्यिकी, ने पदोन्नति उपरान्त उक्त कार्यभार संभाला।

4.17 सम्पूर्ण देश में फैले हुए भाग्रौविनि के ग्राहकों को बेहतर तथा अत्यधिक व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष की समाप्ति पर, यह निर्णय लिया गया कि उन सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में भाग्रौविनि के नए कार्यालय खोले जाएं जहां इस समय कोई कार्यालय नहीं है। प्रारम्भ में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, नागालैण्ड और गोआ संघ शासित क्षेत्र, पांडिचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, में नए कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

विकेन्द्रीकरण और प्राधिकार प्रत्यायोजन

4.18 अपने ग्राहकों को और अधिक तीव्र और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया था कि पहली जनवरी, 1986 से विभिन्न परिचालन मामलों में भाग्रौविनि के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों का और कार्य-विकेन्द्रीकरण किया जाये तथा प्राधिकार दिए जाएं। क्षेत्रीय कार्यालयों को अब उन सभी परियोजनाओं की जिनकी परियोजना लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वित्तीय सहायता मंजूर करने का प्राधिकार है। इस प्रकार की परियोजनाओं को क्षेत्रीय प्रधान, 45 लाख रुपए तक ऋण के रूप में, 10 लाख रुपए तक हामीदारी/प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में और 50 लाख रुपए तक आस्थगित अदायगियों/विदेशी मुद्रा ऋण गारंटियों के रूप में, वित्तीय सहायता मंजूर कर सकते हैं। उपर्युक्त ऋणों को मंजूर करने की शक्ति में, विदेशी मुद्रा उप-ऋण मंजूर करने का भी अधिकार निहित है। उपस्कर वित्त योजना के अधीन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भाग्रौविनि के क्षेत्रीय कार्यालयों को विद्यमान सुचालित संस्थाओं को 75 लाख रुपए तक ऋण सहायता मंजूर करने का अब अधिकार है। अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक और महाप्रबन्धकों की स्व-विवेकाधिकार शक्तियों में भी समुचित वृद्धि की गयी है।

4.19 मंजूर की गयी सहायता के सम्बन्ध में, परियोजना के आकार पर ध्यान दिए बिना, सभी संवितरण अब क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा प्राधिकृत और प्रदान किए जाते हैं बशर्ते कि आवश्यक शर्तें पूरी की जाएं। इसी प्रकार, सभी दस्तावेजीकरण का कार्य बन्धक किए जाने के लिए प्रस्तावित सम्पत्तियों के स्वामित्वाधिकार की जांच सहित, विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और भाग्रौविनि के सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं। 5 करोड़ रुपए, और विशिष्ट मामलों में इससे भी अधिक, तक की परियोजना लागत से सम्बन्धित मामलों में विभिन्न परिचालनों के सम्बन्ध में अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।

4.20 कार्यालयों के रख-रखाव, उत्पादन में सुधार, प्रशिक्षण, कार्यप्रणाली में अनावश्यक बातों को दूर करने, प्रपत्रों को कारगर और सरल बनाने तथा विभिन्न मैनुअलों, इत्यादि को अद्यतन करने के सम्बन्ध में ध्यान देने के लिए भाग्रौविनि के वरिष्ठ कार्यपालकों की कई समितियां बनायी गई हैं।

4.21 सतर्कता से सम्बन्धित मामले एक महाप्रबन्धक द्वारा देखे जा रहे हैं, जिन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी भी पदनामित किया गया है।

4.22 वर्ष के दौरान, सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा किया गया है तथा भाग्रौविनि के प्रधान कार्यालय तथा कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में "आगन्तुक" पास जारी करने की प्रणाली आरम्भ की गयी है।

कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम

4.23 वर्ष के दौरान, भाग्रौविनि अपने प्रधान कार्यालय में अपेक्षित अनुषंगी सामान सहित एक आधुनिक "आई० सी० आई० एम० 6000 मॉडल 40 सिस्टम कम्प्यूटर" लगवाया। भाग्रौविनि के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में 256 के० बी० मेमरी और दो 5–1/4" फ्लापी डाइव्स सहित एक पर्सनल कम्प्यूटर (आई० सी० आई० एम० पी० सी०) और एक लैटर क्वालिटी प्रिन्टर लगवाया। दोनों प्रणालियां पहली जनवरी, 1986 से चालू हो गई हैं।

4.24 वेतन चिट्ठे सामान्य वित्तीय लेखांकन, रुपया ऋण लेखांकन के क्षेत्रों में समानान्तर अभ्यास 1985–86 में प्रारम्भ किए गए और निवेश कार्य प्रबन्ध, विदेशी मुद्रा-ऋण लेखांकन, सांख्यिकी सूचना सम्बन्धित प्रबन्ध सूचनाप्रणाली तथा परियोजना सूचना एवं मानिटरिंग सिस्टम विकासाधीन थे और वर्ष 1986–87 में उनके समानान्तर अभ्यास पर होने की संभावना है। परियोजना मूल्यांकन और तुलन-पत्र विश्लेषण के लिए प्रणाली विकसित की गई है। संवितरणों और वसूलियों इत्यादि के क्षेत्र में निष्पादन प्राक्कलन विकासात्मक अवस्था में था और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किया गया।

4.25 एक ओर भाग्रौविनि के कारोबार की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और दूसरी ओर भाग्रौविनि द्वारा नए कार्य जैसे मर्चेन्ट बैंकिंग लीजिंग, इत्यादि आरम्भ किए जाने के कारण मेमरी पर 1 एम० बी० 640, एम० बी० डिस्क मैगनेटिक टेप, अतिरिक्त वी० डी० यू० और डी० डी० ई० इत्यादि लेने का निर्णय लिया गया है। वितरण प्रोसेसिंग सुविधाओं सहित सभी महाप्रबन्धकों को पांच व्यक्तिगत कम्प्यूटर तथा भाग्रौविनि के सभी अन्य क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों को क्रमशः उचित मिनी तथा माइक्रो कम्प्यूटर उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1987–88 तक सभी कम्प्यूटरों को एक कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है।

मानवीय साधन और उनका विकास

4.26 जून, 1986 की समाप्ति तक भाग्रौविनि में (इसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों सहित) 1124 कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें 369 अधिकारी, 543 सहायक कर्मचारी और 212 अधीनस्थ कर्मचारी थे। अनुसूचित जाति/जनजाति भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 149, 35 तथा 12 थी। जून, 1986 की समाप्ति के समय भाग्रौविनि में महिला कर्मचारियों की संख्या 167 थी।

4.27 मानव शक्ति का सर्वोत्तम लाभ उठाने और उच्च दायित्वों को निभाने तथा विभिन्न दत्तकार्यों को पूरा किए जाने को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान, उचित दृष्टिकोण तथा सकारात्मक कार्य-संस्कारों सहित मानव स्रोतों के विकास और समृद्धि पर बहुत जोर दिया गया। इस दृष्टिकोण के साथ और भाग्रौविनि मानव स्रोत विकास कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, वर्ष के दौरान 38 इन-हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे 694 स्टाफ सदस्य लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, 30 स्टाफ सदस्यों को देश की अन्य व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया था। तेतीस व्यक्तियों को भाग्रौविनि द्वारा आयोजित प्रबन्ध विकास संस्थान और इसके विकास बैंकिंग केन्द्र द्वारा आयोजित प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों के लिए भेजा गया। तीन अधिकारियों को, विकास वित्तीय संस्थानों के लिए प्रबन्ध विकास समस्या अध्ययन कार्यशाला, निवेश मूल्यांकन तथा प्रबन्ध तकनीकों, आदि पर पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश भेजा गया।

4.28 संस्था के प्रभावी और कुशल कार्य के लिए प्रशिक्षित मानव-शक्ति की आवश्यकता को अनुभव करते हुए, भाग्रौविनि ने नई दिल्ली में इसके वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त पटना और हैदराबाद में दो और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना बनाई है। भाग्रौविनि मानव-शक्ति विकास कार्यक्रमों में, कम्प्यूटरीकरण, मर्चेन्ट बैंकिंग, लीजिंग वित्त, विदेशी मुद्रा ऋण स्रोत एवं संवितरण, परियोजना, मूल्यांकन एवं मानिटरिंग रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन, नई लेखांकन प्रणाली सहित गैर-वित्त अधिकारियों के लिए वित्त, और कार्यशील पूंजी प्रबन्ध, उत्प्रेरक क्षेत्र रहे हैं।

4.29 गहन 'आन्तरिक' तथा 'कार्य-दौरान' प्रशिक्षण के अतिरिक्त, संगठन की समग्र उत्पादकता में सुधार लाने के लिए, कर्मचारी सुझाव योजना के अधीन स्टाफ द्वारा दिए गए सुझावों पर पूर्ण रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। सुझाव योजना समिति सदस्यों द्वारा दिए गए प्रत्येक सुझाव को भली प्रकार मूल्यांकित करती है और यदि कोई सुझाव कार्यान्वयन हेतु स्वीकार किया जाता है तो सम्बन्धित स्टाफ सदस्य को नकद पुरस्कार/प्रशंसा पत्र दिए जाते हैं।

स्टाफ सम्बन्ध और कल्याण कार्य

4.30 सम्पूर्ण वर्ष के दौरान नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध अत्यधिक सौहार्द और सद्भाव पूर्ण बने रहे।

4.31 सभी कर्मचारियों को "सामाजिक सुरक्षा", आवास, तथा "चिकित्सा परिचर्या" भाग्रौविनि के कल्याण कार्यक्रमों में आधारभूत रहे हैं। इसी प्रकार "कर्मचारी कल्याण निधि" का उपयोग स्टाफ के सदस्यों को स्व-विकास, स्व-विवाह, आश्रित पुत्रों और पुत्रियों के विवाह तथा घरेलू टिकाऊ सामान खरीदने के लिए, ऋण प्रदान करने हेतु किया गया निधि के अनुदान भाग का उपयोग कर्मचारियों के बच्चों को योग्यता छात्र-वृत्तियां, पुरस्कार प्रदान करने, खेलों एवं मनोरंजन क्लबों को अनुदान देने, शिमला, श्रीनगर, पुरी, ऊटी, गोआ, बंगलौर और दार्जिलिंग के अवकाश गृहों का रख-रखाव रखने तथा भाग्रौविनि स्टाफ कालोनी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली स्थित शिशु गृह के रख-रखाव के लिए किया गया।

आवास

4.32 जून, 1986 के अन्त तक भाग्रौविनि के स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के लिए दिल्ली में 195 फ्लैट, कानपुर

में 24 फ्लैट, अहमदाबाद में 33 फ्लैट, बम्बई में 48 फ्लैट, भुवनेश्वर में 27 फ्लैट, बंगलौर में 45 फ्लैट और पूणे में 8 फ्लैट थे। पुणे, अहमदाबाद, तथा दिल्ली के आस-पास और अधिफ्लैट लेने के लिए प्रयत्न जारी हैं। कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, चण्डीगढ़, कोचीन और जयपुर में स्टाफ के लिए फ्लैटों का निर्माण सम्बन्धी कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और भोपाल में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है। भाआवित्तनि का वर्षों से यह प्रयत्न रहा है कि वह अपने सभी पात्र कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करायें।

कार्यालय परिसर

4.33 जून, 1986 के अन्त तक, भाआवित्तनि के पास अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, मद्रास, पटना और पुणे में अपने कार्यालय परिसर थे। भाआवित्तनि ने लोदी रोड़, नई दिल्ली में "स्कोप" काम्पलेक्स और नरीमन प्वाइन्ट, बम्बई में भी मालिकाना आधार पर कार्यालय हेतु स्थान ले लिया है। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर, चन्डीगढ़ और कोचीन में कार्यालय परिसरों के निर्माण हेतु जमीन खरीद ली गई है।

खेल-कूद

4.34 पहली बार, वर्ष 1985-86 के दौरान, जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम, नई दिल्ली में, 13 अप्रैल, 1986 को अखिल भारतीय भाआवित्तनि खेल-कूद का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें भाआवित्तनि के सभी क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों और दिल्ली में कार्यरत स्टाफ के सदस्यों ने भाग लिया। भाआवित्तनि के अध्यक्ष द्वारा दौड़ (100,200 और 400 मीटर—पुरुष, महिलायें), टेबल टेनिस और कैरम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को चांदी के पदक दिए गए। प्रधान कार्यालय के श्री पी०सी० गोदयाल ने सर्वोत्तम खिड़ाड़ी पुरस्कार प्राप्त किया और भाआवित्तनि कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा सर्वोत्तम कैरम के खिलाड़ियों के लिए प्रदान की गई एच०एल० परवाना चल वैजयन्ती बंगलौर कार्यालय के श्री सी० एन० रवि ने प्राप्त की।

भाआवित्तनि कर्मचारी मनोरंजन क्लब का रजत जयन्ती समारोह

4.35 भा आवित्तनि कर्मचारी मनोरंजन क्लब, जिसकी स्थापना पहली अप्रैल, 1960 को हुई थी, ने 31 मार्च, 1985 को अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर को मनाने के लिए 31 दिसम्बर, 1985 को आल इंडिया फाइन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स सोसाइटी आडिटोरियम, नई दिल्ली, में रजत जयन्ती समारोह का आयोजन किया गया जिसमें एक स्मारिका "नव ज्योति" निकाली गई। क्लब, जिसे भाआवित्तनि द्वारा उदारतापूर्वक वित्तीय अनुदान प्रदान किये जाते रहे हैं, मनोरंजन गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन भ्रमण, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विदाई समारोह, आन्तरिक खेल, खेल-प्रतियोगिताएं, अन्तर-बैंक खेल प्रतियोगिताएं, बिजली और खेल के सामान के वितरण, आदि का आयोजन करता है।

जन-सम्पर्क

4.36 भाआवित्तनि के, प्रधान कार्यालय स्थित जन-सम्पर्क विभाग ने वर्ष के दौरान, भाआवित्तनि के कार्य निष्पादन, विभिन्न स्थानों पर राज्य/क्षेत्रीय/आंचलिक सलाहकार समितियों की बैठकों, बांड निर्गम तथा विदेशी मुद्रा जुटाने आदि से सम्बन्धित 22 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं। इसने आन्तरिक परिचालन के लिए प्रतिमास 'इकनामिक एंड फाइनेंशियल न्यूज डाइजेस्ट' निकालना भी जारी रखा तथा वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अनेक प्रकाशन निकालने में सहायक रहा। जन-सम्पर्क विभाग में 27 जनवरी, 1986 को फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के महिला विंग की भाआवित्तनि के अध्यक्ष के साथ बैठक का आयोजन किया जिसमें महिला उद्यमियों के लिए ब्याज उप-सहायता की योजना की विशेषकर और भाआवित्तनि की प्रवर्तन योजनाओं को महिला उद्यमियों द्वारा विशेष रूप से सराहा गया।

राहत निधियों, आदि में योगदान

4.37 वर्ष के दौरान, भाआवित्तनि ने प्रधान मंत्री राहत कोष तथा अति-वृष्टि, एवं भूचाल से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और मदद करने के लिए तमिलनाडु के मुख्य मंत्री जन राहत कोष में एक-एक लाख रुपये का योगदान दिया। इसके अतिरिक्त (क) कालीकट (केरल) में इन्दिरा गांधी तारामंडल की स्थापना के लिए कालीकट तारामंडल सोसाइटी, (ख) टाटा कैंसप अनुसंधान संस्थान, बम्बई के डा० बार्गेस मेमोरियल होम में शहर से बाहर के निर्धन कैंसर-पीड़ित रोगियों के लिये, और (ग) स्व-विकास, स्व-रोजगार और ग्रामीण रोजगार, इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए विवेकानन्द केन्द्र, कन्या कुमारी, प्रत्येक को, 50,000/- रुपये का अनुदान दिया गया।

ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष में योगदान

4.38 भाआवित्तनि ने ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष में 2 लाख रुपये का योगदान दिया, जिसका ऊर्जा के नवीकरणीय और वैकल्पिक स्रातों का विकास करके मध्यप्रदेश और राजस्थान के उन दूरवर्ती गांवों और क्षेत्रों को बिजली और पावर उपलब्ध करने के लिए उपयोग किया जायेगा जो वर्तमान पावर संचारण लाइनों से बहुत दूर हैं। अपने इस अकिंचन योगदान द्वारा, भाआवित्तनि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंओर सुधार लाने के लक्ष्य से देश के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

4.39 शासकीय प्रयोजनों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में तीव्रता लाने की दृष्टि से वर्ष के दौरान, भाआवित्तनि के प्रधान कार्यालय के हिन्दी कक्ष और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों को समुजित रूप से सुदृढ़ किया गया। भाआवित्तनि के कर्मचारियों के लाभ के लिए हिन्दी के प्रयोग पर तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं। शासकीय कार्य में हिन्दी के प्रयोग पर सरकारी अनुदेशों की एक पुस्तक

छपवाई गई और स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध करवाई गई। सभी प्रशासन परिपत्र, परिचालन, परिपत्र, प्रेस सूचनाएं, अधिसूचनाएं, विज्ञापन, आदि, द्विभाषी जारी किए गए। बांड जारी करके निधियां बढ़ाने के सम्बन्ध में विवरण-पत्र और भाग्रौविनि की वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषिक, अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी में, में जारी किए गए थे। भाग्रौविनि के प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा हिन्दी के प्रयोग पर निगरानी रखना और शासकीय कार्य में इसके संवर्धन हेतु उपाय सुझाना जारी रखा गया। हिन्दी के बढ़ते हुए कार्य को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त (हिन्दी और अंग्रेजी) शब्द संसाधक खरीदने का प्रस्ताव वर्ष की समाप्ति के समय विचाराधीन था।

आभार-प्रदर्शन

4.40 निदेशक बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों, विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अन्य सहयोगी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य स्तर के वित्तीय औप धिकास संस्थानों से प्राप्त हुई सहायता, सहयोग और सद्भाव के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

4.41 निदेशक बोर्ड, तकनीकी सलाहकारी संगठनों, जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान, प्रबन्ध विकास संस्थान तथा भारतीय उद्यमीयता विकास संस्थान के अध्यक्षों और मुख्य कार्य-पालकों द्वारा अपने-अपने संगठनों की गतिविधियों और भूमिका को बढ़ाने के लिए उन के द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना करता है।

4.42 बोर्ड भाग्रौविनि की क्षेत्रीय/आंचलिक/राज्य सलाहकार समितियों तथा तकनीकी सलाहकारी/तदर्थ समितियों के सदस्यों का, समय-समय पर उनके अमूल्य सहयोग और सलाह के लिए आभारी है तथा उनका धन्यवाद करता है। निदेशक बोर्ड, विभिन्न सहायता प्राप्त संस्थाओं के बोर्डों में भाग्रौविनि की ओर से नामित गैर-शासकीय सदस्यों का भी आभारी है।

4.43 निदेशक बोर्ड, भाग्रौविनि द्वारा विदेशों में स्थित विभिन्न विकास वित्तीय संस्थानों से प्राप्त निरन्तर सहायता तथा सक्रिय सहयोग, विशेष रूप से ऋदितास्तल्त-फर-वाइडरफबऊ, जर्मन संघीय गणराज्य, के प्रबन्धक वर्ग, यू०के० सरकार के समुद्र पार विकास मंत्रालय और स्वीडिश अन्तरराष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, स्वीडन और विदेशों में समवर्ती और अन्य बैंकों आदि से प्राप्त सहायता के लिए भी आभार प्रकट करता है।

4.44 अन्त में, निदेशक बोर्ड, निगम के सभी स्तरपर, समस्त कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान की गई निष्ठावान और समर्पित सेवा के लिए उनकी अत्यधिक सराहना करता है।

(ह०)
निदेशक बोर्ड की ओर से
डी० एन० डावर
अध्यक्ष

परिशिष्ट 1

1985-86 के दौरान चुने हुए उद्योगों की विस्थापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग का विवरण
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े इकाइयों की संख्या के द्योतक हैं)

क्रम सं०	उत्पाद	माप इकाई	1985-86 में विस्थापित क्षमता और उत्पादन					
			सम्पूर्ण देश के सम्बन्ध में			निगम की वित्तपोषित संस्थाओं के सम्बन्ध		
			विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1985-86 (अप्रैल-मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग	विस्थापित क्षमता और इकाइयों की संख्या	1985-86 (अप्रैल-मार्च) में उत्पादन	प्रतिशत क्षमता उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चीनी	लाख टन	75.4 (367)	67.61	89.7	22.01 (112)	17.70	80.4
2.	सूती धागा (मिल क्षेत्र)	मिलियन तकुए (1002)*	25.02	1463.00 मिलियन कि० ग्राम	—	8.12 मिलियन तकुए (219)**	534.39 मिलियन कि० ग्राम०	—
3.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)	लाख खड्डियां	2.10	3352.00 मिलियन मीटर	—	0.67 लाख खड्डियां	1494.22 मिलियन मीटर	—

*282 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं।

**81 संयुक्त मिलें सम्मिलित हैं

परिशिष्ट I (क्रमश:)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	पटसन वस्त्र	लाख टन	18.94 (69)	13.82	71.4	2.08 (8)	1.52	73.1
5.	कागज और गत्ता	लाख टन	23.49 (267)	15.17	64.6	9.49 (52)	7.47	72.7
6.	सीमेन्ट	मिलियन टन	45.30 (120)	33.10	73.1	29.53 (72)	24.40	82.6
7.	नाइट्रोजन उर्वरक	लाख टन	65.78 (38)	43.27	65.8	17.96 (11)	17.22	95.9
8.	फास्फेटिक उर्वरक	लाख टन	15.72 (17)	14.17	90.1	5.57 (5)	5.89	105.7
9.	कास्टिक सोडा	लाख टन	9.66 (38)	7.24	74.9	3.89 (7)	2.82	72.5
10.	सोडा एश	लाख टन	10.05 (6)	8.49	84.5	1.27 (3)	0.96	75.6
11.	केल्शियम कार्बाइड	लाख टन	1.70 (7)	0.71	41.8	0.88 (4)	0.33	37.5
12.	एसीटिक एसिड	लाख टन	0.81 (19)	एन० ए०	—	0.15 (3)	0.04	26.7
13.	कार्बन ब्लैक	लाख टन	1.55 (7)	0.97	62.6	1.40 (5)	0.66	47.1
14.	तरल क्लोरीन	लाख टन	5.36 (29)	3.17	59.1	2.23 (7)	1.39	62.3
15.	विस्कोज फिलामेन्ट धागा	हजार टन	44.29 (8)	42.20	95.3	11.80 (2)	12.32	104.4
16.	नायलन फिलामेंट धागा	हजार टन	41.92 (11)	39.50	94.2	10.88 (3)	12.39	113.9
17.	नायलन टायर कॉर्ड	हजार टन	25.00 (एन०ए०)	25.10	100.4	12.25 (3)	15.80	129.0
18.	पालिएस्टर फिलामेंट यार्न	हजार टन	43.34 (10)	67.70	156.2	18.02 (3)	17.77	98.6
19.	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर	हजार टन	43.27 (5)	43.00	99.4	28.10 (3)	25.40	90.4
20.	विस्कोस स्पेशल फाइबर	हजार टन	107.67 (3)	90.40	84.0	88.00 (2)	87.90	99.9
21.	आटो टायर	लाख संख्या	160.58 (23)	123.41	76.9	57.33 (7)	31.47	54.9
22.	आटो ट्यूबें	लाख संख्या	171.45 (25)	137.00	79.9	52.35 (6)	26.67	50.9

परिशिष्ट I (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	रबर गर्भरोधक	मिलियन सं०	713.00 (3)	720.00	101.00	200.00 (1)	179.20	89.6
24.	पुनर्प्रयोग की गई रबर	हजार टन	34.48 (11)	25.00	72.5	9.30 (2)	5.82	62.6
25.	खालों से तैयार चमड़ा	लाख संख्या	85.00 (40)	40.30	47.4	13.30 (3)	6.28	47.2
26.	काँच की शीटें	मिलियन वर्ग मी०	40.79 (8)	30.00	73.5	24.31 (4)	16.30	67.1
27.	फाइबर ग्लास	हजार टन	5.29 (3)	2.50	47.3	3.75 (2)	1.93	51.5
28.	कांच की बोतलें और विविध कांच का सामान	लाख टन	5.50 (31)	4.20	76.4	1.06 (4)	0.94	88.7
29.	कृत्रिम डिटर्जेन्ट	हजार टन	323.46 (21)	190.00	58.7	11.00 (2)	5.77	52.5
30.	साबुन	हजार टन	365.40 (48)	380.00	104.0	39.92 (3)	15.26	38.2
31.	फैटी एसिड	हजार टन	130.60 (18)	60.00	45.9	4.50 (1)	3.25	72.2
32.	ग्लिसरीन	हजार टन	22.58 (19)	11.00	48.7	2.16 (2)	0.36	16.7
33.	डक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट	हजार टन	38.20 (5)	25.00	65.4	6.00 (1)	3.11	51.8
34.	बिक्री योग्य स्टील (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	93.30 (6)	77.73	83.3	26.72 (3)	22.70	85.0
35.	स्टील इंगोट्स (मुख्य संयंत्र)	लाख टन	117.07 (6)	90.61	77.4	33.46 (3)	28.05	83.8
36.	स्टील इंगोट्स/बिल्लेट्स (मिनी स्टील संयंत्र)	लाख टन	47.00 (159)	28.00	59.6	2.75 (11)	1.90	69.1
37.	स्टील गढ़ाई	हजार टन	325.00 (90)	170.00	52.3	40.70 (2)	25.77	63.3
38.	स्टील ढलाई	हजार टन	196.00 (78)	90.00	45.9	42.65 (8)	22.19	52.0
39.	शीत कृत इस्पात पत्तियां	लाख टन	10.00 (59)	1.78	17.8	1.03 (6)	0.78	75.7
40.	एल्युमीनियम	लाख टन	3.62 (4)	2.52	69.6	2.62 (3)	1.75	66.8
41.	जिंक	लाख टन	0.96 (2)	0.73	76.0	0.14 (1)	0.13	92.8
42.	स्कूटर	हजार संख्या	620.00 (8)	435.00	70.2	77.00 (2)	25.02	32.5

परिशिष्ट I (क्रमशः)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	मोपेड	हजार संख्या	500.00 (13)	500.00	100.0	40.00 (1)	13.35	33.4
44.	वाणिज्यिक वाहन	हजार संख्या	196.50 (10)	115.00	58.5	59.00 (4)	58.91	99.8
45.	तिपहिया	हजार संख्या	54.20 (5)	52.00	95.9	2.40 (1)	1.36	56.7
46.	पंखा और वी बेल्ट	लाख संख्या	156.17 (16)	180.00	115.30	21.00 (2)	18.45	87.9
47.	कन्वेयर बेल्टिंग	हजार टन	8.91 (8)	9.00	101.0	2.40 (1)	2.22	92.5
48.	जी०एल०एस० लैम्प	मिलियन सं०	342.69 (19)	280.25	81.8	76.80 (2)	75.86	98.8
49.	फ्लोरेसेंट ट्यूबें	मिलियन सं०	41.93 (15)	41.67	99.4	7.00 (2)	5.86	83.7
50.	पावर ट्रांसफार्मर	मिलियन किलोवाट्स	32.50 (31)	23.88	73.5	6.92 (3)	4.65	67.2
51.	ट्रैक्टर (कृषि)	हजार संख्या	109.60 (17)	85.00	77.6	21.10 (3)	17.49	82.9
52.	पावर टिलर	हजार संख्या	16.00 (5)	4.50 एन०ए०	28.1 एन०ए०	3.00 (1)	1.49	49.7
53.	होटल	लाख सं०@				8.58 (16)	5.45	63.5

@कालम 4 और 7 तथा 5 और 8 में क्रमशः किराये के लिए खाली कमरों तथा भरे हुए कमरों की संख्या दी गई है।

परिशिष्ट II

1985-86 (जुलाई-जून) के दौरान भाओविनी द्वारा विस्तपोषित नई, विस्तार तथा विशाखन परियोजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान

(करोड़ रुपये)

उद्योग	परियोजनाएं (संख्या)	कुल पूंजी लागत (रु०)	सम्भावित प्रत्यक्ष रोजगार (संख्या)	उत्पादन का मूल्य (रु०)	सकल मूल्य वृद्धि (रु०)	प्रति वर्ष क्षमता
1	2	3	4	5	6	7
चीनी	12	105.54	6,759	108.81	37.66	241 लाख टन चीनी
वस्त्र	15	49.67	5,432	145.92	23.93	74 लाख संख्या में बुने हुए वस्त्र, 1.27 लाख तकुए, 24 खड्डियां और 672 ओपन ऐंड रोटरें और 12 जल जेट खड्डियां।
कागज	2	29.65	1,771	35.37	15.52	31.350 टन लिखाई तथा छपाई कागज ।

परिशिसट 2 क्रमश:

(करोड़ रु०)

1	2	3	4	5	6	7
उर्वरक	7	820.32	2,269	532.91	276.58	3.30 लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट 1.32 लाख टन दानेदार सिंगल सुपर फास्फेट, 4.46 लाख टन सिंगल स्ट्रीम अमोनिया, 726 लाख टन यूरिया, 326 लाख टन डाय-अमोनियम फास्फेट और 1.55 लाख टन सल्फ्यूरिक एसिड ।
रसायन और रसायन उत्पादन	20	428.33	3,210	299.41	157.25	50,000 टन लीनियर अल्कील बैन्जीन, 33,000 टन सल्फ्यूरिक एसिड, 55,000 टन मैथानौल, 30,000 टन पैन्टाहराइथ्रीटोल, 5,000 टन फार्मिक एसिड, 2,000 टन पोलीविनायल अल्कोहल, 16,210 टन फार्मल डिहाइड, 1.82 लाख टन कास्टिक सोडा, 14,250 टन लिक्विड क्लोरीन, 14,850 टन हाइड्रो-क्लोरिक एसिड, 20,000 टन मानो-थिलीन ग्लाइकोल, 3,000 टन फरफरल, 10,000 टन सोडा ऐश, 10,000 टन अमोनियम क्लोराइड, 0.8 मिलियन क्युबिक मीटर नाइ-ट्रोजन गैस, 0.15 मिलियन क्यूबिक मीटर आरमान गैस, 56 लाख क्यूबिक मीटर आक्सीजन, 7 लाख टन क्युबिक मीटर धुली हुई एसिटलीन, 1,489 मिलियन गिलेटाइन कैपसूल, 1,510 टन लेदर केमिकल्स, 1.5 मिलियन प्रेड-निसेलेन एम्प्यूल्स, 2.5 मिलियन सैफा-जोल सोडियम वायल, 100 टन टैलोसिन टैरटारेट ।
कृत्रिम और मानव निर्मित रेशे	5	386.23	2,618	321.64	116.09	2,000 टन नाइलोन कार्ड, 12,000 टन एक्रेलिक फाइबर, 30,500 टन पोलिएस्टर स्टेपल धागा, 10,000 टन नाइलोन फिलामेंट धागा, 3,500 टन आंशिक पोलियस्ट्रिकृत धागे ।
प्लास्टिक उत्पाद	10	37.53	1,325	56.49	17.47	मोल्ड किए हुए 3 लाख प्लास्टिक के ब्रीफ/सूटकेस, 9216 टन एचडीपीई बुने हुए मोजे, 1,200 टन क्रास फिल्म शॉक्स, 300 टन तिरपालिन, 950 टन इंजीनियरिंग प्लास्टिक उत्पाद ।

परिशिष्ट II (क्रमशः)

(करोड़ रु०)

1	2	3	4	5	6	7
सीमेंट	9	162.84	2,099	99.17	47.82	9.5 लाख टन सीमेंट
कांच	4	232.81	1,495	121.25	87.77	25 मिलियन वर्गमीटर फ्लोट ग्लास और 0.97 मिलियन वर्गमीटर शीट ग्लास ।
विविध अधातु खनिज उत्पाद	6	29.56	997	36.08	18.76	8.85 मिलियन वर्गमीटर जिप्सम प्लास्टर बोर्ड, 1.55 लाख क्यूबिक फुट मारबल स्लैब, 16,00 लाख वर्ग फुट चमकीली मारबल टाइलें 30,250 चमकीली मृतिका शिल्प दीवार और फर्श की टाइलें ।
लोहा तथा इस्पात	15	387.06	3,399	484.15	143.07	2 लाख टन रोल्ड इस्पात उत्पाद, 30 मिलियन मीटर सिंगल वाल्ड छोटे व्यास की वेल्ड की हुई और सीम रहित इस्पात की ट्यूबें, 1.44लाख टन नरम रोल्ड इस्पात, 0.75 लाख टन उच्च दबाव वाली थिक वाल्ड चॉप वेल्डिड पाइपें, 1.5 लाख टन स्पोंज लोहा, 12,000 टन कोल्ड रोल्ड इस्पात पत्तियां 1.5 लाख टन हल्के मध्यम ढांचे, 5,600 टन अलाय इस्पात कास्टिंग्स, 25,000 टन इस्पात बिल्लेट, 25,000 टन बिजली रोधक वैल्ड और कोल्ड डान की हुई इलैक्ट्रानिक वैल्डिड सूक्ष्म इस्पात ट्यूबें, 2,400 टन पाउडर धातु परफार्म हाइस्पीड इस्पात औजारों के लिए नियर नेट शेप्स और सिलिंड्रिकल एवं सेक्शनल टूल ब्लैंक्स ।
मशीनरी और उपांग	6	58.25	674	78.53	31.31	82 होनिंग/टर्निंग मशीनरी, 43 लाख बेरिंग, 300 सूक्ष्म धरातल ग्राइंडर, 2,000 टन स्टील कार्ड कन्वेयर बैल्टिंग ।
धातु उत्पाद	6	92.38	1,113	186.27	38.79	1.15 लाख टन जस्तीकृत चादरें, 0.5 लाख उच्च दबाव सीम रहित गैस सिलैन्डर, 0.4 लाख टन जस्तीकृत कॉयलें ।
बिजली एवं इलैक्ट्रानिक्स उपस्कर	17	119.43	3,044	190.07	60.32	9.2 लाख ब्लैक और व्हाइट पिक्चर ट्यूबें, 0.24 मिलियन आटोमोटिव बैट्रियां, 35,000 इलैक्ट्रोनिक टाइप-राइटर, 1.2 लाख ब्लाकों और टाइमरों के साथ जोड़ने वाले कान्ट्रेक्टर्स, 6,000

परिशिष्ट II क्रमशः

1	2	3	4	5	6	7
						ओवर लोड रिले, 63 रिंग/लूप/रोटर इलैक्ट्रानिक डाटा सिस्टम, 6 करोड़ रूपये के मूल्य के मिनी कम्प्यूटर सिस्टम, 200 यू० एच० टी० संचार उपस्कर, टी० वी० ट्रांसफार्मर, 82 मिलियन फ्लोरेसेंट ट्यूबें, 1·5 मिलियन कम्प्यूटर डिस्कैटस, कृषि पम्पों के लिए, 18,000 इलैक्ट्रिक मोटरें, जैली फिल्ड टेलीफोन तारों के 7.3 लाख कंडक्टर किलोमीटर, 500 टन नरम फैराइट, 30 लाख टैन्टलम कैपिसिटर, 75 मिलियन सैमी कंडक्टर ।
परिवहन उपस्कर	11	79.29	2,809	88.50	35.19	1,000 हैलिकल गियर बाक्स, 300 संरचित बस की बाडियां, 45.75 लाख शॉक एब्जोर्बर, 1·25 लाख स्टीयरिंग गेयर सिस्टम, पुपहियों के लिए साम में 5·65 लाख फार्क एवं 10,000 माफर्सन स्ट्डस, 225 लाख आटो पुर्जों के सेट, 1·5 लाख स्टार्टर, मोटरें, 1.5 लाख टन आस्टरनेटर्स एवं 1 लाख वाहन पर मोटरें और साइकिल उत्पादन में आन्तरिक उपयोग के लिए 10,000 टन प्रिसीजन ट्यूबें ।
होटल	5	35.78	1,361	29.65	18.54	472 कमरे, 25.10 लाख पैक किया हुआ भोजन ।
बिजली	3	943.24	8,053	662.92	311.64	11,325 मिलियन यूनिट बिजली
अन्य	14	72.72	3,234	110.53	34.21	
जोड़	167	4,070.63	51,662	3,587.67	1,471.92	

वार्षिक लेखे 1985-86

लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी

हम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने निगम के 30 जून, 1986 के संलग्न तुलन-पत्र और लेखों का लेखा-परीक्षण किया है और अंशधारियों को निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :—

1. तुलन-पत्र और लेखे, लेखा–पुस्तकों के साथ तालमेल में हैं।
2. हमारे द्वारा मांगी गई आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमें दिए गए हैं और वे संतोषजनक पाए गए हैं।
3. हमारे विचार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन–पत्र और तुलन–पत्र पर दी गई टिप्पणियां पूर्ण और निष्कपट हैं और इसमें सभी सम्बन्धित जानकारी दी गई है तथा यह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और निगम के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है तथा इससे निगम के कार्यों के सच्चे और सही रूप का पता चलता है।

एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी

टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखापाल

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 18 अगस्त, 1986

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
परिसम्पत्तियां			
रोकड़ और बैंक शेष	1	20.888.48	14,213.31
वित्तपोषित संस्थाओं में निवेश	2	5,867.64	5,716.05
अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश	—	21.00	21.00
वित्तपोषित संस्थानों को ऋण	3	1,64,910.52	1,30,731.24
परिसर एव उपस्कर	4	1,306,32	1,254.31
अन्य परिसम्पत्तियां	5	8,018.76	5,313.73
स्वीकृतियों के लिए ग्राहक देयता	—	1,788.16	786.39
जोड़		2,02,800.88	1,58,036.03
देयताएं और शेयरधारी निधि			
शेयर पूंजी	6	4,500.00	3,500.00
रिजर्व और आरक्षित निधियां	7	14,488.08	11,432.05
दीर्घकालीन ऋण	8	1,70,325.80	1,32,595.29
चालू देयताएं तथा व्यवस्थाएं	9	11,073.83	9,236.07
स्वीकृतियों पर देयताएं	—	1,788.16	786.39
निर्दिष्ट निधियां	10	625.01	486.23
जोड़		2,02,800.88	1,58,036.03

एच० सी० शर्मा, महाप्रबन्धक | डी० एन० डावर, अध्यक्ष | पी० मुरारी, वी० दीक्षित, पी० एल० करिहालू | डी० एन० घोष, जे० एस० वार्ष्णेय, निदेशक | सी० आर० ठाकोर, डी० एम० पटेल, बी० एस० थोरात

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी, टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

नई दिल्ली, दिनांक : 18 अगस्त, 1986

30 जून, 1986 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

विवरण	अनुसूची	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
ऋणों, अग्रिमों और जमा से ब्याज (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए घटाकर)	11	16,774.42	12,978.04
ऋणों की लागत	12	11,992.59	8,561.56
निवल ब्याज राजस्व		4,781.83	4,416.48
अन्य परिचालनों से आय	13	940.48	521.92
जोड़		5,722.31	4,938.40

विवरण	अनुसूची	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपय
कार्मिक व्यय	14	485.32	443.51
निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस	—	2.05	3.34
परिसर एवं उपस्कर-किराया, अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास	15	171.40	163.11
अन्य व्यय	16	177.14	114.29
प्रबन्ध विकास संस्थान को अनुदान . . .	—	5.00	5.00
कराधान के लिए व्यवस्था . . .	—	1,463.00	1,278.45
जोड़		2,303.91	2,007.70
समायोजन :			
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि . . .		904.12	823.19
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि . .		1950.65	1775.72
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि . .		150.00	50.00
कर्मचारी कल्याण निधि		15.00	15.00
लाभांश		398.63	266.79
		3,418.40	2,930.70

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां जो लेखे का भाग हैं

एच० सी० शर्मा
महाप्रबन्धक

डी० एन० डावर
अध्यक्ष

पी० मुरारी
वी० दीक्षित
पी०एल० करिहालू

डी० एन० घोष
जे० एस० वाष्णय

सी० आर० ठाकोर
डी० एम० पटेल
बी० एस० थोरात

निदेशक

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी टी० आर० चड्ढा एण्ड कम्पनी

नई दिल्ली, दिनांक : 18 अगस्त, 1986

सनदी लेखापाल

अनुसूची 1

30 जून, 1986 को तुलनन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

रोकड़ और बंक शेष

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
रोकड़ और बैंक शेष		
हाथ में नकदी	0.77	0.70
हाथ में चैक/ड्राफ्ट एंव वसूली हेतु प्रस्तुत	580.25	645.26
भारत में बैंकों में शेष		
चालू खातों में	9,326.53	4,645.67
अल्पावधि जमा में	3,502.50	5,664.00
भारत के बाहर बैंकों में		
चालू खातों में	356.18	421.47
अल्पावधि जमा में	10,122.25	2,836.21
जोड़	20,888.48	14,213.31

अनुसूची 2

30 जून 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विसपोर्ि त संस्थाओं में निवेश (लागत पर)

विवरण	धारा के अन्तर्गत			इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
. .	23(घ)	23(च)	23(झ)		
(i) इक्विटी शेयर	3,192.39*	631.08	1,261.97	5,085.44	4,886.92
(ii) अधिमान शेयर	351.59	67.01	—	418.60	471.65
(iii) डिबेन्चर	44.18	61.16	244.57	349.91	344.67
(iv) शेयरों और डिबेन्चरों पर आवेदन राशि .	13.69	—	—	13.69	12.81
	3,601.85	759.25	1,506.54	5,867.64	5,716.05
30 जून, 1985 को जोड़	3,502.16	793.01	1,420.88		

कथित

	इस वर्ष	पिछले वर्ष
—बही मूल्य . .	3,232.95	2,803.33
—बाजार मूल्य . . .	9,517.21	8,555.44
निवेश जिनके लिए दरें उपलब्ध नहीं हैं (बही मूल्य)	2,634.69	2,912.72

*औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 से सम्बन्धित

अनुसूची 3

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

वित्तपोषित संस्थाओं को ऋण

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
(i) भारतीय रुपयों में	1,44,892.88	1,21,849.28
(ii) विदेशी मुद्रा में	20,017.64	8881.96
जोड़	1,64,910.52	1,30,731.24

टिप्पणियां :

(i) संस्थाओं द्वारा देय ऋण जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध हैं।	215.57*	290.87
(ii) वर्ष के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित ऋण की कुल राशि, जिनमें निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध है।	23.00*	219.41
(iii) उन संस्थाओं से मूलधन अथवा ब्याज की कुल अतिदेय राशि, जिनमें, निगम के निदेशक (नामितों को छोड़कर) निदेशक की हैसियत से हितबद्ध है।	83.60	0.54

*कमी निगम के निदेशक बोर्ड में परिवर्तनों के कारण है।

अनुसूची 4

30 जून 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

परिसर एवं उपस्कर

विवरण	मूल लागत	संचित मूल्यह्रास		निवल मूल्य
	लाख रुपये	लाख रुपये	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
(i) फ्री होल्ड भूमि तथा भवन	345.75	39.75	306.00	309.44
(ii) पट्टे पर भूमि तथा भवन	376.05	50.45	325.60	292.78
(iii) फर्नीचर तथा फिटिंग	64.55	26.13	38.42	22.33
(iv) कार्यालय उपस्कर	110.40	37.40	72.70	15.16
(v) बिजली की फिटिंग	14.22	5.80	8.42	7.87
(vi) वाहन	10.29	5.20	5.09	2.76
उप-जोड़	921.26	165.03	756.23	650.34
पूंजीगत खर्चों के लिए अग्रिम	550.09		550.09	603.97
	1,471.35	165.03	1,306.32	1,254.31
30 जून, 1985 को	1,370.69	116.38		

अनुसूची 5

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य परिसम्पत्तियां

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं	4,613.16	3,731.04
जोखिम पूंजी प्रतिष्ठान की अग्रिम	506.38	392.27
कर्मचारियों को अग्रिम	134.12	122.65
जमा राशियां	86.53	29.22
कर्मचारी कल्याण निधि की निवल परिसम्पत्तियां	12.50	12.50
अन्य परिसम्पत्तियां	2,648.07	1,026.05
जोड़ :	8,018.76	5,313.73

अनुसूची 6

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

शेयर पूंजी

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
अधिकृत		
प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 1,00,000 शेयर	5,000.00	5,000.00
जारी और अभिदत्त		
(प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 1,00,000 शेयर पिछले वर्ष 80,000 शेयर)	5,000.00	4,000.00
(औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत मूलधन की पुनर्अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में भारत सरकार की गारन्टी प्राप्त)		
प्रदत्त		
(i) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर	500.00	500.00
(ii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 4,000 शेयर (द्वितीय सीरीज़)	200.00	200.00
(iii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 2,692 शेयर (तृतीय सीरीज़)	134.60	134.60
(iv) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 3,308 शेयर (चतुर्थ सीरीज़)	165.40	165.40
(v) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (पांचवीं सीरीज़)	500.00	500.00
(vi) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (छठी सीरीज़)	250.00	250.00
(vii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 5,000 शेयर (सातवीं सीरीज़)	250.00	250.00
(viii) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (आठवीं सीरीज़)	500.00	500.00
(ix) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 10,000 शेयर (नौवीं सीरीज़)	500.00	500.00
(x) पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (दसवीं सीरीज़)	1,000.00	500.00
		अंशत: प्रदत्त
(xi) प्रत्येक पांच-पांच हजार रुपये के 20,000 शेयर (ग्यारहवीं सीरीज़) रुपये 2,500/- प्रतिशेयर राशि मांगी गई और प्रदत्त	500.00	
जोड़ :	4,500.00	3,500.00

अनुसूची 7

30 जून 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

रिजर्व और आरक्षित निधियां

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32 के अधीन सामान्य आरक्षित निधि	4,994.06	4,089.94
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32क के अधीन आरक्षित निधि	100.00	100.00
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 32ख के अधीन हितकारी आरक्षित निधि	296.04	170.54
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	8,950.65	7,000.00
क्रेडितांस्तल्त-फर-वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से विशेष अनुदान	147.33	71.57
जोड़ :	14,488.08	11,432.05

अनुसूची 8

30 जून 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

दीर्घकालीन ऋण

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
बांड (अप्रतिभूत—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अधीन जारी भारत सरकार द्वारा गारन्टी प्राप्त)		
(a) 6% बांड	7,774.06	12,152.99
(b) 6 1/4% बांड	6,801.54	6,801.54
(c) 6 1/2% बांड	7,500.00	7,500.00
(d) 6 3/4% बांड	7,810.00	7,810.00
(e) 7 1/4% बांड	10,050.22	10,050.22
(f) 7 1/2% बांड	10,995.00	10,995.00
(g) 8 1/4% बांड	7,975.00	7,975.00
(h) 8 3/4% बांड	8,004.80	8,004.80
(i) 9% बांड	19,701.00	19,701.00
(j) 9.75% बांड	32,269.13	17,201.13
(k) 11% बांड	15,000.00	—
(l) 7.6% बांड (येन मुद्रा)	3,802.28	2,508.78
(m) 6.9% बांड (येन मुद्रा)	3,802.28	
(n) 6.3% बांड (येन मुद्रा)	3,802.28	—
जोड़ :	1,45,287.59	1,10,700.46

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
उधार		
(क) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से	7,775.00	12,125.00
(ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 21(4) के अधीन भारत सरकार से	276.21	344.30
(ग) क्रेडिटांस्टाल्ट-फर-वाइडरफबऊ के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार से	662.37	603.26
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किए गये विदेशी बांडों में से विदेशी मुद्रा में	849.38	—
(ङ) विदेशी ऋण संस्थानों से विदेशी मुद्राओं में	15,475.25	8,822.27
जोड़ : . . .	1,70,325.80	1,32,595.29

अनुसूची 9

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
(क) चालू देयताएं		
फुटकर लेनदार	6,439.83	5,533.22
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं		
(क) बांडों पर	1,018.15	736.92
(ख) सरकार से उधार	14.71	13.00
(ग) विदेशी ऋण संस्थानों से उधार	142.97	19.75
(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्यों से उधार . .	108.93	139.43
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 22 की शर्तों के अनुसार जमा राशि	500.00	500.00
अग्रिम पावतियां	12.40	6.12
दावा न किया गया लाभांश	0.09	0.27
विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर लगाए गए ब्याज में से उप-ऋणियों को लौटाई जाने वाली राशि/भारत सरकार को देय राशि	712.95	502.93
जोड़ (क) आगे ले जाया गया	8,950.03	7,451.64

अनुसूची 9 (जारी)

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

विवरण			इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
जोड़ (क) आगे लाया गया			8,950.03	7451.64
(ख) व्यवस्थाएं				
विनिमय उच्चंत खाते में अन्तर			174.28	85.80
उच्चंत में डाली गई राशियां				
(क) ब्याज			406.21	417.87
(ख) वचन-बद्धता प्रभार			0.05	0.05
(ग) प्रासंगिक प्रभार			2.38	2.38
कराधान के लिए व्यवस्था		4,968.01		
घटाइये : स्रोत पर काटा गया कर	245.67			
भुगतान किया गया अग्रिम कर	3,580.09	3,825.76	1,142.25	1,011.54
लाभांश के लिए व्यवस्था			398.63	266.79
जोड़ (ख)			2,123.80	1,784.43
जोड़ (क)+(ख)			11,073.83	9,236.07

अनुसूची 10

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

विशेष कार्य के लिए निर्धारित निधि

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
औद्योगिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि	582.51	458.73
कर्मचारी कल्याण निधि	42.50	27.50
जोड़	625.01	486.23

अनुसूची 11

30 जून 1986 तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

ऋणों और अग्रिमों से ब्याज

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
ब्याज आय	16,523.63	12,797.49
वचन-बद्धता प्रभार	250.79	180.55
जोड़	16,774.42	12,978.04

अनुसूची 12

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

उधार लागत

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
ऋणों और उधारों पर ब्याज	11,719.81	8,393.20
लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार	8.30	6.98
बांड जारी करने की लागत	264.48	161.38
जोड़	11,992.59	8,561.56

अनुसूची 13

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य परिचालनों से आय

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
कारोबार सेवा शुल्क	103.97	64.63
लाभांश	271.01	223.70
निवेशों की बिक्री से लाभ	515.68	206.77
अन्य विविध आय	49.82	26.82
जोड़	940.48	521.92

अनुसूची 14

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

कार्मिक व्यय

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
वेतन एवं भत्ते	458.04	421.72
कर्मचारी कल्याण निधि व्यय	2.83	2.13
अन्य कार्मिक व्यय	24.45	19.66
जोड़	485.32	443.51

अनुसूची 15

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

परिसर एवं उपस्कर-किराया, अनुरक्षण एवं मूल्यह्रास

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
किराया, कर, बीमा और रोशनी	99.92	112.10
मरम्मत एवं अनुरक्षण	21.08	16.54
मूल्यह्रास	50.40	34.47
जोड़	171.40	163.11

अनुसूची 16

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

अन्य व्यय

विवरण	इस वर्ष लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये
लेखा परीक्षण शुल्क	1.00	0.84
यात्रा व विराम व्यय	25.07	19.35
संचार	24.24	19.66
निवेशों पर हानि	36.75	18.68
अन्य व्यय	90.08	55.76
	177.14	114.29

अनुसूची 17

30 जून, 1986 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न तथा उसका भाग

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

(क) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

1 राजस्व मद्दता

(क) जिन मामलों में ब्याज, वचनबद्धता प्रभार एवं कमीशन, आदि की वसूली संदिग्ध समझी जाती है उनमें निगम इन्हें आय के रूप में गणन नहीं करता। ऋण करारों का निष्कर्ष होने के पश्चात् ही वचनबद्धता प्रभारों को आय के रूप में गणन किया जाता है।

(ख) जिन मामलों में निगम ने न्यायालय आदेश प्राप्त किए हैं उन ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में ब्याज का गणन इस के प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाता है।

2. निवेश लेन-देन

(क) निवेशों की बिक्री से लाभ अथवा हानि का परिमाप बेचे गए निवेशों की औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

(ख) परिसमापन अथवा रुग्ण कम्पनियों के शेयरों के मूल्य में यदि कोई हानि हो जिनका विलीनीकरण अन्य स्वस्थ कम्पनियों के साथ किया जाना है, उनका गणन विलीनीकरण पूरा होने पर अन्तिम अदायगी प्राप्त होने के पश्चात् किया जाता है।

3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

(क) राशियां जो कि—

(i) निगम द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण

(ii) उनमें से उप-ऋणियों को प्रदान किए गए ऋण

अनुसूची 17(क्रमशः)

(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों में शेष और

(iv) विदेशी मुद्रा में दी गई गारन्टियों के सम्बन्ध में प्रासंगिक देयताओं, की हैं,

उनकी अभिव्यक्ति 30 जून 1986 को तार अन्तरण विक्रय दरों पर भारतीय मुद्रा में की जाती है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होने के कारण हुआ लाभ, यदि कोई हो, प्रत्येक ऋण के सम्बन्ध में तभी गणन किया जाता है जब विदेशी साख संस्थानों को ऋण की पूरी अदायगी कर दी हो और उन ऋणों में से वित्त-पोषित संस्थाओं को दिए गए ऋण पूर्ण रूप से वसूल कर लिए गए हों। इस प्रकार के उतार-चढ़ाव से हुई हानि का, यदि कोई हो, तभी गणन किया जाता है जब उस ऋण का भुगतान कर दिया गया हो।

इस दौरान---

(i) विदेशी मुद्रा ऋणों की वसूली और पुनर्भुगतान,

(ii) वर्ष के अन्त में विदेशी मुद्रा शेष का संपरिवर्तन, और

(iii) बैंकों में विदेशी मुद्रा खातों के परिचालन से संबंधित विनिमय अन्तर का गणन विनिमय अन्तर उचन्त खाते में किया जाता है। केन्द्रीय सरकार से अन्तिम रूप में प्राप्त अंशदान विनिमय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को भी उक्त खाते में जमा किया जाता है।

4. परिसर एवं उपस्कर

भूमि और भवन के मूल्यह्रास के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त लागू होते हैं---

(i) भवन और उनमें हुए परिवर्द्धनों का अवलिखित मूल्य आधार पर 5% की दर से मूल्यह्रास

(ii) फर्नीचर और उपस्करों का मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य आधार पर क्रमशः 10% और 15% की दर से किया जाता है और इनकी लागत मूल्य-ह्रास घटा कर लिखी जाती है।

(ख) लेखे का भाग टिप्पणियां

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े हैं)

1. निगम, तुलन-पत्र में दर्शायी गई देयताओं के अतिरिक्त निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रासंगिक रूप से उत्तरदायी है :

(क) बकाया हामीदारी संविदा (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(घ) के अधीन)

अनुसूची 17 (क्रमशः)

53.10 लाख रुपये (112.50 लाख रुपये), और

(ख) निवेश के रूप में अंशतः प्रदत्त शेयरों के लिए अयाचित राशि (औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(घ) तथा धारा 23(च) के अधीन 27.05 लाख रुपये (25.40 लाख रुपये)

2. निगम के पक्ष में/विरुद्ध कुछ मामलों के सम्बन्ध में आयकर विभाग/निगम ने अपील/संदर्भ किया है। इस सम्बन्ध में विवादास्पद देयता 55.39 लाख रुपये (40.60 लाख रुपये) है। वर्ष के लिए कर देयता की व्यवस्था निगम द्वारा अपनाये गए दृष्टिकोण के अनुसार की गई है।

3. फुटकर लेनदारों में 2,409.92 लाख रुपये (3,149.67 लाख रुपये) की राशि उन बांडों से सम्बन्धित है जो परिपक्व हो गए हैं किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया है अथवा अदा नहीं किए गए हैं।

4. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 23(घ) और 23(च) के अधीन निवेशों में 65.60 लाख रुपये की राशि (43.09 लाख रुपये) जो कुछ कम्पनियों की शेयर पूंजी में नियोजित की गई है और जिन्होंने या तो परिसमापन कर दिया है अथवा रुग्ण हैं और उनका स्वस्थ कम्पनियों के साथ विलीनीकरण का प्रस्ताव है।

5. हितकारी आरक्षित निधि तथा भारत सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान में से 30 जून, 1986 तक 45.38 लाख रुपये (42.16 लाख रुपये) का आंशिक उपयोग निगम के प्रवर्तन कार्यों के रूप में कुछ तकनीकी सलाहकारी संगठनों की शेयर पूंजी में अभिदान कर के किया गया है। अतः इस राशि का निगम के निवेशों" में गणन नहीं किया गया है।

6. तुलन-पत्र की तारीख को कुछ कम्पनियों से 1,765.10 लाख रुपये (1,030.58 लाख रुपये) की राशि बकाया थी, जिनको कि केन्द्रीय/राज्य सरकार ने अधि-, ग्रहण कर लिया है। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मुआवजे में से अथवा गारंटीकर्ताओं से उक्त राशि का कितना हिस्सा वसूल हो सकेगा। इसके अतिरिक्त तुलन-पत्र की तारीख को 171.84 लाख रुपये (1730.08 लाख रुपये) की राशि कुछ कम्पनियों पर बकाया है जिनकी देयताएं उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अवरुद्ध कर दी गई हैं।

7. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनात्मक बनाने के उद्देश्य के लिए आवश्यकतानुरूप पुनः एकत्रित किया गया है।

STATE BANK OF PATIALA

HEAD OFFICE

Patiala-147001, the 21st November 1986

NOTICE

No. Per/14571.—The following employees have been promoted from Clerical to Officers' Cadre in Junior Management Grade Scale-I with effect from 1st August, 1986 :—

Sr. No.	*Name of the Officer*
1	2
	Sarvashri
1.	Kuldip Singh Kapoor
2.	Radha Krishan Singhal
3.	Hem Raj Singla
4.	Jaswant Singh Bhatia
5.	Parmod Kumar Uppal
6.	Chander Bhushan Aggarwal
7.	Nirmal Chander Dhawan
8.	Hem Raj Mehndiratta
9.	Gurnam Singh Kohli
10.	Jagdish Parshad Singla
11.	Amarjeet Kapila
12.	Balwant Singh
13.	Surinder Pal Singh
14.	Inderjit Nanda
15.	Darshan Singh
16.	Jagjit Singh
17.	Mrs. Prem Lata
18.	Gurnam Singh
19.	Lal Chand
20.	Veena Bhandari
21.	Satya Paul
22.	V. K. Tangri
23.	A. R. Moudgil
24.	Suresh Chand Verma
25.	Chander Kanta
26.	P. D. Sharma
27.	Rajinder Kumar Bansal
28.	Rajinder Singh Bhatia
29.	Chhaju Ram Rao
30.	Avtar Singh
31.	Baldev Singh
32.	Bhim Singh Jagga
33.	Jaswant Rai Jindal
34.	Narinder Singh Kohli
35.	Ravi Bhushan
36.	Ramesh Kumar Verma
37.	S. C. Pahuja
38.	Harprit Singh
39.	Vinod Kumar Singla
40.	Mange Ram Kauts
41.	Vijay Kumar Wadhwa
42.	Suraj Bhan Singla
43.	Subhash Wadhwa
44.	Jagbir Singh Rai
45.	Narinder Kumar
46.	Raj Kumar Goyal
1	2
	Sarvashri
47.	Krishan Chand Verma
48.	Tarlok Singh Anand
49.	Ashok Kumar Arora
50.	Veena Sayal
51.	Manjit Kaur
52.	Kuldip Singh
53.	Narinder Singh
54.	Om Parkash Bhatia
55.	Pritpal Singh
56.	Swaran Singh Zandu
57.	Jagdish Chand Gupta
58.	K. K. Sahni
59.	Inderjit Sharma
60.	Roshan Lal
61.	Ramesh Chand Mehta
62.	Om Parkash Grover
63.	Gurdial Singh Behl
64.	Jagdish Sharma
65.	Janak Raj Arora
66.	S. C. Dhall
67.	Surinder Kumar
68.	Harcharan Singh Bawa
69.	Surinder Kapoor
70.	Anil Kumar Wadhwan
71.	Rupinder Kumar Jain
72.	Chander Shekhar
73.	Hazara Singh Pruthi
74.	K. K. Bembey
75.	Amar Singh
76.	Pardeep Khandelwal
77.	Bal Krishan Goyal
78.	Harinder Mohan Sharma
79.	Sudarsh Mohan Walia
80.	Rajinder Kumar Sharma
81.	Bina Joshi
82.	Jagdish Bhutani
83.	Ved Parkash Puri
84.	Ashok Kumar Verma
85.	Rakesh Kumar Kaushal
86.	Rajinder Kumar Garg
87.	Bhola Nath Datta
88.	Shalinder Pal Dhiman
89.	Bal Krishan Kakria
90.	Arun Kumar Bhardwaj
91.	Sat Pal Sharma
92.	G. C. Wadhwa
93.	Madan Gopal Soni
94.	Jarnail Singh Bhatti
95.	Malkiat Ram Kora
96.	Basant Kumar
97.	Madhukesh Keshla
98.	Rajinder Kumar
99.	Nand Kishore

1	2
	Sarvashri
100.	Yash Paul Sangra
101.	Darshan Singh
102.	Gurbachan Singh
103.	Karnail Singh Kailey
104.	Sikandar Singh
105.	Subhash Chand Swarn
106.	Subhash Chand Gupta
107.	H. R. Dogra
108.	Gopal Dass Saini
109.	Krishan Chand Kanwal
110.	Birinder Singh
111.	Amarjit Singh Giru
112.	Shiv Kumar Aggarwal
113.	Nirmal Kumar Tandon
114.	Parshotam Dass Sardana
115.	Radhe Sham Jaiswal
116.	Kamal Parkash Jain
117.	Joga Singh Parmar
118.	V. K. Mehta
119.	Ashok Jaidka
120.	Rajesh Kumar Arya
121.	Harish Kumar Verma
122.	Tarsem Goyal
123.	Ashok Khanna
124.	Ashwani Beri
125.	Ashok Kumar Jain
126.	Dinesh Kayshap
127.	Viney Kumar Sharma
128.	Mahesh Kumar Mittal
129.	Ashok Kumar Bansal
130.	Rita Bansal
131.	Jaswinder Vir Singh
132.	Naresh Kumar Aggarwal
133.	Joginder Pal
134.	Vijay Kumar Garg
135.	Ramesh Chand Gupta
136.	Rakesh Kaushal
137.	Varinder Kumar Yadav
138.	Pawan Kumar Goyal
139.	Sushil Kumar
140.	Bhagat Singh
141.	Sant Lal Indora
142.	Teja Singh Nagra

K. K. KHANDELWAL,
General Manager
(Operations)

STATE BANK OF TRAVANCORE

(ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA)

Trivandrum, the 28th October 1986

NOTICE

No. MD-42/1076.—NOTICE is hereby given that the Register of Shareholders of State Bank of Travancore will remain closed for transfer of shares from Saturday the 24th January to Saturday the 7th February, 1987 (both days inclusive).

B. GUPTA,
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700071, the 6th November 1986

CHARTERED ACCOUNTANTS

No. 3-ECA(5)/(5)/86-87.—With reference to this Institute's Notification No. /Nos. 3ECA/4/11/82-83 and 3ECA/4/3/84-85 dated 31-3-1986 and 30-9-1985.

It is hereby notified in persuance of Regulation 18 of the Chartered Accountant's Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, the name/s of the following member/s with effect from the date/s mentioned against their names :—

Sl. No.	Membership Number	Name & Address	Date
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	13034	Shri Jagadindra Ghosh, A.C.A., C/o M/s. A. S. Gupta & Co., Chartered Accountants, 10, Old Post Office Street, Calcutta-700 071.	8-9-1986
2.	17335	Shri Jyoti Chand Baral, A.C.A., 98/B, Prem Chand Boarl Street, Calcutta-700 012.	18-9-1986

R. L. CHOPRA
Secretary.

Madras-600034, the 4th November 1986

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(4)/5/86-87.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) sub-Section 1 of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

Sl. No.	Membership Number	Name & Address	Date of Removal
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	4086	Shri C. Vaidyanathan, No. 3, First Cross Street, Ramakrishna Nagar, Madras-600 028	22-08-1986
2.	4226	Shri P. Gopalakrishna Panikkar SASI Nivas, Municipal Ward, Alleppey.	30-08-1986
3.	8923	Shri N. Radhakrishna Raja, 261, Goods Shed Street, Madurai-625 001.	14-09-1986

The 6th November 1986

No. 3SCA(5)/5/86-87.—With reference to this Institute's Notification No. 3WCA(4)/7/85-86 dated 31st March 1986, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 13th October 1986 the name of Shri V. S. Narasimhan, ACA Chartered Accountant, 5, Malony Road, T. Nagar Madras-600 017.

His Membership Number is 6015.

R. L. CHOPRA
Secretary.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 20th November 1986

No. N. 15/13/1/13/86-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st November, 1986 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The area within the revenue village of Gorrekunta under Warangal revenue mandal, Sthambampally, Pragathi Industrial Estate, Gorrekunta and Warangal under Gheeskonda revenue mandal in Warangal District."

HARBHAJAN SINGH
Director (PLG. & DEV.)

REGIONAL OFFICE BIHAR

Patna-1, the 5th November 1986

S.O. P/42-V/34/11/1/78-Estt-I.—Whereas the Employees' State Insurance Corporation has in pursuance of clause (a) of section 10-A-1 of Employees' State Insurance General Regulation 1950 nominated Asstt. Labour Commissioner, Giridih as a Chairman of the Local Committee *Giridih Area* in place of Dy. Labour Commissioner, Bokaro Steel city (Dhanbad) with the approval of the Government of Bihar Department of Labour & Employment, Patna.

Now, therefore, in persuance of section 10-A-1 (a) of Employees' State Insurance general regulation 1950 the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following amendment in the Notification No. P/42-V-34/11/1/78-Estt.-I dated 26-1-1985 published in the Gazette of India. Part-III Section-4.

In the said notification under the head chairman under regulation 10-A-1 (a) against Sl. No. 1 the following entry shall be substituted.

Chairman

Under Regulation 10-*A*-1 (*a*)
Asstt. Labour Commissioner,
Giridih

S. O. P/42-V-34/11/1/78-Estt.-I.—Whereas the Employees' State Insurance Corporation has in persuance of Clause (a) of Section 10-A-1 of Employees State Insurance General Regulation 1950 nominated Dy. Labour Commissioner, Hazaribagh, as a chairman of the Local Committee, Jhumri Tilaiya.

Jhumritilaiya Area in place of Asstt. Labour Commis- Hazaribagh with the approval of the Government of Bihar Department of Labour & Employment, Patna.

Now, therefore, in persuance of section 10-A-1 (a) of Employees' State Insurance general regulation 1950 the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following amendment in the Notification No. P/42-V-34/11/1/78-Estt.-I dated 26-1-1985 published in the Gazette of India, Part-III, Section-4.

In the said notification under the head chairman under regulation 10-A-1 (a) against Sl. No. 1 the following entry shall be substituted.

Chairman

Under Regulation 10-*A*-1 (*a*)
Dy. Labour Commissioner,
Hazaribagh

S. O. P/42-V-34/11/1/78-Estt.-I.—Where as the Employees State Insurance Corporation has in persuance of clause (a) of section 10-A-1 of employees' State Insurance General regulation 195) nominated Dy. Labour Commissioner Hazaribagh as a chairman of the Local Committee, *Ramgarh Area* in place of Asstt. Labour Commissioner, Hazaribagh with the approval of the Government of Bihar, Department of Labour & Employment.

Now, therefore, in persuance of section 10-A-1 (a) of the Employees' State Insurance general regulation 1950 the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following amendment in the Notification No. P/42-V-34/13/8/82-Estt.-I dated 26-1-1985 published in the Gazette of India. Part-III Section-4.

In the said notification under the head chairman under regulation 10-A-1 (a) against Sl. No. 1 the following entr shall be substituted.

Chairman

Under Regulation 10-*A*-1 (*a*)
Dy. Labour Commissioner,
Hazaribagh

S. O. P/42-V-34/11/1/78-Estt.-I.—Where as the E.S.I. Corporation has in persuance of Clause (c) of section 10A-1 of Employees' State Insurance General Regulation 1950 nominated Bishnu Kumar Upadhyay, Adityapur Industrial Mazdoor Sangh 5/2-4, Adityapur as a member of the Local Committee, *Adityapur Area* in place of Sri Naray Manjhi, General Secretary, Usha Aloy Mazdoor Sangh, Adityapur, with the approval of the Government of Bihar, Department of Labour & Employment, Patna.

Now, therefore, in persuance of section 10-A-1 (c) of the Employees' State Insurance general regulation 1950 the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following amendment in the Notification No. P/42-V-34/11/1/78-Estt.-I dated 26-1-1985 published in the Gazette of India. Part-III Section-4.

In the said notification under the head member under regulation 10-A-1(c) against Sl. No. 8 the following entry shall be substituted.

Member

Under Regulation 10-*A*-1 (*e*)
Shree Bishnu Kumar Upadhyay,
Adityapur Industrial Mazdoor Sangh,
5/2-4, Adityapur, (Jamshedpur)

S. O. 42-V-34/11/1/78-Estt-I.—Whereas the E.S.I. Corporation has in persuance of clause (d) of section 10-A-1 of Employees State Insurance General Regulation 1950 nominated Sri Suresh Kumar Jhanjhri Employer M/S. Premier Glass Industries, Jhumritilaiya as a member of the Local Committee, Jhumritilaiya Area in place of Sri Binod Kumar Saraf with the approval of the Govt. of Bihar Department of I. & E, Patna.

Now, therefore, in persuance of section 10-A-1 (d) of the Employees' State Insurance general regulation 1950 the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following amendment in the Notification No. V-34/11/1/78-Estt.-I dated 26-1-1985 published in the Gazette of India. Part-III Section-4.

In the said notification under the head member under regulation 10-A-1 (d) against Sl. No. 5 the following entry shall be substituted.

Member

Under Regulation 10-*A*-1 (*d*)
Sri Suresh Kumar Jhanjhri,
Employer,
M/s. Premier Glass Industries,
Jhumritilaiya, (Hazaribagh)

S. O. P/42-V-34/11/1/78-Estt.-I.—where as the Employees' State Insurance Corporation has in persuance of clause (a) of section 10-A-1 of Employees' State Insurance General Regulation 1950 nominated Joint Labour Commissioner, Ranchi as a Chairman of *the Local Committee Ranchi and Tantisilway Area.*

In Place of Dy. Labour Commissioner, Ranchi with the approval of the Govt. of Bihar, Department of Labour and Employment, Patna.

Now, therefore, in persuance of section 10-A-1 (a) of the Employees' State Insurance general regulation 1950 the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following amendment in the Notification No. P/42-V-34/11/1/78-Estt.-I dated 26-1-1985 published in the Gazette of India. Part-III Section-4.

In the said notification under the head chairman under regulation 10-A-1 (a) against Sl. No. 1 the following entry shall be substituted.

Chairman

Under Regulation 10-*A*-1 (*a*)
Joint Labour Commissioner,
RANHI

R. R. KUMBHARE,
Regional Director

MINISTRY OF TEXTILES

TEXTILES COMMITTEE

Bombay-400 009, the 29th October 1986

CORRIGENDUM

No. 15(101)83/AD.—In the notification of Textiles Committee No. 15/101/83/AD dated 21-7-1986, published at pages 1365 to 1370, of the Gazette of India, Part-III, Section 4, dated 9th August, 1986, the following corrections shall be made, namely :

1. On page 1365 in Regulation 2, the word 'these' appearing on second line should be corrected as 'those'.
2. On page 1366, in Reglation 5(2), the word 'if' in the last line be corrected as 'of'.
3. On page 1367 in Regulation 9(3), the word 'held' on the first line be replaced by word 'hold'.
4. On page 1367, the word 'closed' under Regulation 9(15) be corrected as 'closes'.
5. On page 1368, in Regulation 10(2), the word 'in' is to be read as 'on'.
6. On page 1369, in second para of Regulation 18, word 'on' appearing on the third line should be deleted.
7. On page 1369, under Regulation 21(1) (c), the word 'or' be replaced by the word 'on' the penultimate line.

No. 15(101)/83/AD.—In the notification of Textiles Committee No. 15/101/83/AD dated 21-7-1986, published at pages 1370 to 1374, of the Gazette of India, Part-III, Section 4, dated 9th August, 1986, the following corrections, shall be made, namely :—

1. On page 1371, word 'dishonest' under Regulation 5(1) is to be read as 'dishonesty'.
2. On page 1371 in Regulation 5(7), word 'everstaying' be changed as 'overstaying'.
3. On page 1371, under Regulation 5(14), words 'where it is prohibited' be added after 'Committee'.
4. On page 1371, in Regulation 7(3), it should be 'it shall be the duty of .....' instead of 'it shall be the duty or .....'.
5. On page 1372, in Regulation 10(1), 'management or....' be corrected as '.... management of .....'.
6. On page 1372, in the title of Regulation 13, the word 'unauthorities' should be 'unauthorised'.
7. In the Regulation 13, again '.... and official document' should be read as '.... any official document .....'.
8. On page 1372, after Regulation 15, the No. of the Regulations should be changed as '16' instead of '1' appearing therein.
9. On page 1373, the last word 'regard' under Regulation 20(4) should be corrected as 'regarding :—'.
10. On page 1374, in second para of Regulation 25 after '.... issue of these regulations', the following words are to be added :—

"which was a misconduct under the superseded regulations".

K. R. BHATI,
Secretary

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

38TH ANNUAL REPORT

1985-86

Report of Board of Directors

Under Section of the Industrial Finance Corporation Act, 1948

I CHAPTER

Operational Environment and Outlook

1.01 The Board of Directors of IFCI have pleasure in presenting the 38th Annual Report on the operations of IFCI together with audited statement of accounts for the year ended the 30th June, 1986.

1.02 As a backdrop to IFCI's performance in 1985-86, it may be relevant to give a synoptic view of the operating economic and industrial environment, the significant policy changes and other developments, which have a bearing upon the operations and working results of IFCI.

(A) ECONOMIC ENVIRONMENT

1.03 The Indian economy which had registered substantial improvement in different sectors of economic activity during the Sixth Plan period, maintained the momentum with succesful start to the Seventh Five Year Plan in the year 1985-86. The major economic indicators for 1985-86 (April-March) showed distinct improvement over the economic levels reached in 1984-85; viz., increased foodgrains production, higher growth rate of National Income and lower inflation rate.

1.04 Foodgrains production in 1985-86 was around 149 million tonnes against 146.2 million tonnes in 1984-85. Overall agricultural production (foodgrains and other crops), showed an increase of 3% compared to a fall of 0.9% in 1984-85.

1.05 The infrastructure sectors of powers, coal, oil and railways performed well during the year and provided better support to the industrial sector. The production of cement, saleable steel and fertilizers also recorded substantial increase in 1985-86.

1.06 Power generation increased by 8.6%—slightly better than the targeted 8.5% increase visualised for the year. The Plant Load Factor (PLF) improved to 52.4%, though it was still below 55.4% reached in 1976-77. The overall power deficit came down to 8%, but region-wise, the distribution remained woefully unequal. Except the Western and North-Eastern Regions, the power deficit was more than the national average in all other Regions.

1.07 The coal production in 1985-86 was close to the targeted level of 154.5 million tonnes. However, despite more coal carried by railways, the despatches could not keep pace with the demand in certain pockets.

1.08 The oil production, after witnessing a substantial 20% rise per annum during the Sixth Plan period, came to be stabilised around 30.2 million tonnes and was marginally more than the target of 30.1 million tonnes fixed for the year. The hike in the prices of petroleum, petroleum products and coal, during the year, however, added to the fuel cost of industrial undertakings.

1.09 The production of cement at 33.1 million tonnes was 9.6% higher than the production of 30.2 million tonnes in 1984-85.

1.10 Saleable steel recorded an increase of 13.6% in the production which was 10 million tonnes in 1985-86 as against 8.8 million tonnes in 1984-85.

1.11 The production of nitrogenous fertilisers in 1985-86 was 43.27 lakh tonnes representing an increase of 10.5% over the production of 39.17 lakh tonnes in 1984-85. Production of phosphatic fertilisers at 14.17 lakh tonnes accounted for an increase of 7.4% over the targeted production for the year and an increase of 12.1% over the actual production of 12.64 lakh tonnes of phosphatic fertilisers in 1984-85.

1.12 The revenue on account of goods traffic of railways increased by 9% and originating passengers by 3.3%. There was also a 12.5% increase in the port traffic in 1985-86.

1.13 The year 1985 proved to be a year of better industrial relations. The number of strikes and lockouts in 1985 came down to 1522 as against 2061 in 1984. The number of mandays lost in 1985 also showed a reduction by 47.9% over 1984.

1.14 The general index of industrial production in 1985-86 rose by 6.3%, which compared favourably with the average annual growth index of industry recorded in the Sixth Plan period at 5.9%. A significant feature of the industrial production in the year 1985-86 was that the manufacturing sector, which accounts for 81.1% of the industrial activity, recorded a substantial improvement in its growth rate at 6.2% against growth rate of 5.5% over the previous year.

1.15 The trade deficit in 1985-86, however, shot up to Rs. 8300 crores against Rs. 5537 crores in 1984-85. However, the foreign exchange reserves position continued to be comfortable with reserves, excluding gold and SDRs, rising to Rs. 7384.40 crores at the end of 1985-86 against Rs. 6816.78 crores at the end of 1984-85.

1.16 With the careful management of monetary and fiscal policies, the basic objective of containing overall liquidity so as to avoid resurgence of inflation was well achieved in 1985-86. The Credit Policy with proper adjustments in Statutory Liquidity Ratio (SLR), streamlining selective credit control measures, rationalising the structure of minimum margins on essential commodities and reducing the interest rates on deposits under the Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Accounts, considerably helped in meeting the financial resources for genuine productive requirements without creating undue inflationary conditions.

1.17 The rate of inflation measured as increase in the Wholesale Price Index, on point-to-point basis, was 3.7% as compared to 7.6% in 1984-85. The increase in the Wholesale Price Index, on average-to-average basis, was, however, 5.7% as against 7.1% in 1984-85.

1.18 Money supply with the public (M 1) as well as total monetary resources (M 3) recorded a smaller growth both in absolute and percentage terms in 1985-86 as compared with 1984-85. M 1 in 1985-86 registered a growth of 7.4% compared to a much larger increase of 16.2% in the previous year. M 3 had an increase of 14.7% as against 17.5% last year.

1.19 The net bank credit to Government showed an increase of 21.8% as against the increase of 23.5% registered in 1984-85. However, increase in bank credit to commercial sector was 12.2% against 16.3% recorded last year. Expansion in the bank credit in 1985-86 was 11.7% which was significantly lower than 16.7% a year ago. Additional deposit mobilisation by banks, could record a growth rate of 16.6% as against 17.1% registered last year. The growth in aggregate deposits of banks was also not able to match inc increase in the demand for credit. Credit extended by scheduled banks expanded by 13.4% only in 1985-86, as compared with 18.5% in 1984-85.

1.20 The Gross National Product (GNP), at 1970-71 prices, according to the official indications, is likely to show a rise of 4% in 1985-86 as against 3.7% in 1984-85.

(B) INDUSTRIAL ENVIRONMENT

1.21 The industrial environment remained congenial for growth during the year 1985-86 due to far reaching changes in economic policies and marked liberalisation in fiscal and industrial policies. The investment climate continued to remain buoyant during 1985-86 as reflected by sharp expansion in the consents for capital issues, the capital issued and capital raised by the corporate sector and boom in the share prices. The total approvals/consents by the Controller of Capital Issues aggregated Rs. 3,695 crores for 1,128 applications in 1985-86, as compared with Rs. 2,003 crores for 712 applications in 1984-85. According to the provisional data, new capital issues were estimated at Rs. 2,300 crores in 1985-86 and were reported to have been over-subscribed by about 18 times during the year as against six times in 1984-85.

1.22 The index number of ordinary share prices (base 1980-81—100) touched all time high of 265.7 on the 15th

February, 1986. Subsequently, though, it fell down to 241.5 by the end of March, 1986, it recorded a net rise of 46.6% over the year as compared with 27.7% in 1984-85.

1.23 The number of Letters of Intent issued in 1985 was 1,457, recording a rise of 56.9%. The number of Industrial Licences issued in 1985 was 985, showing an increase of 8.8%. The number of Foreign Collaboration Approvals in 1985 was 1,024, portraying an increase of 36.2% over the previous year. Capital Goods Clearances, during the year 1985-86, were of the order of Rs. 871.02 crores as against Rs. 744.84 crores in the preceding year, reflecting an increase of 17.01%.

1.24 A number of policy measures were announced by the Government in 1985-86 (July-June) to promote investment, expansion and diversification of production and increase in productive efficiency.

1.25 With a view to optimising utilisation of capacity and encouraging large volume of production so as to secure the benefits of economies of scale and steamlining the licensing procedures and with a view to providing flexibility to the manufacturers to adjust their product-mix depending upon the market demand, the scheme of broad-banding of industries, which was originally made applicable to 20 industries was extended to 26 industries during the year covering synthetic fibre industry and synthetic filament yarn, particle board, fibre board and medium density fibre board, material handling equipment, electrical equipment, electronics industry and glass (hollow-ware) also.

1.26 To accelerate the process of industrialisation, the role of MRTP and FERA companies was considerably enlarged. Government exempted MRTP and FERA companies from licensing in respect of 23 industries included in the list of 30 Appendix—I industries. The list of Appendix—I industries itself was enlarged by adding 19 more items, including two new items pertaining to the agricultural sector, viz., certified high yielding hybrid seeds and synthetic seeds and certified high-yielding plantlets developed through plant tissue culture.

1.27 The conditions permitting MRTP and FERA companies for their entry in non-Appendix—I industries in the notified backward areas/districts were further liberalised. The export obligation of 50% in category 'B' and 'C' districts and 30% in category 'A' districts for such companies was reduced to 25% for projects in category 'B' and 'C' districts and was completely dispensed with in respect of category 'A' districts.

1.28 A new Liberalised Capacity Re-endorsement Scheme for the Seventh Plan period was introduced in May, 1986. Expansion of capacity was allowed to existing enterprises with a view to helping them to achieve economic levels of production in respect of 65 articles in chemicals and petrochemicals, electronics, transportation, drugs and pharmaceuticals and light engineering industries, subject to environmental and MRTP provisions/clearances.

1.29 With a view to accelerating modernisation and replacement in industry, a simplified procedure for recognition of additional capacity upto 49% of the licensed capacity as a result of replacement/modernisation/renovation was allowed. The locational policy constraints were also not to apply to such cases.

1.30 For recording foreign collaborations, a new procedure was introduced cutting the procedural delays to the minimum. According to the new procedure, after foreign collaboration agreements were cleared by the Project Approval Board (PAB) and the Foreign Investment Board (FIB), the Secretariat for Industrial Approvals (SIA) could issue the Letter of Approval forming part of the foreign collaboration agreement. To ensure technology absorption and to promote R&D efforts, it was made obligatory on the part of the companies to contain a chapter in their Annual Reports on the absorption of technology.

1.31 In order to help establish a stable climate for new long-term investment and increase in production, Government announced in December, 1985, Long-Term Fiscal Policy (LTFP) covering the Seventh Five Year Plan period (1985-90). This imparted a definite direction and coherence to the sequence of Annual Budget, reliance on discretionary, case by case administration of physical controls and strengthening the operational linkages between fiscal and financial targets of the Seventh Plan and Annual Budgets.

1.32 In the light of the Long-Term Fiscal Policy, the Budget for 1986-87 attempted restructuring of customs duty, introduced the Modified Value Added Tax (MODVAT), allowed depreciation on the basis of a rationalised rate structure on block assets instead of individual assets and announced a funding scheme for replacing the investment allowance scheme. It also mooted venture Fund to promote indigenous technology. The rate of corporate tax for widely-held companies was reduced to 50% and for closely-held companies to 55%. The tax holiday concession was extended for another five years. Curbs on advertisement expenditure were removed. Capitalisation of interest paid or payable by the companies was banned. A new cash Compensatory Scheme, effective from the 1st July, 1986, was announced for the textile industry. A Small Scale Industries Development Fund with a corpus of Rs. 2,500 crores to be operated by IDBI was set up in May, 1986, which included also a cash contribution of Rs. 100 crores from the General Fund of IDBI.

1.33 For the first time, the Import-Export Policy was announced for a period of three years (1985—88) with a view to imparting continuity and stability in the policy with accent on increased production through easier and quicker access to inputs that needed to be imported. The policy was also tailored to reduced licensing, streamlining procedures and decentralising decision making process. Import of as many as 53 items was de-canalised. 201 items of industrial machinery were placed under Open General Licence (OGL). A new Export-Import Passbook Scheme was introduced to provide duty free access to imported raw materials for manufacturers/exporters. Special facilities for imports continued to be extended for non-resident Indians.

1.34 During the year, guidelines were issued by the Government for (a) issue of cumulative preference shares, (b) floatation of bonds by public sector undertakings, (c) Employees Stock Option Scheme, (d) non-transferability of shares which the promoters were privately placing with the public so as to avoid artificial rigging up of the prices of the shares offered to public, exempting, however, the shares hypothecated by the promoters to the Risk Capital Foundation and Public Financial Institutions, (e) allowing foreign firms offering high technology to invest upto 25% in the capital of the existing industrial units, (f) requiring companies with a paid-up capital of Rs. 5 crores and above and seeking enlistment on a Stock Exchange to get their shares listed on atleast one more Stock Exchange in addition to the Regional Stock Exchange, and (g) not to refuse registration of transfer of shares except in certain specified circumstances and with proper reference to the Company Law Board.

1.35 The policy relating to sick industrial units was given a fresh look. An enactment known as Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, was passed which received President's assent on the 8th January, 1986. This legislation was designed to make special provisions, in the public interest, with a view to securing timely detection of sick and potentially sick industrial undertakings and the speedy determination of the preventive, ameliorative, remedial and other measures which needed to be taken with respect to such undertakings by a Board of experts known as Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR). To control sickness in the industrial units, the onus for reporting sickness and impending sickness at the stage of erosion of 50% or more of the net-worth of an industrial undertaking was placed on the Board of Directors of the concerned company. The enactment provided for revival of potentially viable sick industrial undertakings after their careful evaluation, through the process of amalgamation, merger, reconstruction, etc. Apart from BIFR, the enactment also provided for the constitution of an 'Appellate Authority' for hearing appeals against the orders of BIFR. Both BIFR and Appellate Authority are to be deemed under the Act as civil courts and every proceeding before BIFR or the Appellate Authority is to be deemed as a judicial proceeding. The enactment has an over-riding effect over all other Act except Foreign Exchange Regulation Act, 1973 and Urban Land (Ceilings & Regulation) Act, 1976. The Act also provides specifically that nothing contained in MRTP Act, 1969, shall

apply in relation to the modernisation or expansion or the merger or amalgamation of a sick industrial company with another company as a result of a scheme sanctioned by the BIFR. BIFR, under the Act, has authority to direct the banks and Financial Institutions not to provide any financial assistance for a period of ten years to any person responsible for diversion of funds or for managing the affairs of a company in a manner highly detrimental to the interests of the company or to such person or firm in which such a person is a partner or to such company in which such a person is a director.

1.36 To encourage the partipation of Non-Resident Indians (NRIs) in the revival and rehabilitation of sick industrial undertakings, Government also issued guidelines for bulk investment by NRIs on private placement basis with facility for repatriation upto 100% of equity capital in potentially viable sick industrial units.

1.37 During the Year, the State Financial Corporations Act, 1951 was amended which enabled State Financial Corporations (SFCs) to extend financial assistance upto higher specified ceilings.

1.38 For providing assistance for the development of sugar industry and modernisation of textile mills, the Central Government announced the creation of (a) Sugar Development Fund and (b) Textile Modernisation Fund. The Sugar Development Fund (SDF) is to be used *inter alia* for providing assistance to sugar mills for modernisation and rehabilitation of their plant and machinery. The assistance would be deemed as 'promoters' contribution' by the Financial Institutions for the purpose of considering need-based modernisation/rehabilitation proposals. IFCI as an agent of Central Government, would have operational responsibility including follow-up of the concessional loans which would carry 6% p.a. simple rate of interest. The Textile Modernisation Fund (TMF) set up and operated by IDBI, apart from considering requests for the modernisation of textile units, also envisages the provision of 'special loan' to be given for meeting the requirement of promoters' contribution in the case of weak units, i.e., those units which have a negative net-worth or whose accumulated losses have eroded 50% or more of their peak net worth during the immediately preceding five accounting years. The 'special loan' is to carry interest at 6% p.a. with a moratorium of six years and is subject to conversion at par unlike in the case of modernisation loans which have no conversion option. Assistance of weaker units out of the Funds is to be linked with the professionalisation of management in the assisted concerns.

(C) DEVELOPMENTS ON INSTITUTIONAL SCENE

1.39 The all-India Financial Institutions including IFCI continued to streamline their policies and procedures with a view to making qualitative improvements in the evaluation of projects, cutting down redundancy and ensuring that the assistance committed to the industrial units was made available to them in the shortest possible time and was utilised for the purpose for which it was meant.

Improvements in the Project Evaluation Techniques

1.40 With a view to tackling the problem of time and cost overruns in the implementation of the projects, and recognising the need for (a) greater discipline on the part of the promoters and deeper monitoring of the projects during their implementation, (b) making the entrepreneurs recognise in general that overrun would not find an easy acceptance and financing at the hands of the Financial Institutions, and (c) stipulating certain conditions with a view to providing disincentives (directed not at the project but at the promoters) in the case of overruns, certain measures aimed at improving the appraisal parameters and monitoring of the projects during the implementation period were decided to be undertaken by the Institutions.

Consortium Financing Arrangements

1.41 A special feature of considerable importance in IFCI's operations is the joint financing of projects involving consortium approach in close co-ordination with other all-India Financial Institutions, at the same time, ensuring 'single point clearance' and 'single window dispensation of credit'. During the year, in order to have a better division of work amongst Institutions and to facilitate the expeditious disposal of applications, it was agreed that with effect from the 1st November, 1985, all projects (whether new, expansion, diversification, modernisation, rehabilitation, etc.) with a capital cost upto Rs. 5 crores could be financed by IFCI either on its own or in participation with other national and State-level financial institutions and banks, as may be found feasible, without making any reference to any of the inter-institutional forums. In case of additional assistance required for expansion/diversification/modernisation/rehabilitation programmes of existing industrial concerns, the same could also be financed directly by IFCI, ICICI, IDBI, IRBI, depending upon the respective lead responsibility, either on its own or in association with any other Financial Institution(s). Only the cases involving over-run assistance or those projects/schemes whose project cost was above Rs. 5 crores were required under the new arrangements to be discussed at the inter-institutional forum of Senior Executive Meeting (SEM)/Inter-Institutional Meeting (IIM) for preliminary exchange of views and designation of lead institution.

Energy, Safety and Pollution Control Audit

1.42 In the context of high priority and significant importance attached to energy conservation, use of alternate sources of energy, pollution control and human safety measures, it was decided during the year to enforce in a phased manner, a proper system of 'energy audit', 'safety audit' and 'pollution control audit' by assisted concerns on an on-going basis.

Norm of Promoters' Contribution

1.43 With a view to widening the equity base and inducing somewhat larger stake of promoters, the norm of minimum promoters' contribution for various categories of promoters, which ranged earlier from 20% to 10% of the project cost, was stepped up by 2.5 percentage points.

Dispensing with Mortgage in Co-operative Sector Industrial Units

1.44 On the analogy of practice followed by the Institutions in the case of Public and State sector industrial undertakings, it was decided, with effect from the 1st December, 1985, not to insist on a mortgage/charge on fixed assets in the case of co-operative sector assisted units, on a case to case basis, where 100% unconditional guarantee of the Central/State Government was available to the institutions for the assistance extended by them.

Amendments to the Loan Agreement

1.45 The Standard Loan Agreement was amended during the year to provide for (a) stipulation relating to compliance with repuirements laid down by the State Pollution Control Boards, (b) acquisition of transfer of assets on 'leasing' basis to be made only with the prior approval of the Financial Institutions and (c) appropriation of receipts from assisted concerns under direct loans to be made in a rationalised and specified order. Steps were underway for further simplification of the Standard Common Loan Agreement, as at the end of the year.

Scheme of bridging Loans against Public Issue of Shares

1.46 The Scheme for grant of Bridging Loans against Public Issue of Shares which was introduced in April, 1983, was reviewed and effective from the 1st June, 1986, a modified scheme contemplating the grant of bridging loan limited to 50% of the underwriting commitment at 11% p.a. rate of interest for the first six months (and normal rate of 14% thereafter), provided the concern had drawn at least 90% of the regular loans sanctioned to it and the promoters had brought in their contribution in full, was brought into force.

Co-ordination between Banks and Financial Institutions

1.47 Mention was made in last year's Annual Report in respect of arrangements agreed to between Banks and Financial Institutions about granting of term-loan assistance to indusrial projects. During the year, the arrangements were

finalised and the Reserve Bank of India issued guidelines with regard to the parameters to be taken into account while evolving/finalising the rehabilitation measures for the resurrection of potentially viable sick units. These considerably simplified the formulation of rehabilitation packages and also strengthened the co-ordination between banks and Financial Institutions in this critical area.

Convertibility Option

1.48 There was no change during the year in the convertibility guidelines. In respect of sanctions accorded during the year, convertibility clause was stipulated as per extant guidelines only in 48 cases. The convertibility right was exercise during the year only in 3 cases and waived in 57 cases.

1.49 Cumulatively, since the introduction of convertibility guidelines, IFCI had stipulated the convertibility clause in 1,045 cases, had exercised the convertibility option in 106 cases and had waived the same, after taking into account all the relevant factors, in 403 cases.

Role of Nominee Directors

1.50 In terms of the guidelines issued by Government, Nominess Directors were advised to monitor closely the erosion in the net worth of the industrial units, and, where 25% of the net worth of the unit had been eroded, to bring the matter specifically to the notice of the nominating Financial Institution for keeping a close watch. They were also asked to raise the issued of creation of a Sinking Fund/ Redemption Reserve for facilitating eventually the redemption of bonds/debentures, where no such steps appeared to have been taken by the concerned companies. A Handbook on the 'Guidelines for the use of Nominee Directors' was also finalised by the Institutions and issued under the aegis of IDBI.

1.51 During the year, IFCI appointed Nominees (officials as well as non-officials) on the Boards of Directors of 73 assisted concerns. Cumulatively, upto the 30th June, 1986, IFCI had 288 Nominees on the Boards of 548 assisted concerns, of which 125 were officials and 163 were non-officials.

1.52 The Nominee Directors' Cell constituted by IFCI in terms of the guidelines issued by the Government continued to monitor the affairs of the concerns on which Nominee Directors had been appointed and also to keep liaison with the Nominee Directors, officials as well as non-officials. The assisted concerns which had a paid-up share capital of Rs. 5 crores or more, were asked to constitute Audit Sub-Committees of the Board of Directors for the purpose of periodical assessment of the expenditure incurred by them and with a view to curbing the tendencies towards extravagance, lavish expenditure and diversion of funds, etc.

Rates of Interest, etc.

1.53 There was no change in the basic lending rate of interest during the year. However, effective from the 1st January, 1986, in respect of DM Sub-loans against KFW lines of credit and DM Revolving Funds, the rate of interest was reduced from 14% p.a. to 10% p.a., subject to the condition that in the event of default, the defaulted instalment(s) shall carry the current normal lending rate applicable to Rupee Loans, plus usual liquidated damages.

(D) GENERAL REVIEW OF INDUSTRIES

Trends in Industrial Production

1.54 The average annual growth rate of industry in the Sixth Plan period was 5.9%. Compared with this, the overall growth rate of industrial production in 1985-86, the first year of the Seventh Plan (1985-90), was recorded at 6.3%.

1.55 The sectoral trends in industrial production during 1984-85 and 1985-86 are given in Table 1.

Table 1 : Sectoral Trends in Industrial Production
(Base 1970=100)

Weight	Sector	Percentage increase over the previous year	
		1984-85 (April-March)	1985-86 (April-March)
(1)	(2)	(3)	(4)
9·7	Mining and Quarrying	8·0%	4·6%
81·1	Manufacturing	5·5%	6·2%
9·2	Electricity	11·9%	8·5%
100·0	All industries	6·3%	6·3%

1.56 The overall rate of industrial growth in 1985-86 could have been better but for deceleration in the rate of growth in mining and quarrying sector from 8% in 1984-85 to 4.6% in 1985-86 and that of electricity from 11.9% to 8.5%. The deceleration in the case of mining and quarrying sector was primarily due to reduced growth rate both in the coal and oil sector, compared to the previous year on account of earlier stockpiling of coal at pitheads and production of oil, more or less, having been stabilised from the existing oil resources. All the same, six infrastructure industries comprising electricity, coal, saleable steel, oil, refinery products and cement, accounting for a weight of 23.3% in the General Index of Industrial Production, recorded a growth of 8.2% compared to 1984-85.

1.57 Trendwise, except for the first two quarters of 1985-86, the average level of Index of Industrial Production remained higher than that in the corresponding quarter of 1984-85, the percentage variation in the Index of Industrial Production being highest at 8.3% in the quarter: October-December, 1985.

1.58 According to the data available, out of 160 industries (which together accounted for about 85% of the total weight in the Official Index of Industrial Production) as many as 112 industries registered an increase in production in 1985-86 and only 48 industries recorded a fall in production.

1.59 The industries, which recorded an increase in production of 8% and above, over the production in 1984-85 were: Sugar (9.8%), Leather cloth (14.0%), Linoleum (35.2%), Paper (10.2%), Newsprint (19.9%), Bicycle tyres (16.0%), Rubber footwear (8.7%), Nitrogenous fertilisers (10.5%), Phosphatic fertilisers (12.1%), Oxygen gas (13.4%), PVC Resins (30.5%), Caprolactum (17.2%) Dimethyl Terephthalate (DMT) (42.5%), Viscose Filament yarn (27.5%) Nylon filament yarn (19.3%), Nylon tyre cord (26.8%), Polyester fibre (8.3%), Polyester filament yarn (21.8%), Malathion (11.7%), Chloramphenicol (11.9%), Vitamin 'A' (14.9%), Synthetic detergents (15.3%), Cement (9.6%), Grinding wheels (10.4%), Saleable steel (13.6%), Steel ingots (9.3%), Aluminium sheets & circles (14.9%), Lead (20.4%), Zinc (26.7%), Bolt, nuts & rivets (18.0%), Twist drills (27.0%), Boilers (25.2%), Diesel engines—Stationary (8.0%), Metallurgical machinery (31.6%), Cement machinery (65.3%), Ball and roller bearings (27.3%), Road rollers (69.3%), Refrigerators (11.5%), Airconditioners (16.2%), Electric motors (8.2%), Electric fans (8.3%), ACSR/AAC wires and cables (14.8%), PILC cables (46.5%), Storage batteries (11.6%), Graphite electrodes (13.1%),

Passenger cars (18.1%), Jeeps (13.9%), Motor-cycles (39.4%), Scooters (48.6%), Mopeds (20.9%), Three wheelers (17.9%), Clocks (19.4%) and Zip fasteners (8.5%).

1.60 Industries which lagged behind in their production and recorded negative growth of 8% and above in 1985-86 were: Cigarettes (—11.1%), Calcium carbide (—21.5%), High density polythylene (—12.6%), Synthetic rubber (—8.9%), Viscose staple fibre (10.0%), Cellulose film (–8.3%), BHC-Tech. (–11.0%), DDT (–32.9%), Streptomycin (–21.4%), Aluminium (–9.0%), Aluminium EC grade (—11.8%), Aluminium extruded products (—8.2%), Copper-cathodes (–11.3%), Forged hand tools (–29.7%), Mining machinery (–10.2%), Rubber machinery (–14.6%), Air and gas compressors (–16.2%), Tractors (–10.0%), Sewing machines (–12.1%), VIR/PVC cables (–11.2%) and Rubber and plastic accessories (–17.7%).

Trends in Capacity Utilisation

1.61. From the available data in respect of 148 selected industries out of 160 industries, 105 industries recorded higher capacity utilisation, when measured with their production targets/annual operating plans, for 1985-86. In respect of 36 industries, capacity utilisation in 1985-86 was lower than 1984-85 and 7 industries displayed stagnant capacity utilisation in 1984-85 and 1985-86. Out of 148 industries, 40 industries were successful in utilising their installed capacity to the extent of 80% and above. Out of these 40 industries, 30 industries were able to utilise installed capacity upto 90% or more.

1.62 Out of the capital goods industries recording capacity utilisation of 80% and above in 1985-86, mention may be made of—cement machinery, packaging machinery, dairy machinery, air pollution machinery, industrial boilers, metallurgical machinery, material handling equipment, food processing machinery, power and distribution transformers.

1.63 In the intermediate goods sector, jeeps, three-wheelers, V and Fan belts, car discs, laboratory glass, paints, enamels and varnishes, lead oxide, synthetic resins, nitrous oxide, explosives, detonators, etc., were able to have capacity utilisation of 80% and above.

1.64 In the consumer goods sector, the industries which were able to have capacity utilisation at the rate of 80% and above were—mopeds, canvas footwear, fluorescent tubes, domestic refrigerators, electric fans, food products, bicycle tyres, matches, etc.

1.65 *Appendix-I* to this Report gives the installed capacity, production, capacity utilisation percentage of 53 selected industries for the year 1985-86 and in relation thereto the corresponding data relating to 637 assisted concerns of IFCI based on the performance reports received from them.

Financial Performance of Industries

1.66 According to the available data, the financial performance in most of the industries in 1985-86 recorded an improvement over levels achieved in 1984-85, in total contrast to stagnation and slackening of activities in the preceding two years. There was growth in business activity, with substantial increase in production and, correspondingly, in sales. However, the profitability margin could not show much improvement and remained almost unchanged at the level achieved in 1984-85, particularly in industries with administered and/or regulated price structure, due to increase in costs of production on account of hike in the prices of raw materials, coal, oil, petroleum products and power tariffs. The slightly improved performance of assisted concerns of IFCI was also reflected, in a measure, in IFCI's performance as well, particularly in the form reduced defaults and improved recovery ratio, as would be observed from the operations and working results of IFCI in 1985-86 given in Chapter 2.

(F) OUTLOOK

1.67 The World Bank's Report—1986, while outlining economic prospects for South Asian countries makes special laudatory reference to India, particularly in respect of her foodgrains self-sufficiency. The comfortable level of food stocks in the country affords considerable opportunities for accelerating anti-poverty programmes and also serves as a valuable hedge against inflationary pressures in the economy.

1.68 Manufacturing output in 1985-86 had picked up significantly. It is expected that wide-ranging measures concerning fiscal, monetary and industrial policies would lead to higher growth and employment in the industrial sector in 1986-87. However, substantial improvement in the infrastructure sector including tele-communications is of crucial importance. Overall, the behaviour of demand in the industrial sector, the trends in capital market and institutional finance do predict a better performance of industry in 1986-87 than in 1985-86.

1.69 The key to greater self-reliance, sustained growth and a manageable balance of payment lies in improved export performance. The various policy measures taken by the Government have provided considerable impetus to exports as also consciously promoted competitive environment. The impact of these measures might be felt through increased exports in 1986-87. On the import front, however, judicious selectivity needs no emphasis.

CHAPTER 2

OPERATIONS AND WORKING RESULTS

(A) *Operations of IFCI*

2.01 There was all-round improvement of IFCI's operations in 1985-86. Sanctions and disbursements for the first time, crossed the mark of Rs. 500 crores and Rs. 400 crores respectively and registered a growth of 22.6% and 30.2% respectively. The average 'loans recovery ratio' also improved by 7 percentage points during the year.

Flow of Applications

2.02 IFCI processed during 1985-86, applications for financial assistance from 373 eligible industrial concerns for an aggregate assistance of Rs. 2,630.85 crores on joint financing basis. Applications from 9 concerns for an aggregate assistance of Rs. 22.76 crores were treated as withdrawn or closed and as at the end of the year, applications from only 26 concerns under IFCI's lead for an aggregate assistance of Rs. 133.69 crores on joint financing basis, were pending. All other applications from 338 concerns were sanctioned assistance during the year—the disposal in 94.7% cases having been made in less than 4 months' period from the date of receipt of complete information and data.

2.03 Apart from applications from 26 concerns, pending under lead of IFCI, applications from 60 concerns for an aggregate assistance of Rs. 1,030.07 crores, on joint financing basis, were pending consideration under the lead of IDBI and ICICI, in which also IFCI was expected to be involved in the succeeding period.

2.04 Insofar as the flow of applications is concerned, IFCI received applications for financial assistance from all States and Union Territories, except Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Goa, Daman & Diu, and Lakshdweep. The maximum number of applications for financial assistance emanated from Uttar Pradesh, followed by Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab and Rajasthan. Industrywise, the largest number of applications during the year were received from industries under textiles followed by chemicals and chemical products group, electrical equipments and electronics, cement, iron and steel, suggar, metal products, synthetic resins and plastics, etc.

Sanctions and Disbursements

2.05 The aggregate net sanctions (after accounting for cancellations in two cases) under all schemes of direct financing of IFCI amounted to Rs. 579.45 crores to 365 industrial/projects of 336 industrial concerns, comprising Rupee Loans of Rs. 369.90 crores, foreign currency sub-loans equivalent to Rs. 153.23 crores, underwriting/direct subscriptions of the extent of Rs. 40.53 crores and guarantees amounting to Rs. 15.79 crores. These were high by 22.6% over the net sanctions of Rs. 472.62 crores in the preceding year.

2.06 The total assistance disbursed by IFCI in 1985-86 amounted to Rs. 413.92 crores comprising rupee loans of Rs. 315.01 crores, foreign currency loans disbursements equivalent to Rs. 87.08 crores, underwriting/direct subscriptions

to the extent of Rs. 3.87 crores, and guarantees issued amounting to Rs. 7.96 crores. These disbursements were higer by 30.2% over the disbursements of Rs. 317.95 crores (with a growth rate of 22.2%) recorded in 1984-85.

2.07 Cumulatively, sanctions accorded by IFCI upto the end of June, 1986 amounted to Rs. 3,231.67 crores comprising Rs 2,300.11 crores in rupee loans, Rs. 578.53 crores in foreign currencies, Rs. 242.04 crores for underwriting and direct subscriptions and Rs. 110.99 crores in guarantees for deferred payments and for foreign loans. Disbursements upto June end 1986, aggregated Rs. 2,379.69 crores, of which Rs. 1,887.21 crores were in the form of rupee loans, Rs. 357.06 crores by way of loans in foreign currencies, Rs. 69.90 crores represented underwritings and direct subscriptions and Rs. 65.52 crores took the form of guarantees for deferred payments and foreign loans. The outstanding assistance portfolio as on the 30th June, 1986, net of repayment by borrowers, amounted to Rs. 1,725.67 crores.

2.08 Table 2 gives the facility-wise classification of sanctions and disbursements of IFCI during the year 1985-86 and cumulative operations upto the 30th June, 1986, indicating sanctions, disbursements and outstandings as on that date.

Table 2 : Facility-wise Classification of Sanctions and Disbursements and Outstandings

(Rs. crores)

Facility	1985-86 (July—June)		Cumulative up to the 30th June, 1986		Outstandings as on the 30th June, 1986. /Rs.
	Sanctions Rs.	Disbursements Rs.	Sanctions Rs.	Disbursements Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rupee Loans					
—Normal	293·73 (50·7%)	267·88 (64·7%)	1960·65 (60·7%)	1647·41 (69·2%)	1249·73 (72·4%)
—Soft Loans Scheme	76·17 (13·1%)	47·13 (11·4%)	339·46 (10·5%)	239·80 (10·1%)	199·20 (11·5%)
Foreign Currency Loans	153·23 (26·4%)	87·08 (21·1%)	578·53 (17·9%)	357·06 (15·0%)	200·18 (11·6%)
Underwritings	40·12 (6·9%)	2·89 (0·7%)	229·35 (7·1%)	58·00 (2·4%)	36·02 (2·1%)
Direct Subscriptions	0·41 (0·1%)	0·98 (0·2%)	12·69 (0·4%)	11·90 (0·5%)	22·66 (1·3%)
Guarantees					
—For deferred Payments	13·64 (2·4%)	9.97 (1·2%)	74.02 (2·3%)	37.61 (1·6%)	13·35 (0·8%)
—For foreign Loans	2·15 (04·%)	2.99 (0.7%)	36.97 (1.1%)	27·91 (1.2%)	4·53 (0·3%)
Total	579·45 (100·0%)	413·92 (100·0%)	3231·67 (100·0%)	2379·69 (100·0%)	1725·67 (100·0%)

Notes : Figures in brackets denote the percentage to the total.

2.09 An emerging trend in IFCI's operations is a rising share of foreign currency loans in its assistance portfolio. Five years back, while the share of foreign currency loans in the quantum of assistance sanctioned was not even 10%, in 1986, it had exceeded 25%. Compared with previous year, the increase in foreign currency loans sanctioned in 1985-86 was 25.8% over the previous year's sanctions, surpassing even the increase of 25.7% in the sanctions of rupee loan assistance. The foreign currency loan disbursements equivalent to Rs. 87.08 crores during the year 1985-86, indicated an all-time high of 143.0% over the foreign currency loans equivalent to Rs. 35.83 crores in the preceding year.

Guarantees

2.10 The sanctions of guarantees for deferred payments and foreign loans in 1985-86, aggregated Rs. 15.79 crores for 3 projects, viz., a 100% export-oriented spinning unit in co-operative sector in Maharashtra, a 500 MW thermal power generating unit at Trombay, and, a unit for the manufacture of mono-ethylene glycol at Kashipur, District Nainital, in Uttar Pradesh.

Important aspects of IFCI's Assistance

(a) Assistance to New Projects

2.11 62.4% of total assistance sanctioned by IFCI in the year 1985-86 went to 127 new projects. Of these, 15 projects each had a capital outlay upto Rs. 3 crores; 22 projects had individually a capital outlay between Rs. 3 crores to Rs. 5 crores; 40 projects were in capital outlay range between Rs. 5 crores to Rs. 10 crores, and 50 projects were those, where capital outlay was above Rs. 10 crores.

(b) Assistance to Modernisation Projects

2.12 The projects claiming assistance for the purpose of modernisation/renovation, etc., were 101, which accounted for an aggregate assistance of Rs. 76.17 crores under the Soft Loans Scheme. This was 20.7% higher than the assistance of Rs. 63.12 crores sanctioned under the Soft Loans Scheme during the previous year for modernisation purposes.

(c) Assistance to Expansion, Diversification and other purposes

2.13 Assistance of the order of Rs. 61.20 crores, went to 40 projects for their expansion and diversification programmes in 1985-86. Financial assistance amounting to Rs. 80.49 crores was sanctioned to 97 projects during 1985-86 for other purposes, viz., for meeting overrun in the cost of projects, rehabilitation schemes, acquisition of balancing equipments, etc.

(d) Assistance under Equipment Finance Scheme

2.14 A mention was made in the last year's Annual Report about introduction of an Equipment Finance Scheme by IFCI.

During the year, under this Scheme, assistance aggregating Rs. 12.57 crores was sanctioned to 23 projects.

(e) Assistance for Projects in Backward Areas

2.15 IFCI's sanctions for projects located in notified backward districts/areas during the year 1985-86, amounted to Rs. 323.57 crores, forming 55.8% of the total assistance sanctioned.

2.16 Under the revised scheme of classification of backward districts under category 'A', 'B' and 'C', 40 projects located in category 'A' (No-Industry/Special Region) Districts, secured assistance of the order of Rs. 91.92 crores, 68 projects located in category 'B' Districts claimed assistance to the extent of Rs. 132.32 crores and 77 projects in category 'C' Districts had assistance aggregating Rs. 99.33 crores. The percentage share of each category of notified backward districts, i.e., category 'A', 'B' and 'C' in the total assistance sanctioned for projects in notified backward districts worked out to 28.4%, 40.9% and 30.7% respectively.

(f) Assistance to projects promoted by New Entrepreneurs

2.17 Out of 127 new projects assisted during the year, 12 projects were those promoted by new and technician entrepreneurs, which claimed an assistance of Rs. 20.36 crores. Of the above, ten projects were located in notified backward Districts/Areas, out of which, two were located in category 'A' (No-Industry/Special Region) Districts.

(g) Assistance to projects promoted by Non-Resident Indians

2.18 Keeping in view the Government of India's Policy to encourage investment in industry by Non-Resident Indians, IFCI assisted, during the year, seven projects with an aggregate assistance of Rs. 37.05 crores promoted by Non-Resident Indians.

(h) Assistance to projects with foreign technical/Financial collaboration

2.19 Out of 365 projects assisted during the year 34 projects, which were sanctioned assistance of the order of Rs. 129.97 crores, involved foreign colaborations and/or technology transfer from abroad. Of the above, 12 projects carried both financial and technical collaboration, while the remaining 23 projects involved only technical collaboration. The countries from where and the number of projects for which the technology was obtained, were The Federal Republic of Germany (12), Japan (3), U.K. (5), Belgium (3), Italy (3), U.S.A. (2), France (2), Sweden (1) and Bermuda (1).

(i) Assistance to export-oriented projects

2.20 During the year, four 100% export-oriented projects were sanctioned assistance of the order of Rs. 17.15 crores. The range of products of these projects included cotton yarn, silk fabrics, furfural, tinned fruit juices, etc.

Special features of certain assisted projects (1985-86)

2.21 For the first time, IFCI assisted a project manufacturing automobile parts at Faridabad, Haryana, promoted by women entrepreneurs. A specific feature of this project was that the entire Board of Directors, including the Chairman & Managing Director and Executive Director consisted of women only. Another project which was assisted for the first time by IFCI pertained to the establishment of a Medical Diagnostic Centre with a capacity to diagnose 60 patients per day at Berhampur, District Ganjam, Orissa. Another project claimed to be the largest of its kind in the world, assisted by IFCI, during the year, was an Agrofurnace project located in District Sangrur, Punjab, with facilities for shelling of 5.76 lakh tonnes per annum of paddy, manufacture of 3,000 tonnes per annum of furfural, 6,500 tonnes per annum of edible grade rice bran oil as well as generation of 10.5 MW of power from spent rice husk. A number of other projects assisted by IFCI, during the year, had some special characteristics, e.g., making full utilisation of by-products or waste material, using fuel efficient or power efficient technology or introducing for the first time, a better and improved technology in the country, etc.

Sector-wise Classification of Assistance

2.22 Table 3 gives the sector-wise classification of projects and assistance sanctioned to them both during the year and cumulatively upto the 30th June, 1986.

Table 3 : Sector-wise Classification of Assistance Sanctioned and Disbursed

(Rs. crores)

Sector	1985-86 (July—June)			Cumulative up to the 30th June, 1986		
	Sanctions		Disbursements	Sanctions		Disbursements
	No. of projects	Amount Rs.	Rs.	No. of projects	Amount Rs.	Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Private	284	399·23 (68·9%)	254·19 (61·4%)	1554	2086·86 (64·6%)	1497·89 (62·9%)
Joint	40	97·68 (16·9%)	69·94 (16·9%)	195	457·38 (14·1)%	296·60 (12·5%)
Public	21	38·86 (6·7%)	44·83 (10·8%)	235	351·04 (10·9%)	287·09 (12·1%)
Co-operative	20	43·68 (7·5%)	44·96 (10·9%)	288	336·39 (10·4%)	298·11 (12·5%)
Total	365	579·45 (100·0%)	413·92 (100·0%)	2272	3231·67 (100·0%)	2379·69 (100·0%)

(a) Assistance to Co-operative Sector

2.23 During the year, IFCI sanctioned assistance of the order of Rs. 43.68 crores to 20 projects in the co-operative sector. The assistance was 65.1% more than the assistance of Rs. 26.45 crores sanctioned last year to the projects in the co-operative sector. The co-operative sector projects assisted during the year included 13 sugar co-operatives claiming assistance of Rs. 14.79 crores, 3 textile co-operatives with an assistance of Rs. 2.87 crores and 4 projects in other industries i.e., one each in paper, fertilisers, synthetic fibres, and

chemical industries claiming aggregate assistance of Rs. 26.02 crores.

2.24 Cumulatively, upto the 30th June, 1986, IFCI had sanctioned assistance of the order of Rs. 336.39 crores to 288 projects in co-operative sector (10.4% of the total), of which, Rs. 298.11 crores (88.6%) had already been disbursed. Table 4 gives the industry-wise classification of assistance sanctioned and disbursed to co-operatives upto the 30th June 1986.

Table 4 : Assistance to Industrial Co-operatives (1948—86)

(Rs. crores)

Nature of industry	No. of Projects	Amount sanctioned Rs.	Amount disbursed Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
Sugar	193	206·71	191·64
Cotton Spinning	81	75·93	65·09
Jute	1	0·79	0·79
Paper	4	4·45	4·25
Fertilisers	4	33·00	31·75
Synthetic fibres	2	13·22	2·50
Vegetable oil	1	0·22	0·22
Cocoa processing	1	1.87	1.87
Chemicals	1	0·20	—
Total	288	336·39	298·11

2.25 A note-worthy feature of IFCI's assistance to the industrial co-operatives, has been that it has gone to the units located in somewhat remote corners of the country and has been instrumental not only in bringing industries to places where there were none, but also in changing the entire rural scene. It is not unoften, that the coming into existence of an industrial co-operative in a rural area has brought in its wake such transformation as improved roads, better irrigation facilities, provision of drinking water, establishment of schools and hospitals, apart from strengthening the faith of the people in the co-operative movement and introducing a new class of entrepreneurs in the country. The spread of the co-operative movement to variety of industries like sugar, textiles, fertilisers, jute, synthetic fibres, vegetable oils chemicals, paper, cocoa processing, etc., over the years, bears adequate testimony to the above.

(b) Assistance to the Corporate Sector

2.26 Assistance to the corporate sector, during the year, aggregated Rs. 535.77 crores for 345 projects. The private corporate sector, which has always been the largest beneficiary of the financial assistance from IFCI, claimed assistance of the order of Rs. 399.23 crores (68.9% of the total) for 284 projects, which was higher by 20.6% over the assistance of Rs. 331.01 crores sanctioned to projects last year.

2.27 Assistance to projects in the joint sector (40) and public sector (21) in 1985-86 was Rs. 97.68 crores and Rs. 38.86 crores respectively, showing an increase of 73.6% and 5.2%.

2.28 Cumulatively, the share of assistance of corporate sector projects in IFCI's total assistance portfolio, as on the 30th June, 1986, was 89.6%, the share of private, joint and public sector projects being 64.6%, 14.1% and 10.9%, respectively. The cumulative disbursements against the aggregate assistance to the corporate sector worked out to 71.9%

Industry-wise coverage of Assistance

2.29 Industry-wise coverage of assistance, during the year, and cumulatively upto the 30th June, 1986, is given in Table 5 below.

Table 5 : Industry-wise Coverage of Assistance

(Rs. crores)

Industry	1985-86 (July—June)			Cumulative up to the 30th, June, 1986		
	No. of Projects	Amount sanctioned /Rs.	% to the total	No. of projects	Amount sanctioned /Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basic industries						
(viz., basic metal industries, basic industrial chemicals, fertilisers, cement, mining, power generation, etc.) . .	115	276·41	47·7	509	1,167·34	36·1
Capital goods industries						
(viz., machinery and accessories, electrical machinery and appliances, transport equipment, etc.) . . .	64	62·60	10·8	345	400·31	12·4
Intermediate goods industries						
(viz., chemical products, metal products, non-metallic mineral products, jute, tyres and tubes, etc.) . . .	69	136·44	23·5	430	610·63	18·9
Consumer goods industries						
(viz., sugar, other food products, cotton/woollen textiles, paper and other miscellaneous industries) . .	104	94·68	16·4	929	990·82	30·6
Service industries						
(viz. hotels, shipping, etc.) .	13	9·32	1·6	59	62·57	2·0
Total	365	579·45	100·0	2,272	3,231·67	100·0

2.30 Industries of high national priority and other selected industries of importance (known as Appendix-I Industries) accounted for 77.5% of the total assistance sanctioned during the year. By and large, more than 80% of the assistance granted by IFCI during the decade (1976-86) had gone to industries of high national priority and other selected industries of importance.

2.31 The industries which claimed a significant share in IFCI's assistance, during 1985-86 were chemicals & chemical products (13.1%), cement (10.6%), iron & steel (10.4%), textiles (8.4%) synthetic fibres (7.5%), fertilisers (7.5%), electricity generation (7.3%), glass (6.5%), metal products (4.5%), electrical machinery, appliances and parts (4.4%), transport equipments (4.0%) sugar (3.4%), etc.

2.32 In the cumulative picture, textiles, cement, and chemicals & chemical products emerged as the largest beneficiaries of IFCI's assistance having claimed together 34.4% of assistance in IFCI's total assistance portfolio followed by sugar (8.2%), iron & steel (6.4%), fertilisers & pesticides (6.1%), synthetic fibres (5.9%), paper (5.6%), transport equipment (4.7%), electrical machinery and appliances (4.2%), etc.

State-wise spread of Assistance

2.33 The State-wise spread of IFCI's assistance in 1985-86 and cumulatively upto the 30th June, 1986, is set out in Table 6.

Table 6 : State/Territory-wise Spread of Assistance

(Rs. crores)

State/Territory	1985-86 (July—June)			Cumulative up to the 30th June, 1986		
	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	% of the total	No. of projects	Amount sanctioned Rs.	% to the total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Andhra Pradesh	30	33·49	5·8	200	295·80	9·1
Assam	2	2·17	0·4	21	28·19	0·9
Bihar	6	7·42	1·3	63	67·36	2·1
Gujarat	44	89·61	15·5	214	363·19	11.2
Haryana	20	23·85	4·1	101	105·85	3·3
Himachal Pradesh	8	4·95	0·9	25	32·78	1·0
Jammu & Kashmir	2	1·55	0·3	16	15·93	0·5
Karnataka	19	13·76	2·4	166	205·73	6·4
Kerala	4	5·82	1·0	68	91·57	2·8
Madhya Pradesh	18	25·78	4·4	86	138·00	4·3
Maharashtra	46	83·99	14·5	400	487·87	15·1
Meghalaya	1	0·80	0·1	3	3·54	0·1
Nagaland	—	—	—	3	2·09	1·0
Orissa	8	6·87	1·2	52	100·11	3·1
Punjab	26	39·20	6·8	89	148·03	4·6
Rajasthan	26	46·83	8·1	103	201·86	6·2
Sikkim	1	0·09	0·1	2	1·90	0.1
Tamil Nadu	37	49·00	8·4	194	275·41	8·5
Tripura	—	—	—	1	1·16	—
Uttar Pradesh	48	115·12	19·9	254	440·00	13·6
West Bengal	11	21·93	3·8	160	163·64	5·1
Andaman & Nicobar Islands	—	—	—	1	0·91	—
Arunachal Pradesh	—	—	—	1	0·16	—
Chandigarh	—	—	—	2	0·55	—
Dadra & Nagar Haveli	1	0·76	0·1	2	1·49	—
Delhi	4	4·18	0·7	23	35·46	1·1
Goa, Daman & Diu	—	—	—	11	11·76	0·4
Pondicherry	3	1·47	0·2	11	11·33	0·4
Total :	365	579·45	100·0	2272	3231·67	100·0

2.34 The states of Uttar Pradesh, Gujarat and Maharashtra claimed the first three positions in the IFCI's assistance portfolio during the year 1985-86, claiming 19.9%, 15.5% and 14.5% shares respectively in the total assistance portfolio.

2.35 Compared with the previous year, the States of Bihar, Haryana, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Sikkim and Tamil Nadu were able to improve their share in IFCI's assistance during the year. In respect of Punjab, following the guidelines from Government, Central Financial Institutions including IFCI, had accorded preferential treatment for extending assistance on liberal terms to new industries in Punjab, effective from the 1st July, 1985. As a result, the share of Punjab in IFCI's assistance portfolio went up from 39% last year to 6.8% in 1985-86.

2.36 Cumulatively, Maharashtra, Uttar Pradesh and Gujarat continued to occupy the first three positions in IFCI's total assistance portfolio. The next in order were Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Rajasthan.

Plan-wise sanctions and disbursements

2.37 1985-86 was the first year of the Seventh Five Year Plan (1985-90). In the Sixth Plan period (1980-85), IFCI's total sanctions and disbursements had amounted to Rs. 1533.93 crores and Rs. 1119.84 crores, which were higher by 159·8% and 189.2% respectively than those in the Fifth Five Year Plan period and subsequent two years, viz., 1978-79 and 1979-80. The total sanctions and disbursements of IFCI

in the first year of the Seventh Plan period were higher by 191.6% and 209.6% of sanctions and disbursements during the first year of the Sixth Plan period. In fact, IFCI, in 1985-86 sanctioned and disbursed more than what it did in the first two years of the Sixth Plan period. The endeavour of IFCI during the Seventh Plan period is to maintain a reasonable tempo of the financial assistance to the industry.

Catalytic role of IFCI in mobilising resources for investment in industrial projects

2.38 The analysis of funding pattern of 304 projects assisted by IFCI in 1985-86 (excluding 61 cases of sanctions of additional assistance during the year for financing purely overrun in the cost of projects, etc.) reveals that IFCI's assistance helped in mobilising resources for investment in industrial projects to the extent of Rs. 4,798.77 crores as per details given in Tabel 7.

Table 7 : Funding Pattern of Projects assisted by IFCI

(Rs. crores)

Financing Pattern	New Projects	Expansion/ diversification projects	Modernisation projects	Assistance for rehabilitation, balancing equipment, etc.	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Number of Projects	127	40	101	36	304
I. Promoters' contribution					
Share Capital	914·68 (25·6%)	8·80 (1·5%)	16·92 (3·1%)	0·43 (0·5%)	940·83 (19·6%)
Unsecured subordinated loans	213·88 (6·0%)	3·79 (0·6%)	11·70 (2·1%)	9·25 (9·4%)	238·62 (5·0%)
Internal accruals, etc.	187·20 (5·2%)	97·45 (16·7%)	120·86 (22·2%)	20·61 (21·0%)	426·12 (8·9%)
II. Assistance by term lending Institutions viz., IFCI, IDBI, ICICI & IRBI					
Loans & Debentures	1310·64 (36·7%)	246·50 (42·2%)	337·06 (62·0%)	41·65 (42·3%)	1935·85 (40·3%)
Equity Support	159·20 (4·5%)	0·50 (0·1%)	0 08 (—)	0·15 (0·2%)	159·93 (3·3%)
III. Assistance by investment Institutions, viz., LIC, GIC & UTI					
Loans & Debentures	79·35 (2·2%)	40·66 (6·9%)	25·99 (4·8%)	0·75 (0·8%)	146·75 (3 0%)
Equity support	11·55 (0·3%)	— (—)	— (—)	— (—)	11·55 (0·3%)
IV Assistance by Banks (term finance)	178·43 (5·0%)	23·17 (4·0%)	3·61 (0·7%)	9·93 (10·1%)	215·14 (4·5%)
V Assistance by State level Institutions	37·93 (1·1%)	32·85 (5·6%)	0·88 (0·2%)	— (—)	71·66 (1·5%)
VI Rights Issues	3·78 (0·1%)	55·36 (9·5%)	1·05 (0·2%)	2·70 (2·7%)	62·89 (1·3%)
VII Deferred Payments	0·25 (—)	0·26 (—)	0·38 (0·1%)	— (—)	0·89 (—)
VIII Loans from Foreign Institutions	33·67 (0·9%)	— (—)	— (—)	— (—)	33·67 (0·7%)
IX Others	441·88 (12·4%)	75·27 (12·9%)	24·92 (4·6%)	12·80 (13·0%)	554·87 (11·6%)
Total	3572·44 (100%)	584·61 (100%)	543·45 (100%)	98·27 (100%)	4798·77 (100%)

Notes : 1. Figures in brackets denote percentages to the total.

2. The above exclude the cases of sanction of assistance for meeeting the overrun in the cost of projects, etc.

2.39 Cumulatively, IFCI, which during the period of 38 years of its service to Indian industry, had assisted 2,272 projects with a total capital cost of Rs. 27,282.62 crores, had been instrumental in mobilising Rs. 24,050.95 crores for their completion from other sources, the assistance from IFCI being Rs. 3,231.67 crores.

Sanctions Accorded in Public Interest

2.40 During the year, there was no case where IFCI Directors, being interested in terms of Section 26(2) of I.F.C. Act, 1948, had to sanction assistance in public interest' in terms of Industrial Finance Corporation of India (Transaction of Business with Specified Industrial Concerns) Regulations, 1982.

Direct economic contribution of projects assisted by IFCI during 1985-86

2.44 During the year, the net cash receipts on account of fication projects assisted by IFCI in 1985-86, it is observed that IFCI's assistance sanctioned during the year is expected to create additional capacities in a wide variety of industries. The aforesaid projects are expected to create direct employment for about 51,662 persons. The value of annual output from these projects is estimated to be in the range of Rs. 3,587.67 crores. The gross value added is likely to be of the order of Rs. 1,471.92 crores, which indicates the contribution of these projects to the Gross National Product of the country. A detailed statement in this regard is annexed vide *Appendix-II.*

Investment Operations

2.42 IFCI sanctioned during the year the facility of underwriting of equity and preference shares as also debentures to 73 concerns for an aggregate amount of Rs. 40.12 crores. The sanctions relating to direct subscriptions amounted to Rs. 0.41 crore for six concerns. During the year under review, 70 issues of shares and debentures underwritten by IFCI for Rs. 28.13 crores in aggregate were placed on the market, compared with 49 issues of shares and debentures for Rs. 14.76 crores in 1984-85. The share devolved on IFCI pursuant to the underwriting obligations amounted to Rs. 3.23 crores. In addition, IFCI directly subscribed to shares and debentures of 19 companies amounting to Rs. 0.98 crore as against Rs. 1.03 crores in 1984-85.

Sale of Investments

2.43 The receipts from sale/redemption of investments amounted to Rs. 2.29 crores during the year as against Rs. 1.42 crores in the previous year.

Repayments by the borrowers

2.44 During the year, the net cash receipts on account of repayment of principal made by the borrowers amounted to Rs. 101.11 crores as against Rs. 67.95 crores in the previous year, making an increase of 48.8%.

Recoveries and Overdues

2.45 There was improvement by about 7 percentage points in the recovery rate of interest and principal together during the year. Insofar as overdues are concerned, after accounting for the reliefs given to the concerns in difficulties, there were, as at the end of the year, 197 concerns with total overdues (comprising principal Rs. 43.81 crores and interest Rs. 17.83 crores) aggregating Rs. 61.64 crores. These overdues formed about 3.7% of IFCI's total outstanding loans portfolio as on the 13th June, 1986 as against 3.9% on the 30th June, 1985.

2.46 The industry-wise analysis of the overdues for the year 1985-86 reveals that out of 197 concerns, 42 concerns in textiles, 14 in paper, 23 in sugar, 15 in metal products, and 11 in iron & steel industry accounted for Rs. 11.11 crores, Rs.10.71 crores, Rs. 9.24 crores, Rs. 6.19 crores and Rs. 4.47 crores of overdues respectively. The aforesaid five industries together accounted for 67.7% of the total overdues as on the 30th June, 1986.

Rehabilitation Programmes

2.47 During the year, the Rehabilitation Finance Department (RFD) (erstwhile Problem Cases Department) in IFCI, in consonance with the Government's policy towards revival and rehabilitation of sick units evolved rehabilitation schemes in respect of 12 cases, approved/ brought about changes in controlling interest management in 7 cases, approved schemes of merger in three cases and reached arrangements for settlement of dues based on certain reliefs and concessions in two cases. Rehabilitation schemes based on implementation of modernisation programmes and sanction of additional financial assistance together with package of reliefs and concessions were finalised in two cases and in 19 cases IFCI had recalled the loans with a view to safeguarding and protecting its interests as lender. One case was referred to the Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI), the principal reconstruction agency in the country for evolving appropriate rehabilitation measures. In other cases, the rehabilitation programmes or appropriate courses of action were in the process of being formulated/sorted out by the concerned lead institution jointly with other institutions, banks and other concerned agencies. Reports about inherently non-viable units were made to the Central Government from time to time and liaison was maintained with the concerned State-level agencies and banks involved in such cases.

Resources

2.48 In 1985-86, the total requirement of funds for disbursement of assistance, redemption of bonds, repayment of borrowings, payment of interest, dividend, tax and inclusive of closing cash balance, aggregated Rs. 758.41 crores, signifying an increase of 41.5% over the previous year's funds requirements of the order of Rs. 536.16 crores.

2.49 The aforesaid requirement of funds was met by (i) increase in the paid-up capital to the extent of Rs. 10.00 crores, (ii) generation of profits, before tax, of Rs. 48.81 crores, (iii) recoveries of principal amount of loans from borrowers and sale of investments, etc., to the extent of Rs. 103.40 crores, (iv) borrowings from market by way of bonds of Rs. 300.68 crores, (v) borrowings in foreign currency equivalent to Rs. 150.84 crores, (vi) receipt of Rs. 2.55 crores under Interest Differential Funds from Government and (vii) from opening cash balance of Rs. 142.13 crores.

(a) *Rupee Resources*

2.50 For augmenting its rupee resources, IFCI made three public issues of bonds, viz., 9% Bond 1998 (Forty-second series) for Rs. 100.75 crores on the 9th December, 1985, 9% Bonds 1999 (Forty-third series) for Rs. 36.50 crores on the 3rd March, 1986 and 11% Bonds 2001 (Forty-fourth series) for Rs. 136.50 crores on the 4th June, 1986. All the three issues were fully subscribed and including permissible extra subscription over the above amounts of the issues which could be retained by IFCI, the total funds mobilised by issue of Bonds, during the year, amounted to Rs. 300.68 crores as against Rs. 248.02 crores raised through bonds during the previous year.

(b) *Foreign currency resources*

2.51 During the year, Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Federal Republic of Germany, allocated 24th line of credit of DM 25 million bringing the total amount of DM lines of credit to 327.500 million, against which IFC had sanctioned sub-loans to eligible industrial concerns aggregating DM 325.926 million upto the 30th June, 1986. In addition, sub-loans for DM 90.939 million had been sanctioned against DM Revolving Funds which represented the amounts recovered from the DM sub-borrowers and converted, with the approval of the Government of India, into DM, pending repayment of the same to KFW. As on the 30th June, 1985, the outstanding balance of DM lines of credit availed of by IFC from KFW, was DM 179.588 million. During the year, a sum, equivalent to DM 23.671 was availed of and an amount of DM 5.588 million was repaid. The outstanding amount against borrowings in DM from KFW as on the 30th June, 1986, stood at DM 197.671 million equivalent to Rs. 111.93 crores at TT Selling rate prevailing on the 30th June, 1986.

2.52 During the year, IFCI raised two issues of Euro Dollar loan each of 25 million US Dollars on the 12th July, 1985, and the 21st March, 1986, lead managed by Lloyds Bank Plc., Hongkong and Midland Bank Plc. London, respectively. The Euro Dollar loan of US $ 25 million raised on the 12th July, 1985 carried interest @ 1/8% over LIBOR and the Euro Dollar loan of US $ 25 million raised on the 21st March, 1986, carried interest @ 1/40% over LIBOR. Both the loans were fully committed to the sub-borrowers by the 30th June, 1986..

2.53 Apart from the above, two Bond issues known as 'B' Series 1985 of Japanese Yen 5 billion and 'C' Series 1986 of Japanese Yen 5 billion were made by private placement in the Japanese capital market, the first one arranged by the Industrial Bank of Japan, Tokyo carried interest @ 6.9% per annum and the latter arranged by Mitsui Bank Ltd., Tokyo, carried rate of interest at 6.3% per annum. Both these loans also stood fully committed to the sub-borrowers by the end of June, 1986.

2.54 On the 6th May, 1986, IFCI shared bond proceeds with Industrial Development Bank of India (IDBI) to the extent of DM 15 million at a coupon rate of 7% per annum (the exact interest rate worked out to 7.02% per annum, as the bonds were raised at a discount of 0.25%). The repayment of this bond issue has to be in bullet on the 1st February, 1993. This bond issue was also committed to the extent of DM 8.333 million to the sub-borrowers as on the 30th June, 1986.

2.55 To take advantage of the lower rate of interest prevailing in the International Capital Market, the loan of US $ 20 million, raised by IFCI in July, 1984, lead managed by Continental Bank SA/NV, Brussels (Belgium) carrying interest @ 3 8% over LIBOR was prematurely repaid on the 4th June, 1986, from out of the US Dollar of US $ 20 million, raised by IFCI in July, 1984, lead interest rate of 1/40% above LIBOR, referred under para 2.52 above.

2.56 The cumulative commercial borrowings in foreign currencies as on the 30th June, 1986, stood at US $ 50 million (after accounting for the premature repayment of US $ 20 million as indicated in para 2.55 above), Japanese Yen 15 billion and DM 15 million.

(B) WORKING RESULTS

2.57 From the audited accounts comprising Profit & Loss account for the year and the Balance Sheet as at the 30th June, 1986, which are annexed to this Report, it would be observed that the gross profit for the year amounted to Rs. 48.81 crores as against Rs. 42.09 crores for 1984-85 showing an increase of 16.0%. The net profit for the year 1985-86, after providing Rs. 14.63 crores for taxation amounted to Rs. 34.18 crores as aganst Rs. 29.31 crores for 1984-85 showing an increase of 16.6%.

2.58 The appropriations out of the net profit made by the Board of Directors of IFCI are given in the Table 8 below.

Table 8 : Appropriations of Net Profit (Rs. crores)

		This year (1985-86) (July-June)		Previous year (1984-85) (July-June)
(1)			(2)	(3(
Net Profit for the year			**34·18**	29·31
Appropriations Transferred to—				
(a) General Reserve Fund	**9·04**		8·23	
(b) Benevolent Reserve Fund	1·50		0·50	
(c) Special Reserve (under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	**19·50**	**30·04**	17·76	26·49
Allocation to the Staff Welfare Fund		**0·15**		0·15
Payment of Dividend		**3·99**		2·67
Total		**34·18**		29·31

2.59 In view of the satisfactory working results, the Board of Directors of IFCI have approved the payment of dividend on shares at 10% per annum, as against 9% per annum declared last year.

Working Result Trends

2.60 The working results of IFCI for five years inclusive of the year ended the 30th June, 1986, are summarised in Table 9.

Table 9: Working Results of IFCI for Five Years (Rs. crores)

Particulars	Year ended the 30th June 1982 Rs.	1983 Rs.	1984 Rs.	1985 Rs.	1986 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Interest on lending	59·89	78·56	99·83	129·78	167·74
Less: Cost of Borrowings	40·16	51·56	65·40	85·62	119·92
Net Interest Revenue	19·73	27·00	34·43	44·16	47·82
Other Income	4·04	4·86	5·14	5·22	9·40
Net Income	23·77	31·86	39·57	49·38	57·22
Expenditure:					
Personal Expenses	2·60	3·09	3·57	4·44	4·85
Loss on Investments	0·64	0·44	0·14	0·19	0·37
Directors and Committee Members Fees & Expenses	0·03	0·03	0·03	0·03	0·02
Other Expenses & Grants	1·03	1·16	1·51	2·29	2·67
Depreciation	0·11	0·12	0·29	0·34	0·50
Gross Profit	19·36	27·02	34·03	42·09	48·81
Taxation	6·85	9·71	10·14	12·78	14·63
Net Profit	12·51	17·31	23·89	29·31	34·18
Dividend (Rate)	7·5%	8·0%	8·5%	9·0%	10·0%

2.61 It would be observed from the above —

* Interest Income from lending operations increased by 29.3%.
* Increase in the 'Cost of Borrowings' was 40.1%.
* Increase in the 'Net Income', 'Gross Profit' and 'Net Profit' was 15.9%, 16.0% and 16.6% respectively.
* 'Cost of Borrowings' which formed 66.0% of the 'interest Income on Lendings' in 1984-85 went up to 71.5% in 1985-86.
* Gross Profit as percentage to Net Income was 85.3% in 1985-86 as against 85.2% last year.
* Net Profit as percentage of Net Income was 59.7% in 1985-86 as against 59.4% last year.

Financial position

2.62 The financial position as appearing from the Balance Sheet of IFCI for the five years, inclusive of the position of assets and liabilities as at the 30th June, 1986, is indicated in Table 10.

Table 10: Position of Assets and Liabilities of IFCI for Five years

(Rs. Crores)

Particulars	Year ended the 30th June 1982 Rs.	1983 Rs.	1984 Rs.	1985 Rs.	1986 Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assets					
Cash & Bank Balances	47·81	39·83	53·68	142·13	208·88
Investments					
In assisted concerns	38·31	44·60	52·25	57·16	58·68
In other Institutions	1·21	1·21	1·21	0·21	0·21
Loans to assisted concerns	690·92	864·73	1054·93	1307·31	1649·11
Premises, equipment & other assets	26·86	34·96	44·46	65·68	93·25
Customers Liabilities for Acceptances	1·21	2·40	4·11	7·87	17·88
	806·22	987·73	1210·64	1580·36	2028·01
Liabilities					
Borrowings					
(a) Bonds	554·45	689·30	881·54	1107·00	1452·88
(b) From Govt. & IDBI	85·25	96·60	93·24	124·70	80·51
(c) In Foreign Currencies	51·01	59·67	62·76	94·25	169·87
Current Liabilities & Promotions	40·16	46·90	49·39	92·36	110·74
Earmarked Funds	2·84	3·43	4·01	4·86	6·25
Liability for Acceptance	1·21	2·40	4·11	7·87	17·88
	735·02	898·30	1095·05	1431·04	1838·13
Net worth represented by Share Capital	20·00	22·50	27·50	35·00	45·00
Reserves & Reserve Fund	51·20	66·93	88·09	114·32	144·88
Debt: Equity Ratio	9·7·1	9·5·1	9·0·1	8·9·1	8·9·1
Net worth: Net Profit	5·7:1	5·2:1	4·8:1	5·1:1	5·6:1

Audit

2.63 The accounts of IFCI are audited every year by two Auditors of whom one is nominated by the Industrial Development Bank of India (IDBI) and the other elected by the shareholders other than IDBI. For the year 1985-86, M/s. N. M. Raiji & Co., Chartered Accountants, Bombay, were appointed as Satutory Auditors by IDBI. The shareholders of IFCI (other than IDBI) elected M/s. T. R. Chadha & Co., Chartered Accountants, New Delhi, as Auditors for the same period. The Report of the Auditors for the year 1985-86, is also given with the Accounts for the year in this Report.

CHAPTER 3

CATALYTIC ROLE

NEWER THRUSTS

IFCI's Catalytic Role

3.01 All activities of IFCI, in way, are catalytic and promotional in nature. Even in its project financing operations, encompassing subscription to, and, investments in shares and securities, etc., of industrial concerns, IFCI, basically, plays the role of a catalyst. The catalytic role of IFCI comes into sharp focus through several 'supportive measures' undertaken by it for broadening of entrepreneurship, improving the technological base of the industry, helping in the development and upgradation of managerial skills, encouraging dispersal of industry in economically backward areas, assisting in the overall process of industrial growth with adequate thrust on the development of industry in tiny, small, ancillary and medium scale sectors, and building up of requisite infrastructure for providing expert services for proper formulation, promotion, evaluation, implementation and operation of industrial projects, including opportunity guidance, counselling on marketing aspects, etc.

3.02 The establishment of Technical Consultancy Organisations (TCOs) for providing low-cost but quality consultancy services from concept to commissioning stage to industrial units, Risk Capital Foundation (RCF) for providing Risk Capital Assistance to first-generation entrepreneurs, Management Development Institute (MDI) for providing facilities for Human Resources Development, particularly in the managerial cadre, Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) for giving a momentum to entrepreneurship development movement and providing funds support to several other organisations engaged in economic development of the country, are all but some of the activities which speak for themselves about IFCIs

catalytic role played by it, either on its own, or in close collaboration with other national-level Financial Institutions.

3.03 New dimensions in the catalytic role are being added by IFCI by offering Merchant Banking Services, opportunity guidance and counselling to new entrepreneurs, and making available finance under its schemes of equipment finance and leasing, etc. The passing of 'Industrial Finance Corporation (Amendment) Bill, 1985' would also enable IFCI to provide finance to services sector, particularly in the areas of engineering, technical, financial, marketing and management services, medical health and allied services as also services relating to information technology, telecommunications and electronics.

Promotional Activities—A Review

3.04 In 1985-86, the major thrust in the area of Promotional Activities of IFCI was on providing support to Technical Consultancy Organisations, Entrepreneurship Development Programmes, technology upgradation and introducing new Promotional Schemes aimed at providing marketing assistance to small scale units, encouraging implementation of modernisation programmes of tiny, small scale and ancillary industrial units, control of pollution, etc., giving interest subsidy to women entrepreneurs, providing soft loan assistance for development of technology in-house R & D efforts, etc.

3.05 Table 11 and 12 on the following pages give the break-up of the amount utilised by IFCI on its Promotional Activities and the sources through which the same were funded.

Promotional Schemes

3.06 During the year, four new Promotional Schemes were added, while the existing ones were considerably liberalised and improved with the result that as at the close of the year, IFCI was operating eleven Promotional Schemes as under :

Consultancy fee Subsidy Schemes

— Scheme of Subsidy to Small Entrepreneurs in the Rural, Cottage, Tiny & Small Scale sectors for meeting Cost of Feasibility Studies, etc.

— Scheme of Subsidy for Promotion of Ancillary and Small Scale Indusries.

— Scheme of Subsidy to New Entrepreneurs for meeting Cost of Market Research/Surveys.

Table 11: Amount utilised by IFCI on Promotional Activities (Rs. in lakhs)

Nature of Activities supported by IFCI	1985-86 (July-June) Amount Rs.		Cumulatively upto 30th June, 1986 Amount Rs.	
(1)	(2)		(3)	
(I) Promotional Schemes				
Subsidy	37·28		199·00	
Loan assistance	23·50	60·78	23·50	222·50
(II) Industrial Potential Surveys				
For development of backward areas including No-Industry districts		1·51		8·16
(III) Support of Technical consultancy Service				
Technical Consultancy Organisations	3·42		55·78	
Directory of Industrial Consultants	0·21	3·63	0·43	56·21
(IV) Support for Risk Capital Assistance through RCF		169·06		769·92
(V) Support for Management Development activities of MDI, etc.		18·73		481·09
(VI) Support for Entrepreneurship Development				
Sharing of EDP costs	11·29		17·98	
Resources support to EDII	5·00	16·29	42·75	60·73
(VII) Promotion of Research, etc.				
IFCI Chairs	0·60		23·28	
Special Research Studies	0·64		10·63	
Support to Indian Economic Journal	0·05	1·29	0·10	34·01
(VIII) Support for International Conferences and Seminars				
International Exposition on Rural Development (IERD)	—		1·00	
Research & Information Systems for Non-aligned & other Developing Countries	1·00		2·00	
World Economic Congress	4·00	5·00	4·00	7·00
(IX) Orientation Programmes and Assistance to State-level Institutions		—		4·30
(X) Others		—		59·36*
Total:		276·29		1,703·28

*Utilised for direct financing of projects.

Table 12: Sources of Funds for IFIC's Promotional Activities (Rs. in lakhs)

	1985-86 July-June) Amount Rs.	Cumulatively upto 30th June, 1986 Amount Rs.
(1)	(2)	(3)
Benevolent Reserve Fund	24·50	315·96
(Created out of profits of IFCI under Section 328 of I.F.C. Act, 1948)		
Interest Differential Funds		
(Representing monies received from the Government of India out of interest paid by IFCI on KFW loans in terms of agreements amongst IFCI, Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), Government of India and Government of Federal Republic of Germany) . . .	251·79	1,387·32
Total:	276·29	1,703·28

— Scheme of Subsidy for Providing Marketing Assistance to Small Scale Units

— Scheme of Subsidy for Revival of Sick Units in the Tiny and Small Scale Sectors

— Scheme of Subsidy for Implementing the Modernisation Programmes of Tiny, Small Scale & Ancillary Units

— Scheme of Subsidy for Control of Pollution in the Small and Medium Scale Industrial Units

Interest Subsidy Schemes

— Scheme of Interest Subsidy for Self-Development and Self-Employment of Unemployed Young Persons.

— Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs.

— Scheme of Interest Subsidy for Encouraging the Adoption of Indigenous Technology.

Assistance Scheme

— Scheme of Assistance for Development of Technology Through In-House R & D Efforts.

3.07 The Consultancy Fee Subsidy Schemes are aimed at providing subsidised consultancy services to industrial units in tiny, small scale and ancillary sectors through Technical Consultancy Organisations (TCOs). The Interest Subsidy Schemes are intended to provide encouragement to Unemployed Youths and Women towards undertaking industrial ventures through financial assistance from State Financial Corporations (SFCs); IFCI bearing the burden of interest on SFCs' loan assistance to such entrepreneurs during the first year upto specified limits.

3.08 Where a project is based on an indigenously developed technology being exploited on a commercial scale for the first time in the country, the interest subsidy scheme of IFCI provides considerable relief to such projects in their initial year of operation. The assistance scheme provides soft loan assistance at 11% p.a. rate of interest to existing industrial projects for developing technology through in-house R & D efforts with a view to improving the overall competitiveness of the industry in the medium/small scale sectors not only in the domestic but also in the international markets.

10—359GI/86

Assistance by way of Subsidy and Loans granted under Promotional Schemes

3.09 During the year, IFCI disbursed under its Promotional Schemes subsidy amounting Rs. 37.28 lakhs, benefiting 911 projects, mostly in the small scale & ancillary industries sector, and a loan assistance of Rs. 23.50 lakhs to a pharmaceutical company for financing a part of its In-house R & D schemes in the area of drug intermediates research, steroids research and pharmaceutical formulations research. Cumulatively, upto the 30th June 1986, IFCI had disbursed subsidy and loans under its Promotional Schemes aggregating Rs. 222.50 lakhs benefitting 4,048 industrial units, largely in the small scale and ancillary industries sector.

Support for Industrial Potential Surveys

3.10 Under the 'Institutional Intensive Developmental Efforts Programme for No-Industry/Special Region Districts', Industrial Potential Surveys of 30 No-Industry Districts (NIDs) had been completed till last year. During the year, the industrial potential survey work in respect of 17 more NIDs/Special Region Districts was assigned to six TCOs by all-India Financial Institutions, including IFCI. By the end of the year 1985-86, reports on 44 NIDs/Special Region Districts had been received from the TCOs, based on which 97 projects ideas in respect of 34 NIDs/Special Region Districts involving an investment of Rs. 294.38 crores and direct employment potential for about 15,600 persons had been cleared by a Screening Committee (SCNID) comprising senior executives of IDBI, IFCI & ICICI. These project ideas were passed on to the concerned State Governments/State-level Promotional Agencies for taking further steps towards their implementation.

Support for Technical Consultancy Services

(a) *Technical Consultancy Organisations*

3.11 As at the end of June 1986, 17 Technical Consultancy Organisations (TCOs)—eight under the lead of IDBI five under the lead of IFCI, three under the lead of ICICI and one sponsored by Government of Karnataka—were providing a wide spectrum of consultancy services, particularly to the rural, tiny, small and medium scale industrial

units, entrepreneurs, State Governments, State-level financial and promotional agencies, etc. These TCOs together had executed 2,786 assignments in 1985-86 and cumulatively 19,868 assignments upto the 30th June, 1986, as per details given in Table 13 below, which bear testimony to the ongoing impact created by the TCOs in the area of consultancy services to the rural, tiny, small and small-medium industrial projects.

Table 13: Summary of Operations of all TCOs

Nature of assignments	No. of assignments completed	
	1985-86 (July-June)	Since inception of each TCO and up to the 30th June, 1896
1	2	3
(I) Pre-investment Consultancy Assignments		
Feasibility, Pre-feasibility Studies/Project Reports, etc.	1401	8226
Industrial Potential/Area Development Surveys	44	382
Market Surveys	95	325
Project Profiles	740	6658
Preliminary Fact Finding Studies	7	86
Appraisals	105	959
Others	184	1442
Sub-total (I)	2576	18078
(II) Post-investment Consultancy Assignments		
Diagnostic Studies	53	619
Rehabilitation of Sick Units	72	331
Others	61	798
Sub-total (II)	186	1748
(III) Turnkey Assignments/Functional Industrial Complexes, etc.	24	42
Sub-total (III)	24	42
Grand Total (I+II+III)	2786	19868

3.12 In the field of entrepreneurship development, the TCOs in most of the States continued to function as nodal agencies for Entrepreneurship Development Programmes (EDPs). All the TCOs together had carried out upto the 30th June, 86, 449 EDPs benefiting 13,032 new entrepreneurs and had rendered counselling and extension services to them towards the implementation of their identified projects.

3.13 IFCI's emphasis, during the year, continued to be on improving the qualitative aspects of TCOs' services, building up proper perceptions and helping them in the formulation of their corporate plans, co-extensive with the Seventh Plan Period and its objectives, particularly in the area of the growth and development of industries in the Village & Small Industries (VSI) sector.

(b) *Directory of Industrial Consultants*

3.14 Through a joint endeavour IDBI, IFCI & ICICI had brought out a Directory of Industrial & Management Consultants with a view to helping entrepreneurs and industrial units in selecting right type of consultants for consultancy and other assignments. This Directory published by IDBI, contains full particulars including the field of specilisation of 502 industrial, technical and management consultants. The same was not only updated but also improved during the year with the addition of 75 consultants so as to bring the total number of consultants enlisted in the Directory to 577.

Support for Risk Capital Assistance

3.15 The Risk Capital Foundation (RCF), sponsored by IFCI in 1975, completed a decade of its service to first-generation new entrepreneurs by providing interest-free personal loans ranging from Rs. 15 lakhs to Rs. 30 lakhs (depending upon the number of the entrepreneurs) to enable them to meet a part of their 'promoters' contribution' in connection with establishment of medium-sized industrial projects. Table 14 gives a synoptic view of RCF's operations during its financial year ended the 31st December, 1985, thereafter, for the half-year ended the 30th June, 1986, and also the cumulative data since its inception and upto the 30th June, 1986.

Table 14: Sanctions and Disbursements of RCF

Particulars relating to RCF,S Risk Capital Assistance	1985 (Jan.-Dec.)	1986 (Jan.-June)	Cumulatively upto the 30th June, 1986
1	2	3	4
Projects sanctioned (Nos.)	19	7	101
Entrepreneurs involved with (i) above (Nos.)	33	12	170
Net Sanctions (Rs. lakhs)	238·87	97·00	1026·34
Disbursements (Rs. lakhs)	173·50	152·87	778·34

3.16 It is no exaggeration to state that had there been no RCF; 170 entrepreneurs, despite their professional acumen and technical competence, could not possibly have come up on the industrial horizon of the country. These entrepreneurs could set up industrial projects because of RCF's assistance to them for supplementing their own resources. RCF has decided to bring out the 'Success Stories' of these entrepreneurs with a view to motivating other first-generation entrepreneurs to achieve what they have been dreaming so far.

3.17 Amongst highlights of RCF's operations during the year, mention may be made about its decision to support entrepreneurs intending to set up projects even in the cost-range of below Rs. 3 crores but not below Rs. 2 crores and to dispense with its earlier practice of charging application fee as also of requiring its beneficiaries to take out Mortgage Redemption Insurance Policies (MRIPS) on their lives as collateral security for its assistance to them. The other feature of RCF's performance is a significant rise in its disbursements during the year 1985, and, also thereafter, because of the liberal funds support provided by IFCI. Upto the 30th June, 1986, IFCI had provided resource support to RCF of the order of Rs. 900 lakhs, out of which Rs. 760 lakhs had already been disbursed by it.

Scheme of Technology Finance

3.18 It was mentioned in the last year's Report that IFCI intended to formulate a comprehensive scheme for financing of technology through RCF. During the year, a blue-print of the Scheme was formalised and it was decided to convert RCF into a company with an Authorised Capital of Rs. 10 crores with the objective of taking up, not only the existing activities of RCF but also the Scheme of Technology Development & Finance with effect from the 1st January, 1987.

3.19 The Scheme of Technology Development & Finance, as formulated, aims at providing assistance for—

- indigenously developing/harnessing technology from laboratory to commercial scale through in-house Research & Development (R&D) efforts;
- exploitation of indigenously developed technology in India on commercial scale for development of new products, or new processes, or for improving the quality of existing products or efficiency of existing processes,
- establishment and procurement of in-house R&D facilities in an existing industrial unit with a view to improving the production processes or the quality of the products or reducing the production costs or leading to energy conservation or pollution control.
- marketing/start-up of new pocesses or products and need-based testing and publicity expenses for new processes/new products;
- importing appropriate technology or having transfer of new technology from abroad by the production units in areas where the same is not available or is not up-to-date;
- adoption and improvement of imported technology with the objective of reducing the production costs and increasing the productivity of the industry;
- meeting expenditure of foreign specialists and technical advisers for training of R&D personnel in India and abroad on a need-based basis in connection with the contemplated technological improvements, which are basic to the manufacture of a particular product and are not merely peripheral to it.

3.20 To begin with, the Scheme is proposed to be made applicable to all limited companies incorporated under the Companies Act, 1956 (other than MRTP/FERA or 100% Government owned companies or statutory corporations) or co-operative sector industrial enterprises.

3.21 The assistance under the Scheme is to be in the form of either (a) conventional loans (regular loans to be repaid according to a repayment schedule and certain pre-determined conditions) and (b) conditional loans (which provide for profit and risk sharing with the project sponsors and are normally to be repaid through royalty payments from sales revenue, inclusive of a reasonable return on the loans, if the project is successful, otherwise if the project is not successful, only a portion of the principal amount is to be recovered), or (c) equity investment in the form of direct investment in the shares of the company, with suitable buy-back arrangements or marketability of shares, etc.

3.22 The Scheme, the modalities of which are in the process of being finalised, should be able to promote the development of industrial technology, thereby improving not only the existing technological base in the country but also strengthening the international competitiveness of the existing enterprises.

Support for Management Development Institute

3.23 With a view to developing the managerial resources of the country and training the managers of today for meeting the challenges of tomorrow the Management Development Institute (MDI) with its Development Banking Centre (DBC) continued to provide training in modern management techniques with focus on specific needs of various industries. No less was MDI's contribution in research and consultancy services in specialised areas.

3.24 Among the highlights of MDI's performance during the year were 'tailor-made refresher training courses' for IAS officers at the instance of Department of Personnel & Training, Government of India, as also conducting In-Company Training programmes for several public sector enterprises. Senior Management Programmes for public enterprises were also organised in collaboration with the International Centre for Public Enterprises (ICPE), Yugoslavia, and Bureau of Public Enterprises (BPE), New Delhi. MDI also organised, during the year, a Directors' Round Table Conference with the objective of improving the effectiveness of the Directors on the Boards of corporate sector enterprises.

3.25 The number of programmes organised by MDI during the year 1985 and thereafter during the six months' period ended the 30th June, 1986, was 94 and 37 respectively, in which the number of participants aggregated 2,845. Cumulatively, MDI had conducted upto the 30th June, 1986, 713 management development programmes benefiting 17,512 participants of whom 536 were from other developing countries. IFCI's financial support to MDI upto the 30th June, 1986, was of the order of Rs. 481.09 lakhs. IFCI had also agreed, in principle, to provide funds support to MDI for (a) having a Computer Centre, (b) acquiring a power generating set, and (c) taking up second phase of civil construction work in its sprawling campus at Gurgaon, Haryana.

Support for Entrepreneurship Development

3.26 With a view to accelerating the pace of entrepreneurship development for the growth of new entrepreneurs, IFCI continued to provide active funds support to (a) Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) conducted by ICOs and several other agencies all over the country, (b) Science & Technology EDPs conducted under the auspices of National Science & Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB), (c) Entrepreneurship Development Institute of India (EDII)—an apex level institution set up by the all-India Financial Institutions, and (d) State/Regional level Centres/Institutes for Entrepreneurship Development (CED/IED).

3.27 In 1985-86, out of total financial support sanctioned for 147 EDPs for developing about 4,100 entrepreneurs, IFCI's contribution alone worked out to Rs. 11.29 lakhs, which was the highest so far. Of the several EDPs funded by IFCI during the year, mention may be made of EDPs conducted by the Madhya Pradesh Consultancy Organisation Ltd. (MPCON) for gas-affected victims at Bhopal and by North-India Technical Consultancy Organisation Ltd. (NITCON) for the riot-affected families migrated to Punjab. Importance in funding of EDPs was also attached to specific target-groups like women entrepreneurs, persons with science & technology background, entrepreneurs from rural areas and backward classes including persons belonging to scheduled castes/scheduled tribes, ex-servicemen, etc.

3.28 Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), sponsored by all-India Financial Institutions, including IFCI, was instrumental in preparing the much needed professionally qualified and skillfully competent trainer-motivators for EDPs by conducting three Accredited-Trainers'

Courses, conducting altogether 19 EDPs at various centres in the country of which 8 were Demonstration EDPs, and organising two Inter-Regional Workshops on entrepreneurship development for developing countries. EDII also achieved considerable progress during the year on its nation-wide research project titled *Self-made Impact Generating Entrepreneurs Study* and produced several video films on successful EDP-generated entrepreneurs to serve as an aid for conducting Achievement Motivation Training (AMT) programmes under EDPs.

3.29 With the entrepreneurship development movement gaining momentum, most of the State Governments are now institutionalising the entrepreneurship development activities by setting up State-level Centres/Institutes of Enterpreneurship Development. The all-India Financial Institutions, including IFCI, have agreed to support the establishment of State-level EDP Centres/Institutes in Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and North-Eastern Region. In Gujarat, a Centre for Entrepreneurship Development (CED) is already in existence, and, in U.P. to begin with an 'Institute of Entrepreneurship Development' (IED) has been set up at Lucknow. In respect of IED-U.P., IFCI has agreed to share with IDBI & ICICI and the Uttar Pradesh Government the non-recurring and recurring expenses, the latter for a period of five years.

Science & Technology Entreprenurs' Parks

3.30 During the year, IFCI agreed to provide funds support on a sharing basis, alongwith other all-India Financial Institutions, Department of Science & Technology, Government of India and other sponsoring bodies, to two projects of Science & Technology Entrepreneurs' Parks (STEPs)—one at Ranchi, Bihar, sponsored by Birla Institute of Technology (BIT) and the other at Tarapur, Maharashtra, sponsored by the C.C. Shroff Research Institute (CCSRI). The BIT-STEP aims at providing necessary facilities to technocrats coming out of BIT to translate their project ideas into viable industrial projects at pilot level in the nursery industrial estate adjoining BIT, particularly in the field of electro-mechanical industries, electronics, pharmaceuticals, fabrications and printed circuit boards. The CCSRI-STEP is essentially a 'National Entrepreneurs Chemical Park' which would be accommodating fledgling chemical engineers who have ideas and aptitudes, to turn them into profitable industrial ventures. While BIT-STEP has already become operational, the CCSRI-STEP is still in the formulation stage.

Promotion of Research Studies, etc.

(a) *IFCI Chairs*

3.31 Over the years, IFCI has built up good nexus with the Universities and Management Institutes in the area of research and development in disciplines relating to Development Banking, Financial & Industrial Management, Industrial Economics, etc. Six Chairs, one each at the University of Bombay, Calcutta, Delhi, Guwahati and Madras and one at the Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) have been created by IFCI for promoting research in specified areas. The IFCI Professors appointed against these Chairs are expected to undertake research work in their fields of specialisation, consistent with the objectives of the chair, guide research students and scholars in their research work and to deliver an annual public lecture every year based on their research work under the auspices of the Chair.

3.32 During 1985-86, annual public lectures under the auspices of IFCI Chairs at Universities of Bombay and Guwahati and IIMA were delivered by the respective IFCI Professors as under—

— Seventh Five Year Plan and the Private Corporate Industry in India.

—Dr. R. S. Sabnis, Bombay University

— Role of Small Scale Industries in Economic Development of North-East India.

—Dr. P. C. Goswami, Guwahati University

— Capitalisation of Interest on Long-term Borrowings.

—Prof. S. C. Kuchhal, IIM, Ahmedabad

IFCI Chairs at Delhi and Madras Universities were filled in March and April, 1986, respectively with the appointment of Dr. A. N. Saxena (formerly Director-General, National Productivity Council) and Dr. N. P. Srinivasan (formerly Head : Commerce Department, Madras University). It is expected that with the joining of the aforesaid Professors, the activities under IFCI Chairs at Delhi and Madras Universities would gain momentum during 1986-87. At Calcutta University, because of disturbed conditions, there was little progress under the Chair on the research project sponsored by IFCI in terms of the revised Memorandum of understanding on the subject of *Behaviour of Capital-Output Ratios and its Causative influence of sickness in Light Engineering Industry in West Bengal*. According to the University Authorities, the project is now expected to be completed by June, 1987.

(b) *Special Research Studies*

3.33 During the year, two studies commissioned by the all-India Financial Institutions including IFCI on the subject of *Turnaround Management of Sick Units* (conducted by Indian Institute of Management, Ahmedabad) and *Manpower Plan for Industries & Strategies for Local People Participation* (conducted by the Gujarat Industrial & Technical Consultancy Organisation Ltd.,) were completed, the findings of which are proposed to be deliberated at the inter-institutional level during the current year.

Merchant Banking Facilities

3.34 In its role as a catalyst for industrial growth, IFCI has offered, effective from the 1st July, 1986. Merchant Banking services to the industrial community. The accent of Merchant Banking operations of IFCI, besides rendering issue management services, is on providing a package of facilities, particularly to medium, medium-large and large scale enterprises in the corporate sector, which need specialised assistance or guidance in the formulation and implementation of new projects or modernisation/diversification of their existing activities.

3.35 The Merchant Banking Division, which has started functioning from New Delhi, is also providing entrepreneurial and opportunity guidance to the prospective entrepreneurs on all matters relating to the establishment of a medium or large-sized industrial unit in the corporate/co-operative sector. The Division would also be opening a 'Merchant Banking Bureau' at Bombay shortly.

Impact of Catalytic Operations and Promotional Activities of IFCI

3.36 The endeavour of IFCI as a catalyst of industrial growth has been to fill in the gaps in the institutional infrastructure, wherever these have been identified. Experience has proved that no amount of fiscal and financial incentives alone or even easy availability of finance can bring success to industrialisation efforts, unless other inputs like resourceful entrepreneurship, latest & efficient technology/know/how, professionalised management, well-motivated and skilled man-power, coupled with project counselling facilities and extension services are available at every stage during the life-cycle of a project. Apart from industrial infrastructure facilities, the human resources are also required to be developed/re-oriented to meet the challenges they face in the industrial arena. The support of Institutions like IFCI to entrepreneurship development programmes has broken the myth that entrepreneurs are born and not made. Today, hundreds of capable young persons are being converted from the position of 'job seekers' to 'job givers' through the programmes on entrepreneurship and enterprise building. Professionalisation of management in industry has already taken roots. Entrepreneurial base is getting broadened and improvements in technological base have started taking place. Culture for consultancy has percolated at the tiniest industrial unit level. Need for ancillarisation, pollution control, energy conservation, etc. have been well recognised. Modernisation and technological upgradation of existing industrial units have started picking up. All these and several other qualitative achievements in the industrial arena have been possible to a considerable extent due to catalytic operations and promotional work of financial institutions, of whom IFCI is one, and one of the earliest.

CHAPTER 4

IN-HOUSE MATTERS

Meetings of the Board of Directors

4.01 During the year, twelve meetings of the Board of Directors were held—eleven at New Delhi and one at Madras.

Changes in the Board of Directors

4.02 The Central Government nominated Shri M. C. Satyawadi, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi, as a Director on the Board of Directors of IFCI in place of Shri Ashok Chandra, with effect from the 24th March 1986.

4.03 The Industrial Development Bank of India (IDBI) nominated Shri V. Dixit, Chairman & Managing Director, Industrial Reconstruction Bank of India, Calcutta, and Shri S. M. Palia, Executive Director, IDBI, Bombay, with effect from the 16th December, 1985, and 1st February, 1986, respectively vice Shri N. Vaghul and Shri Philip Thomas.

4.04 At the 37th Annual General Meeting of the shareholders of IFCI held on the 30th September, 1985, Shri D. N. Ghosh, Chairman, State Bank of India, Shri C. R. Thakore, Managing Director, Life Insurance Corporation of India and Shri D. M. Patel, Chairman, Gujarat State Co-operative Bank Ltd., were elected as Directors to represent Scheduled Banks, Insurance Concerns, Co-operative Banks, respectivly vice Shri A. S. Puri, Shri V. Dixit and Shri J. U. Patel.

4.05 The Board of Directors of IFCI place on record their appreciation of the valuable guidance received from and contribution made by Shri Ashok Chandra, Shri N. Vaghul, Shri Philip Thomas, Shri A. S. Puri and Shri J. U. Patel during the period of their association with IFCI as its Directors.

Meetings of Ad hoc Group of Advisers and Technical Advisory Committees

4.06 Three meetings of Ad hoc Group of Advisers and two meetings of Standing Technical Advisory Committee (Hotels) of IFCI were held during the year. A decision was taken during the year to discontinue, effective from the 1st July, 1986, the six Standing Technical Advisory Committees of IFCI in the field of Sugar, Textiles, Jute, Engineering, Hotels and Chemical Process & Allied Industries, and to hold only the meetings of Ad hoc Group of Advisers in specialised areas as and when their expert advice on any specific proposal was intended to be obtained.

State/Regional Advisory Committees

4.07 Eight meetings of the State/Regional Advisory Committees were held during the year, one each for Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu and Pondicherry and North-Eastern Region. These meetings enabled IFCI in promoting a better understanding and appreciation about its role, contribution and activities, as also understanding, on the spot, the problems and prospects of industrialisation in the concerned State/Region. The Heads of Regional and Branch Offices of IFCI, in their capacity as *ex-officio* Secretaries continued to maintain liaison with the members of these Committees throughout the year.

Co-ordination with the Institutions at the National and State level

4.08 Inter-institutional co-ordination among the national level financial institutions continued to be maintained through the forum of Inter-Institutional Meetings (IIMs), Inter-Institutional Rehabilitation Meetings (IIRMs) and Senior Executive Meetings (SEMs). During 1985-86 11 IIMs, 9 IIRMs and 21 SEMs were held.

4.09 Effective from the 1st April 1986, a forum was also established for holding Regional Executives Meetings (REMs) under the Chairmanship of General Manager, IDBI, in-charge of its Regional Offices, viz., Northern Regional Office at New Delhi, Eastern Regional Office at Calcutta, Southern Regional Office at Madras, Western Regional Office at Bombay and North-Eastern Regional Office at Gawahati. The REMs are expected to (a) review the progress of assisted concerns facing difficulties, (b) discuss the affairs of the defaulting units with a view to evolving concerted approach for clearance of defaults or other specific action plans, (c) settle the financing pattern of state level industrial projects and projects costing upto Rs. 5 crores, (d) discuss items of mutual interest, particularly those relating to project monitoring, recovery of dues, insurance of mortgaged assets, adjustment of insurance moneys, quarterly plans of disbursement, implementation of rehabilitation programmes in respect of sick units, etc. Upto the 30th June, 1986, 12 meetings of REMs had taken place, 3 at New Delhi, 2 at Madras, 2 at Bombay, 2 at Guwahati, and one each at Calcutta, Bhubaneswar and Pondicherry.

4.10 Inter-Institutional Meetings at senior executives level were also held, from time to time, in the area of promotional activities and co-ordinating the matters relating to clearance of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs).

4.11 At the state level, IFCI continued to maintain the co-ordination by way of participation of the Heads of its Regional and Branch Offices in the meetings of the Inter-Institutional Groups (IIGs), State-level Co-ordination Committees, State-level Guidance and Monitoring Committees, and other State-level forums.

Foreign visits and Participation in International Fora

4.12 IFCI continued to maintain close contacts and liaison with other Development Financing Institutions (DFIs) abroad and the international banks operating in the world capital market.

4.13 Shri D. N. Davar, Chairman, IFCI visited U.K. for signing the loan agreements for raising tax spared Syndicated Euro Dollar facility of US $ 25 million each with Lloyds Bank International Ltd., and Midland Bank Group respectively. He also visited Federal Republic of Germany with a view to exploring the possibilities of IFCI availing itself of further lines of foreign credit from Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW), and Japan for signing agreements and bond certificates for private placement of IFCI's bonds made through the Industrial Bank of Japan, Tokyo.

4.14 At a symposium organised by Asian Development Bank at Baguio, Philippines, from 4th to 29th November, 1985, on the subject of *Management Development for Development Finance Institutions*, IFCI was represented by Shri F. M. Patnaik, General Manager, IFCI was also represented at the Third Meeting of the General Assembly of World Federation of Development Financing Institutions held at Abidjan, Ivory Coast, from the 19th to the 21st February, 1986, through its General Manager, Shri V. S. R. K. Sastry, Shri H. C. Sharma, General Manager visited Tokyo, Japan, from tht 17th to the 22nd June, 1986, for finalisation of the terms and signing of the agreement with Mitsui Bank Ltd., Japan, in connection with raising of Japanese Yen 5 billion by way of private placement of IFCI's bonds and to have discussions with international bankers at Singapore. Further, at the meeting of the Bureau of World Assembly of Small and Medium Enterprises and First African Symposium on Small and Medium Enterprises held at Rabat, Morocco, from the 23rd to the 26th June, 1986, IFCI participated in its deliberations through its General Manager, Shri S. P. Banerjee.

Ninth Annual Conference of Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific

4.15 The Ninth Annual Conference of Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) was held at Auckland, New Zealand, from the 21st April to the 28th April, 1986. IFCI, being the founder member of the ADFIAP, was represented at the Conference by its Chairman, Shri D. N. Davar. The Conference, whose theme was DFI responses to the Emerging Imperatives in the Financing of Development in Asia and Pacific, evoked considerable interest amongst the participating DFIs, and enabled them to share their experiences with each other.

Organisational Developments

4.16 Three senior executives were promoted as General Managers and alongwith the existing General Manager were made in-charge of four Zones (presently Shri S. K. Rishi—Western Zone, Shri S. P. Banerjee—Eastern Zone, Shri F. M. Patnaik—Southern Zone and Shri H. C. Sharma—Northern

Zone) at Head Office. Another General Manager's post was filled to handle and co-ordinate all matters connected with resources planning, project data base, statistics, market research, economic intelligence, promotional activities, etc. Shri V.S.R.K. Sastry, Adviser, Economic Planning & Statistics, after being promoted as General Manager, took that position.

4.17 As at the close of the year, a decision was taken to open new offices of IFCI in all the States and Union Territories where it had none, so as to provide better and more personalized service to IFCI's clientele spread all over the country. To begin with, new offices are now proposed to be opened in the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Meghalaya, Nagaland and Union Territories of Goa, Pondicherry and Andaman and Nicobar Islands.

Decentralisation of work and Delegation of Authority

4.18 With a view to providing more expeditious and better services to its clientele it was decided, effective from the 1st January, 1986, to further decentralise the work and delegate more authority to the Regional and Branch Offices of IFCI in respect of various operational matters. The Regional Offices now have authority to sanction financial assistance to all projects whose project cost does not exceed Rs. 5 crores. For such projects, the Regional Heads can sanction assistance upto Rs. 45 lakhs in the form of loans, Rs. 10 lakhs in the form of under-writing/direct subscription and Rs. 50 lakhs in the form of deferred payment/foreign currency loan guarantees. The power to sanction loans as aforesaid also includes the power to sanction sub-loans in foreign currencies. In respect of the proposals under the Equipment Finance Scheme (EFS), the Regional Offices of IFCI have the power to sanction loan assistance to existing well-to-do concerns even upto Rs. 75 lakhs. Discretionary powers of Chairman, Executive Director and General Managers were also enhanced suitably.

4.19 All disbursement in relation to sanctioned assistance, irrespective of the size of the project, are now authorised and released by the Regional and Branch Offices subject to fulfilment of necessary conditions. So also, all documentation, including the investigation of the title of the properties proposed to be mortgaged, has been decentralised with powers delegated to all Regional and Branch Offices of IFCI. Wide powers have also been delegated in respect of various operational matters relating to projects costing upto Rs. 5 crores, and, in specified cases, even beyond that.

4.20 A number of Committees of the senior executives of IFCI have been formed to look into the aspects relating to house keeping, training, productivity improvement, removal of redundancy in work procedures, streamlining and simplifying the formats and updating the various manuals, etc.

4.21 Matters relating to vigilance are being looked after by a General Manager who has been designated as Chief Vigilance Officer.

4.22 The security arrangements have also been tightened and during the year, a system of visitors' passes has been introduced at Head Office and some of the Regional Offices of IFCI.

Computerisation Programme

4.23 During the year, IFCI acquired and installed a modern "ICIM 6000 model 40 system computer" with required peripherals at its Head Office. One personal computer (ICIMPC) with 256 KB memory and two 5-1/4" floppy drives and one Letter Quality Printer was installed at Delhi Regional Office of IFCI. Both systems became operational with effect from the 1st January 1986.

4.24 Parallel runs were started in 1985-86 in areas covering Payroll, General Financial Accounting, Rupee Loan Accounting and Investment Portfolio Management. Systems had been developed for Project Appraisal and Balance Sheet Analysis. Systems/Software for Foreign Currency Loan Accounting, Statistical Information and related MIS and Project Information and Monitoring System were under development and were expected to be on parallel run in 1986-87. Performance Budgetting in areas of disbursements and recoveries, etc. was also in the developmental stage and was slated for implementation shortly.

4.25 With a view to strengthening suitably the growing volume of business of IFCI, on the one hand, and new activities like merchant banking, leasing, etc., to be taken up by IFCI, on the other, it has been decided to add 1 MB on the memory, 640 MB on Disc/magnetic tape, additional VDUs and DDUs, etc. Five personal computers with distributed processing facilities are intended to be provided to all General Managers. All Regional and Branch Offices of IFCI are contemplated to be connected with proper facilities. All the computers are proposed to be linked to a computerised network by 1987-88.

Human Resources and their Development

4.26 As at the end of June, 1986, IFCI had a complement of 1124 employees (inclusive of staff strength at its Regional and Branch Offices). This consisted of 369 officers, 543 supporting staff and 212 subordinate staff. The number of employees in the category of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, ex-servicemen and physically handicapped persons was 149, 35 and 12 respectively. The number of women employees in IFCI, as at the end of June, 1986, was 167.

4.27 Strong emphasis was laid, during the year, on the development and enrichment of man-power resources with appropriate attitudes and positive work ethics with a view to optimising utilisation of man-power and gearing them to shoulder greater responsibilities and varied assignments. In line with this approach, and as a part of IFCI's Human Resources Development Programme, 38 in-house Training Programmes covering 694 staff members were organised during the year. In addition, 30 staff members were deputed to external training programmes organised by other professional institutions in the country. Thirty-three persons were deputed to the Executive Development Programmes organised by Management Development Institute (MDI) including its Development Banking Centre (DBC), sponsored by IFCI. Three officers were sent abroad for attending courses on 'Management Development for Development Financing Institutions.' 'Workshop on Case Study 'Investment Appraisal, and Management Techniques', etc.

4.28 Recognising the need for having a trained man-power for effective and efficient working of the organisation, IFCI has planned to open two more Training Centres at Patna and Hyderabad apart from its existing Training Centre at New Delhi. The thrust areas in IFCI's man-power development programmes continue to be the computerisation, merchant banking, leasing finance, foreign currency loan resources and disbursements, project evaluation and monitoring, rehabilitation of sick units, finance for non-financial executives inclusive of new accounting system, and working capital management.

4.29 Apart from intensive 'in-house' and 'on-the-job' training, thorough consideration is being given to the suggestions made by staff under the Staff Suggestion Scheme for improving the overall productivity of the organisation. A Suggestion Scheme Committee continues to screen and evaluate each and every suggestion made by the members of the staff and in the event of the suggestion being accepted for implementation, the concerned staff members are given cash awards/commendation certificates.

Staff Relations and Welfare Activities

4.30 The employer-employee relations continued to be most cordial and harmonious throughout the year.

4.31 'Social security', 'housing' and 'medical attendance' to all employees continued to be the corner-stones of IFCI's welfare activities. So also the *Staff Welfare Fund* continued to be utilised for grant of loans to staff members for self-development, self-marriage, marriages of dependent sons and daughters and for purchasing household durables. The 'grants' portion of the fund was utilised by way of awards for merit scholarships to children of employees, grants to sports and recreation clubs, maintenance of holiday-homes at Shimla, Srinagar, Puri, Ooty, Goa, Bangalore and Darjeeling and maintenance of day care centre at IFCI Staff Colony at Paschim Vihar, New Delhi.

Housing

4.32 As at the end of June, 1986, IFCI had 195 flats for various categories of staff at Delhi. 24 flats at Kanpur, 33 flats at Ahmedabad, 48 flats at Bombay, 27 flats at Bhubaneswar, 45 flats at Bangalore and 8 flats at Pune. Efforts were on to acquire more flats at Pune, Ahmedabad and around Delhi. At Calcutta, Madras, Hyderabad, Chandigarh, Cochin and Jaipur, the work relating to the construction of flats for the staff had been taken up by Central Public Works Department and at Bhopal by Madhya Pradesh Housing Board. The endeavour of IFCI over the years has been to attain self-sufficiency in the matter of housing to all its eligible employees.

Office Premises

4.33 As at the end of June, 1986, IFCI had its own office premises at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Madras, Patna and Pune. Office space on ownership basis in the SCOPE's complex at Lodi Road, New Delhi and Nariman Point, Bombay, had also been acquired by IFCI. Further land had also been purchased for construction of office complexes at Bhubaneswar, Chandigarh and Cochin.

Sports Meet

4.34 For the first time, during the year 1985-86, an *All-India IFCI Sports Meet* was concluded on the 13th April, 1986, at a glittering function held at Jawahar Lal Nehru Stadium, New Delhi, which was attended by athletes from IFCI's all Regional and Branch Offices and members of staff stationed at Delhi. Silver Medals were presented by Chairman, IFCI to the winners of the 1st, 2nd and 3rd prizes in track events (100, 200 and 400 metre races—men, women), Table Tennis and Carroms. The coveted Best Athlete Award was obtained by Shri P. C. Godval of Head Office and the H. L. Parwana Running Trophy for the Best Player in Carroms, donated by IFCI Employees' Association, was bagged by Shri C. N. Ravi of Bangalore Office.

Silver Jubilee Celebrations of IFCI Employees Recreation Club

4.35 IFCI Employees Recreation Club, which was established on the 1st April, 1960, completed 25 years of its existence on the 31st March, 1985. A Silver Jubilee function was held on the 31st December, 1985, at All India Fine Arts & Crafts Society Auditorium, New Delhi, to commemorate the occasion, on which a Souvenir 'Nav Jyoti' was also brought out. The Club, which is being given generous funds support by IFCI, has been instrumetal in organising recreation activities, cultural functions, excursion tours, farewells to retiring employees, indoor games, tournaments, inter-bank sports competitions, distribution of electric and sports goods, etc.

Public Relations

4.36 The Public Relations Department of IFCI at Head Office issued, during the year, 22 Press Releases relating to the Performance of IFCI, deliberations at State/Regional/Zonal Advisory Committee meetings at various places, issue of bonds, raising of foreign currency resources, etc. It also continued to issue a monthly 'Economic & Financial News Digest' for internal circulation and was also instrumental in bringing out several revised and updated publications of IFCI during the year. Public Relations Department also arranged, on the 27th January, 1986, a meeting of the Ladies Wing of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry with the Chairman of IFCI, when IFCI's Promotional Schemes, particularly the "Scheme of Interest Subsidy for Women Entrepreneurs" were highly applauded by women entrepreneurs.

Contribution to Relief Funds, etc.

4.37 During the year, IFCI contributed a sum of Rs. 1 lakh each to the Prime Minister's National Relief Fund and Chief Minister's Public Relief Fund, Tamil Nadu, for providing relief and succour to the people affected by floods and cyclones. Donations of Rs. 50,000/- each were also made to (a) Calicut Planetarium Society towards establishment of Indira Gandhi Planetarium at Calicut (Kerala), (b) Dr. Borges Memorial Home for Poor Out-of-town Patients at Tata Cancer Research Institute, Bombay, and (c) Vivekananda Kendra, Kanyakumari, for promoting activities in the area of self-development, self-employment and rural employment, etc.

Contribution to National Fund for Rural Development

4.38 IFCI made a contribution of Rs. 2 lakhs to the National Fund for Rural Development which is to be utilised for providing electricity and power to those remote villages and areas in Madhya Pradesh and Rajasthan which are far away from the existing power transmission lines, by developing renewable and alternative sources of energy in these villages. Through this modest contribution, IFCI endeavoured to participate in the rural development programmes of the country aimed at bringing an all round improvement in the rural economy.

Progressive Use of Hindi

4.39 With a view to accelerating the progressive use of Hindi for official purposes, the Hindi Cell at Head Office and the Regional and Branch Offices of IFCI, were adequately strengthened during the year. Three Workshops on the use of Hindi were conducted for the benefit of the employees of IFCI. A booklet containing Government instructions on the use of Hindi in official work was got printed and was provided to each and every member of staff. All Administration Circulars, Operational Circulars, Press Releases, Notifications, Advertisements, etc., were issued bilingually. The prospectuses in connection with the raising of funds by issue of bonds and the Annual Report of IFCI were issued in diglot form, i.e., in Hindi and English. The Official Language Implementation Committees functioning at Head Office as also at Regional and Branch Offices of IFCI, continued to monitor the use of Hindi and suggest ways and means for its promotion in the official work. A proposal to have a suitable bilingual (Hindi and English) Word Processor to meet the increasing requirements of Hindi work was under examination as at the close of the year.

Acknowledgements

4.40 The Board of Directors of IFCI express their gratitude for the assistance, co-operation and cordiality received from the various Ministries, Directorates, Departments of the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Industrial Development Bank of India (IDBI), the other sister all-India Financial Institutions, various State Governments, and the State-level financial and developmental institutions.

4.41 The Board of Directors also place on record their appreciation for the work done by the Chairmen and Chief Executives of Technical Consultancy Organisations (TCOs), Risk Capital Foundation(RCF), the Management Development Institute (MDI) and the Entrepreneurship Development Institute of India (EDII), particularly in furthering the activities and the role of their respective organisations.

4.42 The Board are also grateful to the members, who have served on the Regional/Zonal/State Advisory Committees (SACs) and Technical Advisory/Adhoc Committees of IFCI and thank them for their valuable co-operation and counsel received from time to time. The Board of Directors are also grateful to several non-officials who have served as IFCI's nominees on the Boards of various assisted concerns.

4.43 The Board of Directors further acknowledge the continued support and active co-operation received by IFCI from various Development Financing Institutions (DFIs) abroad, particularly the assistance received from the Management of Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau (KFW) of Federal Republic of Germany, Overseas Development Ministry of the U.K. Government, Swedish International Development Authority, Sweden, and a number of correspondent and other banks abroad.

4.44 Finally, the Board of Directors wish to record their deep sense of appreciation for the loyal and devoted services put in by all members of staff, at all levels in IFCI, during the year.

On behalf of the Board of Directors

(D. N. Davar)
Chairman

Appendix I

Statement showing the Installed Capacities, Production and Capacity Utilisation of Selected Industries in

(Figures in brackets denote the number of units)

Sl. No.	Product	Unit of measurement	Installed capacity and production in 1985-86					
			For the country			For IFCI assisted reporting concerns		
			Installed capacity and no. of units	Production 1985-86 (April-March)	Capacity utilisation %	Installed capacity and no. of units	Production 1985-86 (April-March)	Capacity utilisation %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sugar	Lakh tonnes	75·4 (367)	67·61	89·7	22·01 (112)	17·70	80·4
2.	Cotton yarn (mill sector)		25·02 Million spindles (1002)*	1463·00 Million Kgs.	—	Million spindles (219)**	Million Kgs.	—
3.	Cotton cloth (mill sector)		2·10 Lakh looms	3352·00 Million metres	—	0·67 Lakh looms	1494·22 Million metres	—
4.	Jute textiles	Lakh tonnes	18·94 (69)	13·52	71·4	2·08 (8)	1·52	73·1
5.	Paper and paper board	Lakh tonnes	23·49 (267)	15·17	64·6	9·49 (52)	7·47	72·7
6.	Cement	Million tonnes	45·30 (120)	33·10	73·1	29·53 (72)	24·40	82·6
7.	Nitrogenous fertilisers	Lakh tonnes	65·78 (38)	43·27	65·8	17·96 (11)	17·22	95·9
8.	Phosphatic fertilisers	Lakh tonnes	15·72 (17)	14·17	90·1	5·57 (5)	5·89	105·7
9.	Caustic soda	Lakh tonnes	9·66 (38)	7·24	74·9	3·89 (7)	2·82	72·5
10.	Soda ash	Lakh tonnes	10·05 (6)	8·49	84·5	1·27 (3)	0·96	75·6
11.	Calcium carbide	Lakh tonnes	1·70 (7)	0·71	41·8	0·88 (4)	0·33	37·5
12.	Acetic acid	Lakh tonnes	0·81 (19)	N.A.	—	0·15 (3)	0·04	26·7
13.	Carbon black	Lakh tonnes	1·55 (7)	0·97	62·6	1·40 (5)	0·66	47·1
14.	Liquid chlorine	Lakh tonnes	5·36 (29)	3·17	59·1	2·23 (7)	1·39	62·3
15.	Viscose filament yarn	Thousand tonnes	44·29 (8)	42·20	95·3	11·80 (2)	12·32	104·4
16.	Nylon filament yarn	Thousand tonnes	41·92 (11)	39·50	94·2	10·88 (3)	12·39	113·9
17.	Nylon tyre cord	Thousand tonnes	25·00 (N.A.)	25·10	100·4	12·25 (3)	15·80	129·0
18.	Polyester filament yarn	Thousand tonnes	43·34 (10)	67·70	156·2	18·02 (3)	17·77	98·6
19.	Polyester staple fibre	Thousand tonnes	43·27 (5)	43·00	99·4	28·10 (3)	25·40	90·4
20.	Viscose staple fibre	Thousand tonnes	107·67 (3)	90·40	84·0	88·00 (2)	87·90	99·9
21.	Auto tyres	Lakh nos.	160·58 (23)	123·41	76·9	57·33 (7)	31·47	54·9
22.	Auto tubes	Lakh nos.	171·45 (25)	137·00	79·9	52·35 (6)	26·6%	50·9
23.	Rubber contraceptives	Million pieces	713·00 (3)	720·00	101·0	200·00 (1)	179·20	89·6
24.	Reclaimed rubber	Thousand tonnes	34·48 (11)	25·00	72·5	9·30 (2)	5·82	62·6
25.	Finished leather from hides	Lakh pieces	85·00 (40)	40·30	47·4	13·30 (3)	6·28	47·2
26.	Sheet glass	Million sq. mtrs.	40·79 (8)	30·00	73·5	24·31 (4)	16·30	67·1
27.	Fibre glass	Thousand tonnes	5·29 (3)	2·50	47·3	3·75 (2)	1·93	5·15

*Includes 282 composite mills.
**Includes 81 composite mills.

Appendix I (contd.)

Sl. No	Product	Unit of measurement	Installed capacity and production in 1985-86					
			For the country			For IFCI assisted reporting concerns		
			Installed capacity and no. of units	Production 1985-86 (April-March)	Capacity utilisation %	Installed capacity and no of units	Production 1985-86 (April-March)	Capacity utilisation %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28.	Glass bottles and misc. glassware	Lakh tonnes	5·50 (31)	4·20	76·4	1·06 (4)	0·94	88·7
29.	Synthetic detergents	Thousand tonnes	323·46 (21)	190·00	58·7	11·00 (2)	5·77	52·5
30.	Soaps	Thousand tonnes	365·40 (48)	380·00	104·0	39·92 (3)	15·26	38·2
31.	Fatty acid	Thousand tonnes	130·60 (18)	60·00	45·9	4·50 (1)	3·25	72·2
32.	Glycerine	Thousand tonnes	22·58 (19)	11·00	48·7	2·16 (2)	0·36	16·7
33.	Dextrose monohydrate	Thousand tonnes	38·20 (5)	25·00	65·4	6·00 (1)	3·11	51·8
34.	Saleable steel (main plants)	Lakh tonnes	93·30 (6)	77·73	83·3	26·72 (3)	22·70	85·0
35.	Steel ingots (main plants)	Lakh tonnes	117·07 (6)	90·61	77·4	33·46 (3)	28·05	83·8
36.	Steel ingots/billets (mini steel plants)	Lakh tonnes	47·00 (159)	28·00	59·6	2·75 (11)	1·90	69·1
37.	Steel forgings	Thousand tonnes	325·00 (90)	170·00	52·3	40·70 (2)	25·77	63·3
38.	Steel Castings	Thousand tonnes	196·00 (78)	90·00	45·9	42·65 (8)	22·19	52·0
39.	Cold rolled steel strips	Lakh tonnes	10·00 (59)	1·78	17·8	1·03 (6)	0·78	75·7
40.	Aluminium	Lakh tonnes	3·62 (4)	2·52	69·6	2·62 (3)	1·75	66·8
41.	Zinc	Lakh tonnes	0·96 (2)	0·73	76·0	0·14 (1)	0·13	92·8
42.	Scooters	Thousand nos.	620·00 (8)	435·00	70·2	77·00 (2)	25·02	32·5
43.	Mopeds	Thousand nos.	500·00 (13)	500·00	100·0	40·00 (1)	13·35	33·4
44.	Commercial vehicles	Thousand nos.	196·50 (10)	115·00	58·5	59·00 (4)	58·91	99·8
45.	Three wheelers	Thousand nos.	54·20 (5)	52·00	95·9	2·40 (1)	1·36	56·7
46.	Fan and V Belts	Lakh nos.	156·17 (16)	180·00	115·30	21·00 (2)	18·45	87·9
47.	Conveyor Belts	Thousand tonnes	8·91 (8)	9·00	101·0	2·40 (2)	2·22	92·5
48.	G L S Lamps	Million nos.	342·69 (19)	280·25	81·8	76·80 (2)	75·86	98·8
49.	Flourescent Tubes	Million nos.	41·93 (15)	41·67	99·4	7·00 (2)	5·86	83·7
50.	Power transformers	Million K V A	32·50 (31)	23·88	73·5	6·92 (3)	4·65	67·2
51.	Agricultural tractors	Thousand nos.	109·60 (17)	85·00	77·6	21·10 (3)	17·49	82·9
52.	Power tillers	Thousand nos.	16·00 (5)	4·50	28·1	3·00 (1)	1·49	49·7
53.	Hotels	Lakh nos.@	N.A.	N.A.	N.A.	8·58 (16)	5·45	63·5

@Figures in columns 4 & 7 and 5 & 8 refer to the number of lettable room days and the number of room days occupied respectively.

Appendix II

Direct Economic Contribution of New Expans ion and Diversification Projects Assisted by IFCI during 1985-86 (July—June)

(Rs. Crores)

Industry	Projects (nos.)	Total capital cost (Rs.)	Expected direct employment (nos.)	Value of output (Rs.)	Gross value added (Rs.)	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sugar	12	105·54	6,759	108·81	37·66	2·41 lakh tonnes of sugar
Textiles	15	49·67	5,432	145·92	23.93	7·4 lakh nos. of knitted fabrics, 1·27 lakh nos of spindles, 24 nos. of looms, 672 nos. of open end rotors and 12 nos. of water jet looms.
Paper	2	29·65	1,771	35·37	15·52	31,350 tonnes of writing and printing paper
Fertilizers	7	820·32	2,269	532·91	276·58	3·30 lakh tonnes of single super phosphate, 1·32 lakh tonnes of granulated single super phosphate, 4·46 lakh tonnes of single stream ammonia, 7·26 lakh tonnes of urea, 3·26 lakh tonnes of diammonium phosphate and 1·55 lakh tonnes of sulphuric acid.
Chemical and Chemical products	20	428·33	3,210	299·41	157·25	50,000 tonnes of linear Alky Benzene, 33,000 tonnes of Sulphuric acid, 55,000 tonnes of methanol, 30,000 tonnes of pentaerythritol, 5000 tonnes of formic acid 2,000 tonnes of poly vinyl alcohol, 16,210 tonnes of formal dehyde, 1·82 lakh tonnes of caustic soda, 14,250 tonnes of liquid chlorine, 14,850 tonnes of hydrochloric acid 20,000 tonnes of monoethyleneglycol, 3,000 tonnes of furfural, 10,000 tonnes of soda ash, 10,000 tonnes of ammonium chloride, 0·8 million cubic metres of nitrogen gas, 0·15 million cubic metres argon gas, 56 lakh cubic metres of oxygen, 7 lakh cubic metres of dissolved acetylene, 1,48? million nos. of gelatin capsules, 1,510 tonnes of leather chemicals, 1.5 million nos. of prednisolone ampules, 2·5 million nos. of caphazol sodium vials 100 tonnes of tylosin tartarate.
Synthetic & man-made fibres	5	386·23	2,618	321·74	116·09	2,000 tonnes of nylon cord, 12,000 tonnes of acrylic fibre, 30,500 tonnes of polyester staple fibre, 10,000 tonnes of nylon filament yarn, 3,500 tonnes of partially oriented polyester yarn.
Plastic Products	10	37·53	1,325	56·49	17·47	3 lakh nos. of plastic moulded brief/suit cases 9·216 tonnes of HDPE woven sacks, 1,200 tonnes of cross film sacks, 300 tonnes of tarpaulin, 950 tonnes of engineering plastic products.
Cement	9	162·84	2,099	99·17	47·82	9·5 lakh tonnes of Cement.
Glass	4	232·81	1,495	121·25	87·77	25 million square metres of float glass and 0·97 million square metres of sheet glass.
Misc. non-metallic mineral products	6	29·56	997	36·08	18·76	8·85 million sq. metres of gypsum plaster boards, 1·55 lakh cu. ft. of marble slabs, 16·00 lakh sq. ft. of glazed marble tiles, 30,250 tonnes of glazed ceramic wall and floor tiles.
Iron & steel	15	387·06	3,399	484·15	143·07	2 lakh tonnes of rolled steel products, 30 million metres of single walled small diameter welded and seamless steel tubes, 1·44 lakh tonnes of mild rolled steel, 0·75 lakh tonnes of high pressure thickwalled large submerged arc welded pipes, 1·5 lakh tonnes of sponge iron, 12,000 tonnes of cold rolled steel strips, 1·5 lakh tonnes of light medium structurals 5,600 tonnes of alloy steel castings, 25,000 tonnes of steel billets, 25,000 tonnes of electric resistance welded & cold drawn electronic welded precision steel tubes, 2,400 tonnes of powder metallurgy performs, near net shapes and cylindrical and sectional tool blanks for high speed steel tools

Appendix II (Contd.)

(Rs. crores)

Industry	Projects (nos.)	Total capital cost (Rs.)	Expected direct employment (nos.)	Value of output (Rs.)	Gross value added (Rs.)	Capacity per annum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Machinery & accessories	6	58·25	674	78·53	31·31	82 nos. of honing/turning machinery, 43 lakh nos. of bearings, 300 nos. of precision surface grinders, 2000 tonnes of steel cord conveyor beltings.
Metal products	6	92·38	1,113	186·27	38·79	1·5 lakh tonnes of galvanised sheets, 0·5 lakh nos. of high pressure seamless gas cylinders, 0·4 lakh tonnes of galvanised coils.
Electrical and electronics equipment	17	119·43	3,044	190·07	62·30	9·2 lakh nos. of Black and White picture tubes, 0·24 million nos. of automotive batteries, 35,000 nos. of electronic typewriters, 1·2 lakh nos. of contactors, add on block and timers, 6,000 nos. of overload relays, 63 nos. of rign/loom/rotor electronic data systems for textile industry, mini computer systems of the value of Rs. 6 crores, 200 nos. of U.H.T. communicating equipment/TV transformers, 82 million nos. of fluorescent tubes. 1·5 million nos. of computer diskettes, 18,000 nos of electric motors for agricultural pumps, 7·3 lakh conductor kilometers of Jelly filled telephone cables, 500 tonnes of soft ferrites, 30 lakhs nos. of tentalum capacitors, 75 million nos. of semi-conductors.
Transport equipment	11	79·29	2,809	88,50	35·19	1,000 nos. of helical gear boxes, 300 nos. of bus-body fabrications, 45·75 lakh nos. of shock absorbers, 1·25 lakh nos. of steering gear systems 5·65 lakh nos. of front forks for 2 wheeler, 10,000 nos. of mopherson struts, 2·25 lakh sets of auto-components, 1·5 lakh nos. of starter motors, 1·5 lakh nos. of alternators and 1 lakh nos. of wiper motors and 10,000 tonnes of precision tubes for captive use in cycle manufacture.
	5	35·78	1,361	29·65	18·54	472 rooms, 25·10 lakh nos. of packed meals.
Hotel electricity	3	943·24	8,053	662·92	311·64	11,325 millions units electricity.
Others	14	72·72	3,234	110·53	34·21	
Total	167	4,070·63	51,662	3,587·67	1,471·92	

ANNUAL ACCOUNTS
1985-86

REPORT OF THE AUDITORS

To the Shareholders of the
Industrial Finance Corporation of India

We, the undersigned, auditors of the Industrial Finance Corporation of India, have audited the attached Balance Sheet and Accounts of the Corporations as at 30th June, 1986, and report to the shareholders as follows :—

1. The Balance Sheet and Accounts are in agreement with the books of account.
2. The necessary information and explanations called for by us have been given to us and have been found to be satisfactory.
3. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Balance Sheet together with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Industrial Finance Corporation Act, 1948 and the Rules of the Corporation and exhibits a true and correct view of the state of affairs of the Corporation.

N.M. Raiji & Co. T.R. Chadha & Co.

Chartered Accountants

Place : New Delhi

Dated : 18th August, 1986

BALANCE SHEET AS AT THE 30TH JUNE, 1986

Description	Schedule	This year Rs. lakhs	Previsous year Rs. lakhs
Assets			
Cash and Bank Balances	1	20,888·48	14,213·31
Investments in Assisted Concerns	2	5,867·64	5,716·05
Investments in other Financial Institutions	—	21·00	21·00
Loans to Assisted Concerns	3	1,64,910·52	1,30,731·24
Premises and Equipment	4	1,306·32	1,254·31
Other Assets	5	8,018·76	5,313·73
Customers' Liability for Acceptances	—	1,788·16	786·39
Total :		2,02,800·88	1,58,036·03
Liabilities and Shareholder's Fund			
Share Capital	6	4,500·00	3,500·00
Reserves and Reserve Fund	7	14,488·08	11,432·05
Long Term Borrowings	8	1,70,325·80	1,32,595·29
Current Liabilities and Provisions	9	11,073·83	9,236·07
Liability on Acceptances	—	1,788·16	786·39
Earmarked Funds	10	625·01	486·23
Total :		2,02,700·88	1,58,036·03

H.C. Sharma, General Manager

D. N. Davar, Chairman

P. Murari, V. Dixit, P.L. Karihaloo, D. N. Ghosh, J. S. Varshneya, C. R. Thakore, D. M. Patel, B. S. Thorat, Directors

As per our Report of even date.

N. M. Raiji & Co. T. R. Chadha & Co.

Chartered Accountants

New Delhi, Dated : 18th August, 1986

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED THE 30TH JUNE, 1986

Description	Schedule	This Year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Interest from Loans, Advances and Deposits (less provision for bad and doubtful debts and other usual and necessary provisions)	11	16,774·42	12,978·04
Cost of Borrowings	12	11,992·59	8,561·56
Net Interest Revenue		4,781·83	4,416·48
Income from Other Operations	13	940·48	521·92
Total :		5,722·31	4,938·40
Personnel Expenses	14	485·32	443·51
Directors' and Committee Member's Fees	—	2·05	3·34
Premises and Equipment—Rental, Maintenance and Depreciation	15	171·40	163·11
Other Expenses	16	177·14	114·29
Grant to Management Development Institute	—	5·00	5·00
Provision for Taxation	—	1,463·00	1,278·45
Total :		2,303·91	2,007·70
Net profit carried over		3,418·40	2,930·70

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED THE 30TH JUNE, 1986 (Contd.)

Description	Schedule	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Net Profit (brought forward)		3,418·40	2,930·70
Appropriated to :			
General Reserve Fund under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		904·12	823·19
Special Reserve Fund under Section 36(i) (viii) of the Income Tax Act, 1961		1,950·65	1,775·72
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		150·00	50·00
Staff Welfare Fund		15·00	15·00
Dividend		398·63	266·79
		3,418·40	2,930·70
Accounting Policies and Notes forming part of Accounts	17		

H. C. Sharma, General Manager — D. N. Davar, Chairman — P. Murari, V. Dixit, P. L. Karihaloo, D. N. Ghosh, J. S. Varshneya, C.R. Thakore, D. M. Patel, B. S. Thorat, Directors

As per our Report of even date.
N. M. Raiji & Co. T. R. Chadha & Co.
Chartered Accountants

New Delhi, Dated : 18th August, 1986.

Schedule 1

Cash and Bank Balances

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30 June, 1986

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Cash and Bank Balances		
Cash in Hand	0·77	0·70
Cheques/Drafts in Hand and lodged for collection	580·25	645·26
Balances with Banks in India		
In Current Accounts	6,326·53	4,645·67
In Short Term Deposits	3,502·50	5,664·00
Balances with Banks outside India		
In Current Accounts	356·18	421·47
In Short Term Deposits	10,122·25	2,836·21
Total :	20,888·48	14,213·31

Schedule 2

Investments in Assisted Concerns (At Cost)

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	Under Section*			This year	Previous Year
	23(d)	23(f)	23(i)	Rs. lakhs	Rs. lakhs
Equity Shares	3,192·39	631·08	1,261·97	5,085·44	4,886·92
Preference Shares	351·59	67·01	—	418·60	471·65
Debentures	44·18	61·16	244·57	349·91	344·67
Application money on Shares and Debentures	13·69	—	—	13·69	12·81
	3,601·85	759·25	1,506·54	5,867·64	5,716·05
Total as at the 30th June, 1985	3,502·16	793·01	1,420·88		
Quoted					
—Book Value				3,232·95	2,803·33
—Market Value				9,517·21	8,555·44
Investments for which quotations are not available (Book value)				2,634·69	2,912·72

*Relates to Industrial Finance Corporation Act, 1948

Schedule 3

Loans to Assisted Concerns

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year	Previous year
	Rs. lakhs	Rs. lakhs
In Indian Rupees	1,44,892·88	1,21,849·28
In Foreign Currencies	20,017·64	8,881·96
Total:	1,64,910·52	1,30,731·24

Notes:

Debts due by concerns in which the Directors (other than nominees of the Corporation are interested as Directors	215·57	290·87
Total amount of loans disbursed during the year to concerns in which the Directors (other than nominees) of the Corporation are interested as Directors	23·00	219·41
Total amount of instalments whether of Principal or Interest overdue by concerns in which the Directors (other than nominees of the Corporation are interested as Directors	83·60	0·54

The decrease is due to changes in the Board of Directors of the Corporation.

Schedule 4

Premises and Equipments

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	Original Cost	Depreciation to date	Net Value	
			This year	Previous year
	Rs. lakhs	Rs. lakhs	Rs. lakhs	Rs. lakhs
Freehold Land and Buildings	345·75	39·75	306·00	309·44
Leasehold Land and Buildings	376·05	50·45	325·60	292·78
Furniture and Fixtures	64·55	26·13	38·42	22·33
Office Equipment	110·40	37·70	72·70	15·16
Electrical Installations	14·22	5·80	8·42	7·87
Vehicles	10·29	5·20	5·09	2·76
Sub-Total :	921·26	165·03	756·23	650·34
Advance against capital expenditure	550·09	—	550·09	603·97
	1,471·35	165·03	1,306·32	1,254·31
As at the 30th June, 1985	1,370·69	116·38		

Schedule 5

Other Assets

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year	Previous year
	Rs. lakhs	Rs. lakhs
Interest accrued but not due	4,631·16	3,731·04
Advances to Risk Capital Foundation	506·38	392·27
Advances to Employees	134·12	122·65
Deposits	86·53	29·22
Net Assets of Staff Welfare Fund	12·50	12·50
Other Assets	2,648·07	1,026·05
Total	8,018·76	5,313·73

Schedule 6

Annexed to and forming part of the

Share Capital — Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year	Previous year
	Rs. lakhs	Rs. lakhs
Authorised 1,00,000 shares of Rs. 5,000/- each	5,000·00	5,000·00
Issued & Subscribed		
1,00,000 shares of Rs. 5,000/- each (Previous year 80,000 shares)	5,000·00	4,000·00
(Guaranteed by Government of India as to the repayment of principal and payment of minimum annual dividend under Section 5 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948)		
Paid-up		
(i) 10,000 shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(ii) 4,000 (Second Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	200·00	200·00
(iii) 2,692 (Third Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	134·60	134·60
(iv) 3,308 (Fourth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	165·40	165·40
(v) 10,000 (Fifth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(vi) 5,000 (Sixth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250·00	250·00
(vii) 5,000 (Seventh Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	250·00	250·00
(viii) 10,000 (Eigth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid up	500·00	500·00
(ix) 10,000 (Ninth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	500·00	500·00
(x) 20,000 (Tenth Series) shares of Rs. 5,000/- each fully paid-up	1,00·00	500·00
	1,00·00	500·00
		(partly paid-up)
(xi) 20,000 (Eleventh Series) shares of Rs. 5,000/- each) Rs. 2,500/- per share called and paid-up	500·00	—
Total:	4,500·00	3,500·00

Schedule 7

Annexed to and forming part of the

Reserve & Reserves Fund — Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year	Previous year
	Rs. lakhs	Rs. lakhs.
General Reserve under Section 32 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	4,994·06	4,089·94
Reserve Fund under Section 32A of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	100·00	100·00
Benevolent Reserve Fund under Section 32B of the Industrial Finance Corporation Act, 1948	296·04	170·54
Special Reserve Fund under Section 36(i) (viii) of the Income Tax Act, 1961	8,950·65	7,000·00
Specific Grant from Government of India in terms of agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau	147·33	71·57
Total:	14,488·08	11,432·05

Shedule 8

Annexed to and forming part of the

Long Term Borrowings — Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year	Previous year
	Rs. lakhs	Rs. lakhs
Bonds (Unsecured—Issued under Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 guaranteed by the Government of India)		
(a) 6% Bonds	7,774.06	12.,152·99
(b) 6 1/4% Bonds	6,801·54	6,801·54
(c) 6 1/2% Bonds	7,500·00	7,50.00
(d) 6 3/4 Bonds	7,810·00	7,810·00

Description			This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
(e)	7 1/4% Bonds		10,050·22	10,050·22
(i)	7 1/2% Bonds		10,995·00	10,995·00
(g)	8 1/4% Bonds		7,975·00	7,975·00
(h)	8 3/4% Bonds		8,004·80	8,004·80
(i)	9% Bonds		19,701·00	19,701·00
(j)	9·75% Bonds		32,269·13	17,201·13
(k)	11 Bonds		15,000·00	—
(l)	7·6% Bonds	(Yen Currency)	3,802·28	2,508·78
(m)	6·9% Bonds	(Yen Currency)	3,802·28	—
(n)	6·3% Bonds	(Yen Currency)	3,802·28	—
			1,45,287·59	1,10,700·46
Borrowings				
(a)	From Industrial Development Bank of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		7,775·00	12,125·00
(b)	From Government of India under Section 21(4) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948		276·21	344·30
(c)	From Government of India in terms of Agreement with Kreditanstalt-fur-Wiederaufbau		662·37	603·26
(d)	From Industrial Development Bank of India in foreign Currency out of proceeds of their foreign bond issue		849·38	—
(e)	From Foreign Credit Institutions in foreign currencies		15,475·25	8,822·27
	Total:		1,70,325·80	1,32,595·29

Schedule 9

Current Liabilities and Provisions

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description				This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
(A)	Current Liabilities				
	Sundry Creditors			6,439·83	5,533·22
	Interest accrued but not due				
	(a) On Bonds			1,018·15	736·92
	(b) On Borrowings from Government			14·71	13·00
	(c) On Borrowings from foreign credit institutions			142·97	19·75
	(d) On Borrowings from Industrial Development Bank of India and others			108·93	139·43
	Deposit in terms of Section 22 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948			500·00	500·00
	Advance receipts			12·40	6·12
	Unclaimed Dividend			0·09	0·27
	Amount refundable to sub-borrowers/payable to Government of India out of interest on borrowings in Foreign Currency			712·95	502·93
		Total (A)		8,950·03	7,451·64
(B)	Provisions				
	Difference in exchange suspence account			174·28	85·80
	Amounts held in suspense				
	(a) Interest			406·21	417·87
	(b) Commitment charges			0·05	0·05
	(c) Incidental charges			2·38	2·38
	Provision for taxation		4,968·01		
	Less: Tax deducted at Source	245·67			
	Advance Tax paid	3,580·09	3,825·76	1,142·25	1,011·54
	Provision for dividend			398·63	266·79
	Total (B):			2,123·80	1,784·43
	Total (A)+(B):			11,073·83	9,236·07

Schedule 10

Earmarked Funds

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Industrial Finance Corporation Employees Provident Fund	582·51	458·73
Staff Welfare Fund	42·50	27·50
Total:	625·01	486·23

Schedule 11

Interest from Loans & Advances

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Interest Income	16,523·63	12,797·49
Commitment Charges	250·79	180·55
Total:	16,774·42	12,978·04

Schedule 12

Cost of Borrowings

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year Rs. lakhs	Previous Year Rs. lakhs
Interest on Loans and Borrowings	11,719·81	8,393·20
Commitment Charges on Foreign Currency Loans availed	8·30	6·98
Cost of issue of Bonds	264·48	161·38
Total·	11,992·59	8,561·56

Schedule 13

Income from Other Operations

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Business Service Fee	103·97	64·63
Dividend	271·01	223·70
Profit on Sale of Investments	515·68	206·77
Other Miscellaneous Income	49·82	26·82
Total:	940·48	521·92

Schedule 14

Personnel Expenses

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Salary and Allowances	458·04	421·72
Staff Welfare Fund Expenses	2·83	2·13
Other Personnel Expenses	24·45	19·66
Total:	485·32	443·51

Schedule 15

Premises and Equipment—Rental Maintenance and Depreciation

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Rent, Taxes, Insurance and Lighting	99·92	112·10
Repairs & Maintenance	21·08	16·54
Depreciation	50·40	34·47
Total:	171·40	163·11

Schedule 16

Other Expenses

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986

Description	This year Rs. lakhs	Previous year Rs. lakhs
Audit Fees	1·00	0.84
Travelling and Halting Expenses	25·07	19·36
Communication	24·24	19·66
Loss on Investments	36·75	18·68
Other Expenses	90·08	55·76
Total:	177·14	114·29

Schedule 17

Annexed to and forming part of the Balance Sheet as at the 30th June, 1986.

ACCOUNTING-POLICIES AND NOTES

(A) *Significant Accounting Policies*

1. *Revenue recognition*

(a) The Corporation does not account for Income by way of Interest, Commitment Charges and Commission, etc., in cases where the possibility of recovery is considered remote Commitment. Charges are accounted for as income only on conclusion of the loan agreements.

(b) Interest on those loans and advances where Court orders have been obtained by the Corporation is accounted for only when such amount is received.

2. *Investment Transactions*

(a) Gains or losses on sale of investments are measured against the average cost of the investments sold.

(b) Loss, if any, in the value of shares of companies in liquidation or sick companies which are proposed to be merged with other healthy companies is accounted for when the final payment is received or the merger is complete.

3. *Exchange Transactions*

(a) The balances of—

(i) foreign currency loans availed of by the Corporation,

(ii) the loans granted to sub-borrowers therefrom,

(iii) the balances in foreign currency accounts with banks, and

(iv) contingent, liabilities in respect of guarantees undertaken in foreign currency,

are all expressed in Indian Currency at TT selling rates prevailing as on the 30th June, 1986.

(b) Profit, if any, arising on account of fluctuations in currency exchange rates is accounted for in respect of each line of credit only after the borrowings are fully repaid to the foreign lending institutions and the loans granted out of such borrowings to assisted concerns are fully recovered. Loss, if any, on account of such fluctuations in respect of each line of credit is accounted for when such line is fully repaid by the Corporation. Meanwhile, the exchange difference relating to :

(i) the recovery and repayment of foreign currency loans

(ii) conversion of year-end foreign currency balances and

(iii) operation in the foreign currency accounts with Banks,

are accounted for in difference in exchange suspense account. The contribution received from Central Government, in part re-imbursement of exchange losses incurred, has also been credited to the said account.

4. *Premises and equipment*

Following principal depreciation rates are applied on written down values :

(i) Buildings and improvements thereto are depreciated at the rate of 5%.

(ii) Furniture and equipment are depreciated at the rate of 10% and 15% respectively and the assets are stated at cost less depreciation.

(B) *Notes Forming part of Accounts*

(*Figures in brackets relate to the previous year*)

1. The Corporation has contingent liabilities in respect of the following, in addition to such liabilities appearing in the Balance Sheet :

(a) Outstanding underwriting contracts [under Section 23(d) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948] Rs. 53.10 lakhs (Rs. 112.50 lakhs), and

(b) Uncalled amount in respect of partly paid-up shares held as Investment [under Section 23(d) and Section 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948] Rs. 27.05 lakhs (Rs. 25.40 lakhs).

2. The Income Tax Department/the Corporation have gone in appeal/reference on certain matters in which the earlier orders have gone in favour of/against the Corporation. The disputed liability in this regard amounts to Rs. 55.39 lakhs (Rs. 40.60 lakhs). The provision for taxation for the year has been made on the basis of the stand taken by the Corporation.

3. Sundry Creditors include Rs. 2,409.92 lakhs (Rs. 3149.67 lakhs) in respect of Bonds which have matured but have remained unclaimed/unpaid.

4. Investments under Section 23(d) and 23(f) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, include a sum of Rs. 65.50 lakhs (Rs. 43.09 lakhs) in the share capital of some companies which have either gone into liquidation or which are sick' and are proposed to be merged with the healthy companies.

5. Up to the 30th June, 1986 a sum of Rs. 45.38 lakhs (Rs. 42.16 lakhs) has been utilised partly out of Benevolent Reserve Fund and partly out of Specific Grant from Government of India for subscribing to the share capital in certain Technical Consultancy Organisation as part of the promotional activities of the Corporation. Hence these investments have not been included in the 'Investments' of the Corporation.

6. An aggregate amount of Rs. 1,765.10 lakhs (Rs. 1,030.58 lakhs) was due on the date of the Balance Sheet from certain companies, the undertakings of which have been acquired by the Central/State Government. It has not been possible to determine as to what portion of the said amount can be recovered either out of the compensation or from the guarantors. Besides, a sum of Rs. 171.84 lakhs (Rs. 173.08 lakhs) is due on the Balance Sheet date from certain companies whose liabilities have been frozen under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

7. Previous year figures have been recast, wherever necessary, to make these comparable to those of the current year.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1986